आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
के
महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(जनवरी 2017 से दिसम्बर 2018)

सुखद पर्यावास

आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

दूरभाष : 0522-2622941, 2627021 फैक्स : 0522-4331202

Mail ID : awasbandhu@gmail.com

Website : www.awas.up.nic.in ● www.awasbandhu.in

नितिन रमेश गोकर्ण
आई०ए०एस
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
324, 325 बापू भवन
उ०प्र० शासन।

संदेश

आवास से वंचित प्रदेश के जनसामान्य को आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने, शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं को विकसित किये जाने एवं उनके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेशों, अधिसूचनाओं/नियमावलियों/अधिनियमों, मानकों, नियम एवं शर्तों को शासकीय अभिकरणों, निजी विकासकर्ताओं एवं जनसामान्य को सम्पूर्ण जानकारी हेतु समुचित शासनादेशों का विशिष्ट संकलन विगत कई वर्षों से 'आवास बन्धु' के प्रयासों से उपलब्ध होता रहा है।

विगत संकलनों के महत्व एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2011–2012 के उपरांत पुनः 'आवास बन्धु' द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों/संशोधनों, आदि से संबंधित शासनादेशों का विशिष्ट संकलन उपलब्ध कराने का अतुलनीय प्रयास किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह संकलन विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद, आवास निर्माण से जुड़ी सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक संस्थाओं तथा जन सामान्य के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
उ0 प्र0 शासन

फोन : 0522-2237161, 2214694 फैक्स : 0522-2237210, ई-मेल : psawasup@gmail.com

संजीव सिंह
आई०ए०एस
अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु /
विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संदेश

उत्तर प्रदेश में विकास की असीम सम्भव्यताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आजीविका की तलाश में नगरों की ओर पलायन के फलस्वरूप जनसंख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि को देखते हुए नए आवासों के सृजन, आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं का विकास एवं उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना शासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास हेतु उत्तरदायी विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं को विकसित एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किये जाने हेतु निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेशों, अधिसूचनाओं/नियमावलियों/अधिनियमों, मनाकों, नियम व शर्तों को योजनान्तर्गत शासकीय अभिकरणों, निजी विकासकर्ताओं एवं जनसामान्य को सम्पूर्ण जानकारी के रूप में शासनादेशों का विशिष्ट संकलन वर्ष 2011 से आवास बन्धु के प्रयासों से उपलब्ध होता रहा है।

विगत संकलनों एवं उपयोगिताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवास बन्धु द्वार पुनः आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं नीतिगत सुधारों से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों, अधिसूचनाओं/नियमावलियों/अधिनियमों, मानकों नियम व शर्तों आदि की अद्यतन जानकारी हेतु शासनादेशों के संकलन की पुस्तिका उपलब्ध करायी जा रही है।

मुझे हर्ष है कि आवास सेक्टर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण एवं आवश्यक नीतियों एवं कार्यक्रमों सम्बन्धी शासनादेश, अधिसूचनाओं आदि का प्रस्तुत संकलन योजनान्तर्गत शासकीय अभिकरणों, निजी विकासकर्ताओं के साथ–साथ जनसामान्य के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018

संजीव सिंह

विषय सूची

क्रम. स.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं.
1.	**सम्पत्ति प्रबन्धन**			**1 - 3**
1.1	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में। (दिव्यांगजन हेतु)	35 / आठ–1–18–185विविध / 2010	15.05.2018	1
1.2	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में। (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल हेतु)	1583(1) / आठ–1–18–70 बैठक / 2017	12.09.2018	2–3
2.	**नजूल भूमि प्रबन्धन**			**4 - 12**
2.1	कार्यालय–ज्ञाप : नजूल भूमि के निस्तारण से राजस्व प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की कार्य योजना।	461 / आठ–4–2018–55एन / 2014	13.04.2018	4–12
3.	**महायोजनाएं**			**13 -22**
3.1	अधिसूचना – भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	620 / आठ–8–18–28 एल.यू.सी / 2014	15.06.2018	13–14
3.2	अधिसूचना – भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	1343 / आठ–8–18–39 एल.यू.सी / 2018	20.07.2018	15–16
3.3	अधिसूचना – भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	1269 / आठ–8–18–25 एल.यू.सी / 2016	27.08.2018	17–18
3.4	कार्यालय–ज्ञाप : विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं / क्षेत्रीय विकास योजनओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त पुनर्गठन।	598 / 8–3–17–06 महा / 14	13.06.2017	19
3.5	उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत समस्त महायोजनाओं के जोनल प्लान्स को निजी कन्सलटेन्ट्स के माध्यम से तैयार कराये जाने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में गठित "कन्सलटेन्ट्स चयन एवं अनुश्रवण समिति"(CSRC) का सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा संशोधन।	1458 / 8–3–18–170 विविध / 17टी0सी0	30.08.2018	20
3.6	उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम,1973 की धारा–13 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	1374 / आठ–8–17–80 एल.यू.सी / 2017	29.12.2018	21–22
4.	**जोनिंग रेगुलेशन**			**23 -28**
4.1	कार्यालय ज्ञाप– महायोजनाओ / क्षेत्रीय विकास योजनाओ के परीक्षण हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	54 / 8–3–18–06 महा / 2014	08.01.2018	23
4.2	जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	1034 / 8–3–18–170विविध / 17टी0सी0	04.07.2018	24–27

4.3	शुद्धि–पत्र – महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में ''यातायात एवं परिवहन'' भू–उपयोग में ''सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी.पी.पी.)''के आधार पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन के अन्तर्गत कियाओं की अनुमन्यता में संशोधन के सम्बन्ध में।	208 / 8–3–17–04 एल0यू0सी0 / 10	17.03.2017	28
5.	**भवन निर्माण एवं विकास उपविधि**			29 -80
5.1	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत चिकित्सा उपयोग के भवनों की ऊंचाई के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	1433 / 8–3–16–219विविध / 2013	02.01.2017	29–30
5.2	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत आवास निर्माण की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में।	190 / आठ–7–2017 / 03 SAY 2017	03.04.2017	31–32
5.3	AMRUT योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में।	1241 / 8–3–17–34विविध / 2008	31.10.2017	33–43
5.4	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में ।	505 / 8–3–18–34विविध / 8टी0सी0	26.04.2018	44–48
5.5	औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।	813 / 8–3–17–34विविध / 2008	08.06.2018	49–50
5.6	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ''अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप'' मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।	1855 / आठ–1–17–80 विविध / 2010	05.09.2017	51–53
5.7	प्रदेश में विनियमितीकरण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र सम्बन्धी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण एवं निरीक्षणकर्ता की आख्या को सर्व–सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	1139 / 8–3–17–36 विविध / 16टी0सी0	04.10.2017	54
5.8	रेल भूमि विकास प्राधिकरण की भूमियों के विकास के सम्बन्ध में।	62 / 8–3–18–110 विविध / 2017	11.01.2018	55–56
5.9	प्रदेश में निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने वाले प्रकरणों का वर्गीकरण कर, अनिवार्य निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।	1090 / 8–3–17–36 विविध / 16टी.सी.	26.09.2017	57
5.10	प्रदेश में आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	72 / नौ–9–2018–161ज0 / 12	08.02.2018	58–74
5.11	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रथ्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।	36 / 2018 / 852 / 78–1–2018–45आई0टी0 / 2006	15.06.2018	75–77
5.12	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रथ्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	1646 / 8–3–18–34विविध / 08	05.10.2018	78–80
6.	**अनाधिकृत निर्माण शमन**			81 -95
6.1	अनाधिकृत कालोनियों पर अंकुश / रोकथाम के सम्बन्ध में।	704 / आठ–8–17–194 काम्प / 2001	03.05.2018	81–82

6.2	अनाधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश।	1428/आठ–8–2018–194 काम्प/2001	09.08.2018	83–86
6.3	अनाधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु दिशा निर्देश।	1747/आठ–8–2018–194 काम्प/2001	02.11.2018	87
6.4	प्रदेश के प्राधिकरणों एवं विकास परिषद क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित भवनों के क्षतिग्रस्त/ध्वस्त होने के सम्बन्ध में।	1309/आठ–1–2018	23.07.2018	88
6.5	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	167/8–8–2017–70 काम्प/2005टी.सी.	05.05.2017	89–93
6.6	विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्यो में लगाये गये सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं की प्रवर्तन अनुभाग की तैनाती अवधि/चार्ज हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	2239/आठ–5–2017	31.08.2017	94–95
7.	**शुल्क/फीस निर्धारण**			**96 -107**
7.1	नई पर्यटन इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।	2440/आठ–1–17–05 विविध/2017	08.12.2017	96–97
7.2	नई पर्यटन इकाईयों एवं 'हेरिटेज (होटल)' को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास से पूर्ण छूट के सम्बन्ध में।	465/आठ–1–18–59 विविध/2018	25.05.2018	98–100
7.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली ''कृषि'' भू–उपयोग को ''औद्योगिक'' भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट के सम्बन्ध में।	812/आठ–8–2018–08 विविध/2018	08.06.2018	101–102
7.4	अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।	985/आठ–1–18–8 विविध/2016	26.06.2018	103
7.5	कार्यालय ज्ञाप – अवस्थापना विकास निधि खाता के सम्बन्ध में।	948(1)/आठ–1–18–44 विविध/18	26.07.2018	104–106
7.6	सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों की रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में	132/8–3–18–27 विविध/2018	08.02.2018	107
8.	**वित्तीय प्रबन्धन**			**108 -110**
8.1	औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कार्यरत सभी प्राधिकरणों एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत सभी प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में।	आडिट–2–394/दस–2018	31.05.2018	108–109
8.2	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं की नोडल एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	655/आठ–1–2017–74 विविध/2017	13.04.2017	110
9.	**कार्मिक प्रबन्धन**			**111-122**
9.1	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा–444/2016–17/394	23.03.2017	111–112
9.2	कार्यालय ज्ञाप– श्री अखिलेश कुमार एवं 14अन्य सहायक अभियन्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट दाखिल करते हुए मांगे गये अनुतोष के सम्बन्ध में।	782/आठ–5–18–27 रिट/2016	15.05.2018	113–115

9.3	वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।	3/2018/जी–1–102/ दस–2018–226–2008	18.07.2018	116–118
9.4	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.04.1996 में सर्व श्री मो0 बाकर, अशोक कुमार, मो0 सुलेमान, आदर्श चन्द्र भटनागर, अवर अभियन्तागण को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	40/2018/1860/आठ–5 –18–71रिट/2001	25.09.2018	119
9.5	विकास प्राधिकरणों में वेतन बैण्ड–1 (रू–5200–20200) ग्रेड पे रू0–1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड–2 (रू–9300–34800) ग्रेड पे रू–4600 से कम के सीधी भर्ती के अकेन्द्रीयित सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	928/आठ–10–18–14 विविध/2018	03.10.2018	120–121
9.6	प्राधिकरण/विभागीय आर्किटेक्ट के अनुभव एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	1079/आठ–1–2017–40 विविध/2017	17.7.2017	122
10. विविध				123 -206
10.1	अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0 प्र0 शासन को दिनांक 01 मई 2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा अभिहित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	401/8–3–17–65 विविध/16टी0सी0	03.05.2017	123
10.2	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0 ए0 सं0–102/2014 सैण्ड प्लास्ट लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में	440/55–पर्या–2–2017/ 45(रिट)/16	28.06.2017	124–125
10.3	उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली के सम्बन्ध में।	3070/78–2–2018–42 आई0टी0/2017 (22)	03.01.2018	126–127
10.4	उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली के सम्बन्ध में।	38/आठ–1–18–42 बैठक/2017	28.02.2018	128
10.5	निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में।	480(1)/आठ–1–18–27 विविध/2014 टी0सी0	05.04.2018	129–130
10.6	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के लिये पुनर्ग्रहीत की गई नगर निगम गाज़ियाबाद में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण मूल्य का भुगतान नगर निगम गाज़ियाबाद के पक्ष में किये जाने के सम्बन्ध में।	437/8–3–18–149 विविध/17	18.04.2018	131–132
10.7	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01.01.2018 से बढ़ी दर पर भुगतान के सम्बन्ध में।	4/2018–वे0आ0–1–361/ दस–2018–8(एम)/2016	18.04.2018	133–135

10.8	भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' में आन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) की व्यवस्था तैयार कर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	661/8–3–17–26विविध/17टी0सी0	11.05.2018	136–138
10.9	उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	770/8–3–18–65विविध/2016 टी0सी0	31.05.2018	139
10.10	उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	767/8–3–18–65विविध/16 टी0सी0	31.05.2018	140–141
10.11	उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	768(2)/8–3–18–65विविध/16 टी0सी0	31.05.2018	142
10.12	उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	768/8–3–18–65विविध/2016 टी0सी0	31.05.2018	143–146
10.13	बाढ़ प्रबन्धन हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	1396/आठ–1–18–43बैठक/2018	31.07.2018	147
10.14	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की भाँति सिटी फॉरेस्ट के विकास के सम्बन्ध में।	1272/आठ–4–2018–07 विविध/2018	31.07.2018	148–150
10.15	भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत 61 नगरों की जी0आई0एस0 महायोजनाओं को तैयार करने के लिए अधिकारियों की समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में।	1070/8–3–2018	11.07.2018	151
10.16	अभिकरण की वेबसाइट पर अधिनियमों /उपनियमों/ उपविधियों/शासनादेशों इत्यादि को 'अपलोड' किये जाने एव अध्यावधिक रखने के सम्बन्ध में।	3169/आ.ब. –1/निदेशक/18	16.08.2018	152–153
10.17	श्री संजीव सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अपने कार्यो के साथ–साथ आवास बन्धु में अधिशासी निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	3350/आ.ब. –1/निदेशक/18	28.08.2018	154
10.18	लो–रिस्क एवं हाई–रिस्क भवनों के मानचित्रों का समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में।	1456(1)/8–3–17–26 विविध/17टी0सी0	30.08.2018	155
10.19	जनपद फिरोज़ाबाद में सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000लीटर) के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में।	1540/आठ–1–18–10बजट/2015	06.09.2018	156–157
10.20	उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	1387/8–3–18–158विविध/18	19.09.2018	158
10.21	उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का राष्ट्रीय राजधानी (N.C.R.) क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	1388/8–3–18–158विविध/18	19.09.2018	159
10.22	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत अधूरे आवासों को पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों को आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।	2001/आठ–2–2018–05 मा0का0यो0/2018	25.09.2018	160–161
10.23	ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	1033/आठ–1–17–17 विविध/2017	31.05.2017	162–163
10.24	शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना।	1067/78–2–2017–42 आईटी/2017	12.05.2017	164–170
10.25	भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' में आन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) की व्यवस्था तैयार कर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	511 /8–3–17–34 विविध/08	05.06.2017	171–173

10.26	जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को ऑन–लाईन किये जाने के सम्बन्ध में।	1456 / 8–3–17–26विविध / 17टी0सी0	30.08.2018	174–175
10.27	आवास एवं शहरी नियोजन इन्टर्नशिप योजना–2018 के सम्बन्ध में।	1650 / आठ–1–18–92 विविध / 2018	19.09.2018	176–181
10.28	विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।	1675 / 8–3–18–167 विविध / 18	22.10.2018	182–183
10.29	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों में बाह्य विकास कार्य व अन्य के सम्बन्ध में।	1878 / आठ–1–18–80 विविध / 2010	02.11.2018	184–189
10.30	प्रदेश सरकार के सभी विज्ञापनों पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का लोगों प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।	833 / आठ–1–17	17.05.2017	190
10.31	प्रदेश सरकार के सभी विज्ञापनों पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का लोगों प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।	135 / सू0एवं ज0स0वि0. (विज्ञा0)147 / 2017	27.04.2017	191
10.32	कार्यालय ज्ञाप– वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ (पदेन) को उक्त अथॉरिटी के कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु एतद्द्वारा मुख्य लेखाधिकारी / वित्त नियंत्रक के पद का अतिरिक्त प्रभार किये जाने के सम्बन्ध में।	840 / 8–3–17–65विविध / 16टी.सी. **VI**	22.07.2017	192–193
10.33	दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम(**RRTS**) के सम्बन्ध में।	53 एन.सी.आर. / आठ–2–2017–14एन.सी. आर. / 10टी.सी.	19.05.2017	194
10.34	मिर्जापुर–विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में।	अधिसूचना सं0832 / आठ–10–18–06गठन–16	16.08.2018	195–200
10.35	मिर्जापुर–विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में।	अधिसूचना सं0833 / आठ–10–18–06गठन–16	16.08.2018	201–204
10.36	मिर्जापुर–विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में।	अधिसूचना सं0934 / आठ–10–18–06गठन–16	13.09.2018	205–206

सम्पत्ति प्रबन्धन

संख्या : 35 / आठ–1–18–185 विविध/2010

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2018**

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2680/9–आ–1–98–42 विविध/96, दिनांक 31 अगस्त, 1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम–1995 में विहीत व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्रस्तर–7 में की गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 31 अगस्त, 1998 में दिव्यांगजन हेतु 03 प्रतिशत किये गये क्षैतिज आरक्षण को संशोधित करते हुए 05 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिव्यांगजन हेतु की गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ.प्र. शासन।
2. आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उ.प्र. लखनऊ।
3. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ।

आज्ञा से

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या : 1583(1)/ आठ–1–18–70 बैठक/2017

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2018**

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/ निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–4982/9–आ–1–99–74 बैठक/99, दिनांक 17 दिसम्बर, 1999 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों/भवनों के आवंटन में भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रितों हेतु 03 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि रिट (पीआईएल) संख्या–59466/2016 सतीश चन्द्र सोलंकी व चन्द्रभूषण यादव बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 एवं अवमानना याचिका संख्या–830/2018 सतीश चन्द्र सोलंकी बनाम श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 17 दिसम्बर, 1999 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित बिन्दु–7 में भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित हेतु निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण में भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों को भी सम्मिलित करते हुए भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों व उनके आश्रितों को भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में तद्नुसार क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल हेतु की गयी उक्त व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या : 1583(2)/ आठ–1–18, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने से सम्बन्धित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।
5. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धितों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

नजूल भूमि प्रबन्धन

उत्तर प्रदेशशासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4
संख्या–461/आठ–4–2018–55एन/2014
लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल 2018

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये करेत्तर राजस्व की प्राप्तियों के उद्‌देश्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ गत वित्तीय वर्ष 2017–18 की भांति वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित नजूल भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने, रिक्त नजूल भूमि को विक्रय किये जाने तथा पट्टागत नजूल भूमि का वार्षिक लीज रेण्ट जमा कराये जाने से प्राप्त होने वाले राजस्व प्राप्तियों की जनपदवार वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उसका समय–समय पर शासन द्वारा समीक्षा किये जाना अपेक्षित है। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों का वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है जिसकी जनपदवार फॉट, अनुलग्नक–1 में दी गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व प्राप्तियों हेतु लक्ष्य का निर्धारण शासन द्वारा समयक् विचारोपरान्त किया गया है। अतः जनपदवार निर्धारित वार्षिक लक्ष्य एवं मासिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। जनपदवार लक्ष्यों को समयान्तर्गत प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किये जाने के लिये तैयार की गयी कार्ययोजना अनुलग्नक–2 में अवलोकनीय है।

3– नजूल भूमि का प्रबन्धन एवं निस्तारण नजूल नीति के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जाता है। नजूल भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने की दरों एवं नीति में संशोधन विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–01/416/8–4–14–137एन/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं शासनादेश सख्या–03/2015/107/8–4–15–137एन/2013, दिनांक 15 जनवरी, 2015 द्वारा नवीनतम आदेश जारी किया गया है। अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के प्रवृत्त निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि के निस्तारण की कार्यवाही प्रभावी प्रयास करके प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि जनपदवार निर्धारित वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों को समयान्तर्गत प्राप्त किया जा सकें।

कृपया इस सम्बन्ध में मासिक/वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की सूचना संलग्न प्रपत्र–**I** व **II** में प्रत्येक माह की 04 तारीख तक अवश्य शासन को उपलब्ध कराने तथा उसे आवास बन्धु की ई–मेल आई.डी. पर भी awas@up.nic.in उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त्।

भवदीय

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या–461/आठ–4–2018 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
8. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति विभाग की बेव साइट पर अपलोड कराते हुए इसकी प्रति संबंधित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

अनुलग्नक–1

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 का वार्षिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2018–19 का मासिक लक्ष्य
आगरा मण्डल			
1.	आगरा	128.00	10.66
2.	फिरोजाबाद	16.00	1.34
3.	मथुरा	32.00	2.66
4.	मैनपुरी	16.00	1.34
	मण्डल योग	**192.00**	
अलीगढ़ मण्डल			
5.	अलीगढ़	40.00	3.34
6.	महामाया नगर (हाथरस)	1.60	0.13
7.	एटा	1.60	0.13
8.	कासगंज (कांशीराम नगर)	0.00	0.00
	मण्डल योग	**43.20**	
आजमगढ़ मण्डल			
9.	आजमगढ़	0.00	0.00
10.	बलिया	1.60	0.13
11.	मऊ	1.60	0.13
	मण्डल योग	**3.20**	
इलाहाबाद मण्डल			
12.	इलाहाबाद	1600.00	133.34
13.	कौशाम्बी	0.00	0.00
14.	प्रतापगढ़	1.60	0.13
15.	फतेहपुर	1.60	0.13
	मण्डल योग	**1603.20**	
कानपुर मण्डल			
16.	इटावा	1.60	0.13
17.	औरैया	1.60	0.13
18.	कन्नौज	0.00	0.00
19.	कानपुर देहात	0.00	0.00
20.	कानपुर नगर	8.00	0.66
21.	फर्रुखाबाद	8.00	0.66
	मण्डल योग	**19.20**	

गोरखपुर मण्डल			
22.	कुशीनगर	1.60	0.13
23.	गोरखपुर	192.00	16.00
24.	देवरिया	1.60	0.13
25.	महाराजगंज	0.00	0.00
	मण्डल योग	**195.20**	
चित्रकूट धाम मण्डल			
26.	चित्रकूट	1.60	0.13
27.	बांदा	48.00	4.00
28.	महोबा	1.60	0.13
29.	हमीरपुर	8.00	0.66
	मण्डल योग	**59.20**	
झांसी मण्डल			
30.	झांसी	80.00	6.66
31.	जालौन	3.20	0.26
32.	ललितपुर	120.00	10.00
	मण्डल योग	**203.20**	
देवी पाटन मण्डल			
33.	गोण्डा	16.00	1.34
34.	बलरामपुर	0.00	0.00
35.	बहराइच	8.00	0.66
36.	श्रावस्ती	0.00	0.00
	मण्डल योग	**24.00**	
फैजाबाद मण्डल			
37.	अम्बेडकर नगर	1.60	0.13
38.	फैजाबाद	28.80	2.40
39.	बाराबंकी	8.00	0.66
40.	सुल्तानपुर	1.60	0.13
41.	अमेठी	3.20	0.26
	मण्डल योग	**43.20**	
बरेली मण्डल			
42.	पीलीभीत	24.00	2.00
43.	बदायूं	8.00	0.66
44.	बरेली	64.00	5.34
45.	शाहजहांपुर	1.60	0.13
	मण्डल योग	**97.60**	

बस्ती मण्डल			
46.	बस्ती	1.60	0.13
47.	संतकबीर नगर	0.00	0.00
48.	सिद्धार्थ नगर	0.00	0.00
	मण्डल योग	**1.60**	
मुरादाबाद मण्डल			
49.	अमरोहा (ज्योतिबाफूले नगर)	0.00	0.00
50.	बिजनौर	1.60	0.13
51.	मुरादाबाद	9.60	0.80
52.	रामपुर	6.40	0.53
53.	सम्भल	0.00	0.00
	मण्डल योग	**17.60**	
मेरठ मण्डल			
54.	गाजियाबाद	0.00	0.00
55.	गौतमबुद्ध नगर	0.00	0.00
56.	बागपत	0.00	0.00
57.	बुलन्दशहर	120.00	10.00
58.	मेरठ	16.00	1.34
59.	हापुड़	0.00	0.00
	मण्डल योग	**136.00**	
लखनऊ मण्डल			
60.	उन्नाव	1.60	0.13
61.	लखीमपुर खीरी	8.00	0.66
62.	रायबरेली	16.00	1.34
63.	लखनऊ	1280.00	106.66
64.	सीतापुर	16.00	1.34
66.	हरदोई	8.00	0.66
	मण्डल योग	**1329.60**	
वाराणसी मण्डल			
66.	गाजीपुर	1.60	0.13
67.	चन्दौली	0.00	0.00
68.	जौनपुर	1.60	0.13
69.	वाराणसी	1.60	0.13
	मण्डल योग	**4.80**	

मिर्जापुर मण्डल			
70.	मिर्जापुर	8.00	0.66
71.	सन्त रविदास नगर (भदोही)	0.00	0.00
72.	सोनभद्र	3.20	0.29
	मण्डल योग	**11.20**	
सहारनपुर मण्डल			
73.	सहारनपुर	16.00	1.34
74.	मुजफ्फरनगर	0.00	0.00
75.	शामली	0.00	0.00
	मण्डल योग	**16.00**	
	महायोग	**4000.00**	

नोट :

जनपद कासगंज/आजमगढ़/कौशाम्बी/कन्नौज/कानपुर देहात/महाराजगंज/बलरामपुर/श्रावस्ती/हापुड़/सन्तकबीर नगर/बागपत/चन्दौली/सन्तरविदासनगर/मुजफ्फरनगर/सिद्धार्थनगर/अमरोहा/शम्भल/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर (19 जनपद) में नजूल भूमि न होने की सूचना के आधार पर लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

अनुलग्नक–2

नजूल भूमि के निस्तारण से राजस्व प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की कार्य योजना।

1. नजूल सम्बन्धी अभिलेखों का समुचित रख–रखाव जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जाये और नजूल रजिस्टर का डिजीटाइजेशन कराया जाये।
2. जनपदों की समाप्त पट्टे की नजूल भूमि पर नियमानुसार पुर्नप्रवेश करके उसका निस्तारण नीलामी/निविदा के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जाये।
3. फ्री–होल्ड विषयक प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किया जाये और इसकी सूचना प्रत्येक माह प्रपत्र–II में दी जाये।
4. नजूल फ्री–होल्ड नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाये।
5. रिक्त नजूल भूमि का समाचार पत्रों में विज्ञप्ति/नीलामी/निविदा का प्रकाशन कराकर समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाये।
6. नजूल फ्री–होल्ड के ऐसे मामले जहाँ प्रकरण मा. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उन मामलों में शासन का पक्ष रखते हुए प्रतिशपथ–पत्र दायर किया जाये तथा यदि स्थगन आदेश हो, तो उसका प्रभावी पैरवी कर निरस्त कराया जाये ताकि प्रकरण से सम्बन्धित नजूल भूमि फ्री–होल्ड की जा सके।
7. अवैध कब्जों को नियमानुसार रिक्त कराकर उसका नीलामी/निविदा द्वारा निस्तारण किया जाये।
8. प्रत्येक माह नजूल भूमि के फ्री–होल्ड/बिक्री/नीलामी निविदा/लीजरेन्ट से प्राप्त राजस्व की सूचना प्रपत्र–I में शासन को भेजी जाये।

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

प्रपत्र–I

जनपद का नाम

रिपोर्टिंग माह–

(लाख रुपये में)

<u>वित्तीय वर्ष 2018–19 में वार्षिक/मासिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का विवरण।</u>

वित्तीय वर्ष 2018–19 का वार्षिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2018–19 का मासिक लक्ष्य	आलोच्य माह में उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 2018–19 के आलोच्य माह तक कुल क्रमित उपलब्धि	राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5

प्रपत्र–II

जनपद का नाम– ....

रिपोर्टिंग माह– ....201.......

<u>वित्तीय वर्ष 2018–19 में नजूल भूमि के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण।</u>

प्राप्त आवेदन पत्र			निस्तारित (स्वीकृत / निरस्त)			कुल लम्बित (संख्या)	02 माह से पुराने लम्बित (संख्या)	लम्बित / प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने का कारण
पिछले माह तक (संख्या)	आलोच्य माह में (संख्या)	योग (संख्या)	पिछले माह तक (संख्या)	आलोच्य माह में (संख्या)	योग (संख्या)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

महायोजनाएँ

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8

संख्या–620/आठ–8–18–28 एल.यू.सी./2014

लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार मथुरा–वृन्दावन विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–ख) में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र क्रमशः ''हिन्दुस्तान'' एवं ''दैनिक राजपथ'' के स्थानीय संस्करण दिनांक 09.06.2015 में प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)–1974 (उ.प्र. अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मथुरा–वृन्दावन विकास क्षेत्रान्तर्गत, मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–ख) में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में उनके सम्मुख अंकित भू–प्रयोग हेतु नियमानुसार संशोधन की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त भूमि पर ग्रामीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी) की स्थापना से सम्बन्धित राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अनुमति प्राप्त कर लेंगे :–

अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.में)	महायोजना में वर्तमान भू–उपयोग	परिवर्तित भू–उपयोग
अकबरपुर	छाता	मथुरा	458	0.405	कृषि	सामुदायिक सुविधाएँ
कुल योग (हे.में)				**0.405**		

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–620(1)/आठ–8–18–28एल.यू.सी./2014

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक 15.06.2018 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05–05 प्रतियाँ उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

संख्या–620(2)/आठ–8–18–28एल.यू.सी./2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. जिलाधिकारी, मथुरा।
3. उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी), ग्राम व पोस्ट–चौमुहाँ, मथुरा।
6. गार्ड फाइल/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8

संख्या–1343/आठ–8–18–39 एल.यू.सी./2018

लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार मथुरा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–ख) में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों ''दैनिक जागरण'' व ''अमर उजाला'' के संस्करण में दिनांक 17.03.2018 में प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त आपत्तियाँ जिस पर सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.04.18 को विधिवत सुनवाई के उपरान्त आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)–1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–ख) में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में प्रधानमन्त्री आवास योजना के प्रयोजनार्थ उनके सम्मुख अंकित भू–उपयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं :–

अनुसूची

क्र. सं.	ग्राम/तहसील	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे.में)	परियोजना हेतु चिन्हित कुल क्षेत्रफल (हे.में)	वर्तमान भू–उपयोग	परिवर्तित भू–उपयोग
1	बैठनखुर्द/छाता	1120 मि.	8.094	2.000	कृषि	आवासीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–   /आठ–8–18–39एल.यू.सी./2018

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक ....के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05–05 प्रतियाँ उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

संख्या–1343(2)/आठ–8–18–39 एल.यू.सी./2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
2. जिलाधिकारी, मथुरा।
3. उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8

संख्या–1269/आठ–8–18–25 एल.यू.सी./2016

लखनऊ : दिनांक : अगस्त, 2018

अधिसूचना

चूँकि सूचना संख्या–393/आठ–8–18–25एल.यू.सी./16, दिनांक 23.04.2018 के क्रम में राज्य सरकार बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली महायोजना–2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र क्रमशः ''हिन्दुस्तान'' एवं ''दैनिक जागरण'' के स्थानीय संस्करण दिनांक 17.05.2018 व 18.05.2018 में प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)–1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, बरेली विकास क्षेत्रान्तर्गत, बरेली महायोजना–2021 में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में उनके सम्मुख अंकित भू–प्रयोग ग्रामीण स्वरोजगार ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (आर–सेटी) की स्थापना के उद्देश्य से निम्नानुसार संशोधन करते हैं :–

अनुसूची

क्र. सं.	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	महायोजना–2021 में भू–उपयोग	परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भू–उपयोग
1	भोजीपुरा जिला–बरेली	413 मि.	1509.65	हरित पट्टिका	सामाजिक सुविधाएँ उपयोगिताएँ एवं सेवाएं (प्रथम)
2	भोजीपुरा जिला–बरेली	413 मि.	1509.65	कृषि	हरित पट्टिका
3	भोजीपुरा जिला–बरेली	413 मि.	82.08	कृषि	सामाजिक सुविधाएँ उपयोगिताएँ एवं सेवाएं (प्रथम)

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–   (1) / आठ–8–18–25एल.यू.सी. / 16 तद्‌दिनांक!

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक.....................................के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को 05–05 प्रतियाँ उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

संख्या–1269(2) / आठ–8–18–25एल.यू.सी. / 16 तद्‌दिनांक!

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
2. जिलाधिकारी, बरेली।
3. उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाइट के उपयोगार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–598/आठ–3–17–06 महा/14
लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–1172/8–3–14–107 विविध/10 लखनऊ दिनांक 22 जुलाई, 2014 के द्वारा गठित समिति को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है :–

1.	सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (जो आवास बन्धु में अधिशासी निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत हों)	अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.	सदस्य
3.	प्रधानाचार्य, राजकीय आर्कीटेक्चर कालेज, लखनऊ	सदस्य
4.	निदेशक, आवास बन्धु।	सदस्य/संयोजक
5.	सलाहाकार नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य
6.	मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।	सदस्य

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसकी प्रतियाँ समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से भेजने/यथानिर्दिष्ट समिति की बैठकें आहूत किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–1458/8–3–18–170 विविध/17 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 30 अगस्त, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

उ.प्र. के नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत समस्त महायोजनाओं के जोनल प्लान्स को निजी कन्सलटेन्ट्स के माध्यम से तैयार कराये जाने के लिए शासनादेश संख्या–1034/8–3–18–170 विविध/17, टी.सी., दिनांक 04.07.2018 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में गठित ''कन्सलटेन्ट्स चयन एवं अनुश्रवण समिति'' (CSRC) को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1.	आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र.	अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.	सदस्य
3.	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	मुख्य नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	वित्त नियंत्रक, मुख्यालय, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
6.	सलाहकार (नियोजन) आवास बन्धु	सदस्य
7.	किसी ख्याति प्राप्त इन्स्टीट्यूट के नगर नियोजन में अनुभवी प्रोफेसर।	सदस्य
8.	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य सचिव

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र.।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त, विशेष विकास प्राधिकरण (साडा)।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ
7. निदेशक, आवास बन्धु को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की शासनादेश की प्रति विभाग की शासकीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या : 1374 / आठ–8–17–60 एल.यू.सी. / 2017

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनांक : 29, 2017**

विषय : उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अधीन महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था है। महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–2281 / 8–3–14–194विविध / 14, दिनांक 11.12.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुक्ल का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 बनायी गयी है। प्रायः यह देखने में आया है कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किये जाने तथा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेखों को संलग्नकर एवं निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते हैं। फलस्वरूप अपूर्ण प्रस्तावों के कारण भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है और उन प्रकरणों में शासन स्तर पर निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में विहित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए निम्नांकित स्वच्छ / पठनीय एवं हस्ताक्षरित सूचना / अभिलेखों को संरक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये–

(1) भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के प्रस्तर–5(1) में संलग्न निर्धारित प्रारूप (क से ड़ के अनुसार) पर भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र।

(2) भूस्वामित्व सम्बन्धी प्रमाणित अभिलेख।

(3) प्राधिकरण की बोर्ड के निर्णय / संस्तुति की प्रति।

(4) भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व मानचित्र, महायोजना का रंगीन मानचित्र, महायोजना में सुपर इम्पोज रंगीन मानचित्र, महायोजना के पार्ट मानचित्र पर ले–आउट प्लान का रंगीन मानचित्र।

(5) प्रदेश में व्यक्ति/संस्था के स्वामित्व में कुल भूमि का क्षेत्रफल।

(6) प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु भूमि के निर्विवाद होने/लम्बित वाद की स्थिति।

(7) प्रस्तावित भू–उपयोग की भूमि के मध्य शासकीय/सार्वजनिक भूमियों की स्थिति, यदि कोई शासकीय भूमि नहीं हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र।

(8) यदि शासकीय/सार्वजनिक भूमियाँ प्रस्तावित भू–उपयोग के मध्य स्थित हैं, तो उसके व्यवस्थापन की विधि।

(9) प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन से महायोजना पर प्रभाव की स्थिति।

(उक्त कार्यवाही उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13(3) के प्रस्ताव हेतु की जायेगी।)

(10) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13(2) के अधीन कार्यवाही हेतु जब प्रस्ताव प्रेषित किया जाय तो जन–सामान्य से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति भी निर्धारित चार्ट पर समिति की संस्तुति तथा मन्तव्य के साथ प्रेषित की जाय।

3– स्पष्ट किया जाता है कि चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं की स्पष्ट स्थिति के बिना यदि प्रस्ताव शासन में प्रेषित किये जाते हैं तो प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

भवदीय

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

संख्या : 1374(1)/ आठ–8–17–60एल.यू.सी./2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

जोनिंग रेगुलेशन्स

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–54/8–3–18–06 महा/2014
लखनऊ : दिनांक : 08 जनवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–598/8–3–2017–06 महा/14 दिनांक 13 जून, 2017 के द्वारा गठित समिति को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है :–

1.	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.	सदस्य/संयोजक
3.	प्रधानाचार्य, राजकीय आर्कीटेक्चर कालेज, लखनऊ	सदस्य
4.	सलाहाकार नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य
6.	मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।	सदस्य

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

संख्या–54(1)/8–3–18–06 महा/2014 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समिति की बैठकें आहूत किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक (सिस्टम), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधित को अपने स्तर से तामील कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या : 1034 / 8–3–18–170विविध / 17 टी.सी.

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।

2. **समस्त अध्यक्ष**
   विशेष विकास प्राधिकरण (साडा)

3. **अधिशासी निदेशक,**
   आवास बन्धु,
   उ.प्र., लखनऊ

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उ.प्र., लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2018**

विषय : जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के समस्त विकास क्षेत्रो की महायोजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–9 तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–8 के अन्तर्गत जोनल प्लान बनाये जाने अनिवार्य हैं, परन्तु अपरिहार्य कारणों से अधिकांश महायोजनाओं के अन्तर्गत जोनल प्लान तैयार नहीं किए गये हैं। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि कतिपय प्राधिकरणों द्वारा अपने–अपने स्तर से निजी कन्सलटेन्ट्स से जोनल प्लान तैयार कराये जा रहे हैं, परन्तु प्रदेश स्तर पर ऐसे जोनल प्लान्स में एकरूपता नहीं होगी जिसके कारण प्रदेश स्तर पर नगर नियोजन सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिए समग्र विश्लेषण किया जाना कठिन होगा। भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत विकास प्राधिकरणों से आच्छादित अधिकांश नगरों की महायोजनाओं को जी. आई.एस. प्रौद्योगिकी पर तैयार कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। जोनल प्लान्स को ऐसी जी.आई.एस. आधारित महायोजनाओं के साथ समन्वय करके तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कामन पोर्टल पर महायोजनाओं एवं जोनल प्लान्स के मेटा डाटा को सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकियों एवं संसाधनों से इन जोनल प्लान्स को उपरोक्तानुसार अत्यन्त लघु अवधि में तथा सुगमता से तैयार किया जा सकता है।

2– उक्त की पृष्ठभूमि में शासन द्वारा विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) उत्तर प्रदेश के समस्त विकास क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों की महायोजना के जोनल डेवलपमेंट प्लान निजी विशेषज्ञ कन्सलटेन्ट्स के सहयोग से जी.आई.एस. तकनीक पर तत्काल तैयार कराए जायें।

(ख) प्रदेश के समस्त जोनल प्लान्स के फार्मेट यथा–नियोजन नार्मस, इनडेक्सिंग / लीजेंड, बेस मैप इत्यादि में एकरूपता रखने जाने के लिए जी.आई.एस. प्रौद्योगिकी हेतु आवश्यक ''डिजाइन एवं स्टैन्डर्ड'' संलग्न हैं। जिन प्राधिकरणों द्वारा जोनल प्लान्स तैयार करवाये जा रहे हैं व उक्त ''डिजाइन एवं स्टैन्डर्ड'' के अनुसार जोनल प्लान में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करें।

(ग) अमृत योजनान्तर्गत तैयार कराई जा रही महायोजनाओं के लिए सेटेलाइट इमेजरी का क्रय, इनका डिजिटाईजेशन इत्यादि कार्यवाहियाँ NRSC हैदराबाद द्वारा भारत सरकार के वित्तीय अनुदान से कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत तैयार होने वाले डाटा का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए ताकि प्राधिकरणों

को अनावश्यक धनराशि व्यय न करनी पड़े तथा कार्यों की डुप्लीकेसी न हो। अतः जोनल प्लान्स को यथासम्भव भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत तैयार कराई जा रही महायोजनाओं के लिए साथ डवटेल किया जाये।

(घ) जोनल प्लान्स को तैयार करने के लिए निजी विशेषज्ञ कन्सल्टेन्ट का चयन करने हेतु ई—निविदा की कार्यवाही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. द्वारा की जाए, जिसके लिए आवश्यक RFP cum RFQ document को नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकर द्वारा AMRUT योजनान्तर्गत GIS Based Master Plan हेतु तैयार किये गये Template के आधार पर तैयार किया जाये। जोनल प्लान्स को तैयार कराने के लिए प्रत्येक प्राधिकरण में उपलब्ध सुसंगत डाटा, अमृत योजना से तत्काल प्राप्त होने वाला जी.आई.एस. का डाटा इत्यादि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके ही RFP cum RFQ document को अन्तिम रूप दिया जाये, इस हेतु समस्त प्राधिकरण वांछित सूचनायें संलग्न प्रारूप पर तत्काल नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. को उपलब्ध करायें।

(ङ) ई—निविदा के माध्यम से कन्टेन्ट्स का चयन करने के लिए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. की अध्यक्षता में निम्न ''कन्सल्टेन्ट्स चयन एवं अनुश्रवण समिति'' (CSRC) गठित की जाती है :—

1.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.	अध्यक्ष
2.	सलाहकार (नियोजन), आवास बन्धु	सदस्य
3.	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	मुख्य नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	किसी ख्याति प्राप्त इन्स्टीट्यूट के नगर नियोजन में अनुभवी प्रोफेसर	सदस्य
6.	वित्त नियन्त्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
7.	नगर नियोजक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.	सदस्य / सचिव

(च) कन्सलटेन्ट्स के चयन प्रक्रिया में CSRC को सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. की अध्यक्षता में निम्न ''टेक्निकल इवेलुऐशन कमेटी'' (TEC) गठित की जाती है :—

1.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित अध्यक्ष / उपाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3.	सम्बन्धित प्राधिकरण के नियोजन प्रभारी	सदस्य
4.	सम्बन्धित प्राधिकरण के वित्तीय कार्य से सम्बन्धित मुख्य अधिकारी	सदस्य
5.	किसी ख्याति प्राप्त इन्स्टीट्यूट के नगर नियोजन में अनुभवी प्रोफेसर	सदस्य
6.	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. के सम्बन्धित वरिष्ठ नियोजक	सदस्य

(छ) प्रत्येक महायोजना के अन्तर्गत ड्राफ्ट जोनल प्लान तैयार करने की सम्पूर्ण कार्यवाही 05 से 06 माह में पूर्ण की जाये।

(ज) समस्त जोनल प्लान्स को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. के तकनीकी मार्गदर्शन में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा तैयार कराया जाये। कन्सल्टेन्ट्स का भुगतान सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा RFP cum RFQ document में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं समय सारिणी के अनुसार किया जाये।

(झ) जोनल प्लान्स को तैयार किये जाने की प्रक्रिया का अनुश्रवण अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

3– कृपया उपरोक्त व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक :

1. Design & Standards for GIS based plans.
2. जोनल प्लान्स हेतु सूचना प्रपत्र।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निदेशक, आवास बन्धु, को शासनादेश की प्रति विभाग की शासकीय वेबसाइट में तत्काल अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

: जोनल प्लान तैयार करने हेतु सूचना प्रपत्र :

प्राधिकरण का नाम : ....

महायोजना का नाम	सम्बन्धित नगर का नाम	लागू महायोजना की अवधि	महायोजना में चिन्हित जोन्स की संख्या	जोन्स का नाम	जोन का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जोनल प्लान की अद्यतन स्थिति (यदि प्राधिकरण स्तर पर तैयार किये जा रहे हैं)	महायोजना डिजिटाइज्ड फार्मेट में उपलब्ध है अथवा नहीं (Auto CAD or GIS पर)	बेस मैप की स्थिति (उपलब्ध है अथवा नहीं)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.			उदाहरण : कुल 05 जोन्स	(1)					
				(2)					
				(3)					
				(4)					
				(5)					
2.			उदाहरण : कुल 04 जोन्स	(1)					
				(2)					
				(3)					
				(4)					

नोट : 1. महायोजना के भू–उपयोग मानचित्र पर प्रदर्शित प्रत्येक जोन का मानचित्र (हार्ड प्रति व पीडीएफ फार्मेट साफ्ट प्रति) संलग्न करें।

2. यदि महायोजना में जोन्स का प्लान नहीं है तो महायोजना के भू–उपयोग मानचित्र पर प्राधिकरण की प्रशासनिक आवश्यकता एवं नियोजन के दृष्टिकोण से विवेकपूर्ण जोन्स की संख्या एवं जोन्स की सीमा को चिन्हांकित करके प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर उपलब्ध कराया जाये। ऐसे प्रस्ताव जो प्रचलित महायोजना में संशोधन होंगे, हेतु शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा।

3. यदि जोनल प्लान को निजी कन्सल्टेन्ट के माध्यम से तैयार किये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से की जा रही है तो कार्य पूर्ण होने की अवधि का उल्लेख करें।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–208/8–3–17–04 एल.यू.सी./10
लखनऊ : दिनांक : 17 मार्च, 2017

शुद्धि–पत्र

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन प्रवृत्त महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में ''यातायात एवं परिवहन'' भू–उपयोग में ''सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी.पी.पी.)'' के आधार पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन के अन्तर्गत क्रियाओं की अनुमन्यता में संशोधन करने हेतु जारी अधिसूचना सं.–2304/8–3–13–04 एल.यू.सी./2010, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 जारी की गयी थी।

उपर्युक्त अधिसूचना में प्रभाव शुल्क के आंकलन हेतु भूमि के क्षेत्रफल की गणना में कतिपय विसंगति प्रकाश में आयी है, जिसके निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना के प्रस्तर 2(III) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

प्रस्तर 2(III) प्रभाव शुल्क की धनराशि प्रस्तर 2(II) में उल्लिखित मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत सिनेमा हाल्स तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाओं यथा टिकट विन्डो, स्नैक स्टाल, वेटिंग लाउन्ज एवं प्रसाधन आदि के तल क्षेत्रफल को बस स्टेशन हेतु अनुमन्य बेसिक एफ.ए.आर. से विभाजित करने पर प्राप्त भूमि के क्षेत्रफल पर देय होगी तथा इसकी गणना सम्बन्धित नगर के महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु निर्धारित फार्मूले के अनुसार की जाएगी।

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

संख्या : 1433/8–3–16–219विविध/2013

प्रेषक,

सदा कान्त,

अपर प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,

लखनऊ।

3. उपाध्यक्ष

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक : 02 जनवरी, 2017

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत चिकित्सा उपयोग के भवनों की ऊँचाई के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–119/आठ–1–8, दिनांक 05.01.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों एवं अन्य विभाग, जो भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करते हैं, को नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अद्यावधिक दिशा–निर्देशों एवं अन्य प्राविधानों को अपनाए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। परन्तु फील्ड स्तर पर यह भ्रम बना हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड को पूर्णरूपेण पालन किए जाने के निर्देश हैं, जबकि शासन स्तर से वर्ष 2008 में आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि जारी की जा चुकी है, जिसके प्रस्तर–3.4.5 (II) में भवनों की अधिकतम ऊंचाई के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है :–

"किसी भी भवन की अधिकतम ऊँचाई इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि 30 मीटर से कम चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई मार्ग की विद्यमान चौड़ाई तथा फ्रन्ट सेटबैक के योग के 1.5 गुना से अधिक नहीं होगी। परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरिटेज स्थल से दूरी, एअरपोर्ट फलन जोन तथा अन्य स्टेच्यूट्री प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।"

2– इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का उपरोक्त प्राविधान चिकित्सा सहित अन्य सभी उपयोगों के भवनों की ऊँचाई हेतु समान रूप से लागू हैं। उक्त उपविधि के प्रस्तर–1.3 (II) में यह भी व्यवस्था है कि विकास एवं निर्माण सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाएँ/प्राविधान जो इस उपविधि में नहीं है, के सम्बन्ध में, नेशनल बिल्डिंग कोड तथा आई.एस./बी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा। वर्णित स्थिति में शासनादेश दिनांक 05.01.2008 सार्थक न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा सहित विभिन्न उपयोगों से सम्बन्धित भवन मानचित्रों का निस्तारण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करें।

भवदीय

सदा कान्त
अपर मुख्य सचिव

<u>**पत्रांक एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या : 190/आठ–7–2017/03एस.ए.वाई. 2017

प्रेषक,

सदाकान्त

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।
3. **अधिशासी निदेशक,**
   आवास बन्धु, उ.प्र.
4. **अध्यक्ष**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।
5. **नियंत्रक प्राधिकारी**
   समस्त विनियमित क्षेत्र, उ.प्र.

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 03 अप्रैल, 2017**

विषय : अफोर्डेबल हाऊसिंग नीति के अन्तर्गत आवास निर्माण की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 73/2965/आठ–1–14–34/बैठक/2014, दिनांक 12.12.2017 एवं शासनादेश संख्या 74/3492/आठ–1–14–34/बैठक/14, दिनांक 12.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा ''अफोर्डेबल हाउसिंग नीति'' के अधीन आवास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2. विदित है कि निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवास बन्धु में पंजीकरण कराकर इस योजना को क्रियान्वित किए जाने का दायित्व दिया गया था तथा इस योजनान्तर्गत निजी विकासकर्ताओं को कतिपय रियायतें यथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट, विकास शुल्क में छूट, उच्च एफ.ए.आर. एवं घनत्व के रूप में इन्सेंटिव प्रदान किए गये थे। परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस योजनान्तर्गत यद्यपि 111 विकासकर्ताओं का पंजीकरण किया जा चुका है तथा 42 योजनाओं की डी.पी.आर. शासन द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित की जा चुकी हैं तथापि सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा विकास एवं भवन निर्माण कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है।

3. आवास बन्धु में संकलित सूचना के अनुसार आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं हो पा रही है, जो चिन्ता का विषय है। आवास आयुक्त, सभी उपाध्यक्षों/अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्राधिकरण के स्तर पर तत्काल समीक्षा बैठक आयोजित करें। जिन विकासकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन है उनसे प्रयास किया जाये कि वह शीघ्र डी.पी.आर. बनाकर उसका अनुमोदन प्राप्त करें। जिन विकासकर्ताओं का डी.पी.आर. स्वीकृत करा लिया है उन्हें राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार मकानों

के निर्माण का कार्य शीघ्र करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि डी.पी.आर. के अनुमोदन के पश्चात् विकासकर्ताओं द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है। एक बार राज्य से लाभ प्राप्त करने के पश्चात् इस दिशा में कोई रुचि न लेना अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः समीक्षा करके इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। यदि आवश्यक हो तो संबंधित विकासकर्ताओं को चिन्हित करते हुए उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय और फिर भी सुधार न होने पर कार्यवाही का निर्णय कराया जाय।

4. भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना होगा। अतः जो विकासकर्ता अभी तक इस दिशा में कार्य नहीं कर सके हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए अपने विकल्प प्रस्तुत करने चाहिए। इसका भी परीक्षण कर लिया जाये।

शीघ्र ही एक बैठक लखनऊ में आयोजित होगी, जिसमें इन बिन्दुओं पर विचार–विमर्श होगा। अतः कृपया फील्ड स्तर पर इस योजना की समीक्षा और विश्लेषण करके आगे की रणनीति बना लें और कार्यवाही करने की दिशा में मन्तव्य स्थिर कर लिया जाये। यह कार्य आवास बन्धु द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

सदाकान्त

अपर मुख्य सचिव

संख्या : 1241/8–3–17–34विविध/2008

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
3. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017**

विषय : AMRUT योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि AMRUT योजना के अन्तर्गत नगरीय सुधारों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business के अन्तर्गत भारत सरकार के Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) कतिपय संशोधन अपेक्षित हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–57 के अधीन AMRUT योजना के अन्तर्गत नगरीय सुधारों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business के अन्तर्गत भारत सरकार के Business Reform Action Plan 2017 की अपेक्षाओं एवं उक्त के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संलग्नक के अनुसार सम्यक् विचारोपरान्त संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार कर उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या : 1241(1)/8–3–17–34विविध/2008–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

शासनादेश संख्या : 1241/8–3–17–34विविध/2008, दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

1. अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज–2016 (Water reuse and recycling) के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर 3.1.2.3 (xvi) बढ़ा दिया जायेगा :–

प्रस्तर 3.1.2.3 (xvi)

''समस्त उपयोगों के भूखण्ड जिनमें न्यूनतम 10 हजार लीटर प्रतिदिन का वाटर डिस्चार्ज हो, में 'वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम'/'रिसाइक्ल्डि वाटर' का सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।''

2. अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बाईलॉज–2016 (Sustainable Waste Management) के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर 3.1.2.3 (xvii) बढ़ा दिया जायेगा :–

प्रस्तर 3.1.2.3 (xvii)

''500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों (ग्रुप हाउसिंग सहित) तथा समस्त गैर–आवासीय भवनों में कूड़ा प्रबन्धन हेतु भूखण्ड के प्रवेश द्वार के समीप भूतल पर दो प्रकार के (Biodegradable and non-biodegradable) डस्टबिन की व्यवस्था की जायेगी ताकि स्थानीय निकाय द्वारा प्रतिदिन डस्टबिन से कूड़ा एकत्र कर वार्ड अथवा सेक्टर लेवल पर ही प्रोसेस करके फ्यूल केक, खाद, पेपर इत्यादि तैयार किया जाना आसान हो।''

3. अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज–2016 (Climate Resient Construction-Integration of Environmental Clearance with Sanction) के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर 3.11.10 बढ़ा दिया जायेगा :–

नया प्रस्तर 3.11.10

''5000 वर्गमीटर से 150000 वर्गमीटर बिल्ट–अप क्षेत्रफल वाले भवनों में पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिगत परिशिष्ट–15 से परिशिष्ट–17 तक में वर्णित पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।''

4. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Stipulate that Building plan approval is provided within 30 days के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में नीचे कालम–1 के स्थान पर कालम–2 का प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

1	2
प्रस्तर–3.1.3.3 अन्य भवन	प्रस्तर–3.1.3.3
(I) व्यवसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य (औद्योगिक को छोड़कर) के मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे परन्तु 90 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गई, तो भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, बशर्ते वह महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार हो। स्वतः स्वीकृति के मामलों में सम्बन्धित निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।	(I) व्यवसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य के मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे परन्तु 30 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गई, तो भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, बशर्ते मानचित्र पर अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित हो कि मानचित्र महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है।
(III) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भी 90 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिए जायेंगे कि निर्माणकर्ता विकास प्राधिकरण व ऐसे	(III) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भी 30 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिए जायेंगे कि निर्माणकर्ता विकास प्राधिकरण व

विभाग, जिनकी अनापत्ति/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त कराकर अपने रिस्क पर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ करा सकता है, परन्तु उसे अनापत्ति हेतु अवशेष विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें और उसमें लगाई गई शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करें।	ऐसे विभाग, जिनकी अनापत्ति/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त कराकर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ करा सकता है, परन्तु उसे अनापत्ति हेतु अवशेष विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें और उसमें लगाई गई शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करें।

5. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Stipulate that Plinth inspection is done 7 days of intimation के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर–3.1.6 (क) बढ़ा दिया जायेगा :–

नया प्रस्तर–3.1.6 (क) निर्माण कार्य का निरीक्षण/जाँच
भवन निर्माण के समय स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मौके पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत समस्त आवासीय भूखण्डों को छोड़कर शेष समस्त श्रेणी के भवनों का प्लिन्थ लेवल तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन स्वामी/निर्माणकर्ता स्थल के जी.पी.एस. को आर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ्स शासकीय अभिकरण को अपलोड कर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ इस आशय का एफीडेविट (परिशिष्ट–18) भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार ही निर्माण किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर–3.1.1 के अन्तर्गत वर्णित अनुज्ञा से आच्छादित कार्य तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–52 के अन्तर्गत अनुमन्य निर्माण से इतर निर्माण कराया गया है तो शासकीय अभिकरण द्वारा सील कर दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा। फोटोग्राफ्स प्राप्त होने पर प्रभारी अभियन्ता द्वारा 48 कार्यालय घन्टे में स्थल निरीक्षणोपरान्त भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण से विचलन/त्रुटि/गलत पाये जाने पर तत्काल उसे नोटिस दी जाएगी (परिशिष्ट–19)। इसके साथ ही प्रभारी अभियन्ता द्वारा अपनी आख्या उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उक्त आख्या के सापेक्ष स्थल पर विचलन/त्रुटि का निर्धारण उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा तथा विचलन पाये जाने पर निर्माण कार्य को सीलबन्द कर दिया जाएगा। यह कार्यवाही अधिकतम 07 कार्य दिवस में सुनिश्चित की जाएगी।

6. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Stipulate that Final completion occupancy certificate is provided within 8 days के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में नीचे कालम–1 के स्थान पर कालम–2 का प्राविधान प्रतिस्थापित किया जाता है–

1	2
अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–3	**अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–3**
पूर्णता की नोटिस प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय–समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार ''रेन्डम बेसिस'' पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा। किन्तु व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों की जांच/परीक्षण किया जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा	पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 07 कार्य–दिवस में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय–समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार ''रेन्डम बेसिस'' पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा, किन्तु व्यवसायिक, बहुखण्डी एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों

प्रतिशत निर्धारण एवं ''रेन्डम सलेक्शन'' की प्रक्रिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जांच नहीं की जाएगी।	की जांच/परीक्षण किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रतिशत निर्धारण एवं ''रेन्डम सलेक्शन'' की प्रक्रिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जांच नहीं की जाएगी।
अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–4	**अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–4**
अनुज्ञापित व्यक्ति/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जांच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।	अनुज्ञापित व्यक्ति/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जांच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर 01 कार्य–दिवस में पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।
अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–5	**अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–5**
जांच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 60 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा निस्तारण न किए जाने की दशा में आवेदक द्वारा प्राधिकरण को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिन का एक नोटिस दिया जायेगा। इस अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमात्र पत्र निस्तारित न किए जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड एप्रूव्ड) माना जायेगा।	पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम सात कार्य–दिवस में जांच/परीक्षण कर स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र के अनुरूप मौके पर विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन को अस्वीकार करते हुए अपेक्षित संशोधनों सहित आवेदक को आवेदन करने के 08 कार्य–दिवस में सूचित कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड एप्रूव्ड) माना जायेगा।

7. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Online building map sanction के लिए तैयार साफ्टवेयर के संचालन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में नीचे कालम–1 के स्थान पर कालम–2 का प्राविधान प्रतिस्थापित किया जाता है–

1	2
प्रस्तर–3.1.3.1	**प्रस्तर–3.1.3.1**
(i) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले आउट प्लान के अन्तर्गत 300 वर्ग मी. क्षेत्रफल तक के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र दाखिल किये जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे, यदि मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो तथा उस पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपविधियों के अनुसार है। किन्तु विभिन्न मदों में वांछित शुल्क यथा–मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क आदि नियमानुसार जमा करना आवश्यक होगा।	(i) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले आउट प्लान में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत समस्त आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र दाखिल किये जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे एवं स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख 02 कार्य दिवस में उपलब्ध करा दिये जायेंगे। उक्त भवन मानचित्र प्राधिकरण प्रदत्त एवं अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध (डाउनलोडेबल) स्टैण्डर्ड डिजाइन के अनुरूप होने पर अथवा अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किये जाने तथा उस पर यह प्रमाण

	पत्र अंकित किये जाने कि प्रस्तावित निर्माण／पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपविधियों के अनुसार है, मान्य होंगे। इस हेतु विभिन्न मदों में वांछित शुल्क यथा–मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क आदि नियमानुसार जमा करना आवश्यक होगा।
(iii) 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासी भूखण्डों के मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रस्तुत मानचित्र 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे बशर्ते वह महायोजना／परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार हों तथा सभी सम्बन्धित विभागों यथावश्यक अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए.एस.आई. आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो। स्वतः स्वीकृति के मामलों में सम्बन्धित निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।	(iii) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं／ले–आउट प्लान में भू–खण्डीय विकास के मानचित्रों को छोड़कर अन्य समस्त आवासीय भूखण्डों के मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रस्तुत मानचित्र 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे बशर्ते अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाण अंकित हों कि मानचित्र महायोजना／परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है तथा सभी सम्बन्धित विभागों यथावश्यक अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए. एस.आई. आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

Environmental Conditions for Building and Construction

(Category "A": 5000 sqmt-20000 sqmt)

S.No.	Medium	Environmental conditions
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
2	Water conservations-Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be edsigned where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be prpvoded. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.
3	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
4	Energy	In common areas, LED/solar lights must be provided.
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.
5(a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1.3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.

Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "B": 20000 sqmt-50000 sqmt)

S.No.	Medium	Environmental conditions
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
2	Water conservations-Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be prpvoded. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.
3	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
4	Energy	In common areas, LED/solar lights must be provided.
4(a)		At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid should be provided.
4(b)		As per the provisions of the Ministry of New and Renewable energy solar water heater of minimum capacity 10 litres/4 persons (2.5 litres per capita) shall be installed.
4(c)		Use of flyash bricks: Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from tims to time.
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.
5(a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1.3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.

Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "C": 50000 sqmt-150000 sqmt)

S.No.	Medium	Environmental conditions
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
2	Water conservations- Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be prpvoded. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.
2(b)		The ground water shall not be withdrawn without approval from the competent authority
2(c)		Use of potable water in construction should be minimized.
2(d)		Low flow fixtures and sensors must be used to promote water conservation.
2(e)		Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system.
3	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
3(a)		All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie-up must be done with the authorized recyclers.
3(b)		Organic waste composter/vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 Kg/tenement/day must be installed wherein the STP sludge may be used to be converted to manure which could be used at the site or handed over to authorized recyclers for which a written tie-up must be done with the authorized recyclers.
4	Energy	In common areas, LED/solar lights must be provided.
4(a)		At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid should be provided.
4(b)		As per the provisions of the Ministry of New and Renewable energy solar water heater of minimum capacity 10 litres/4 persons (2.5 litres per capita) shall be installed.

S.No.	Medium	Environmental conditions
4(c)		Use of flyash bricks: Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from tims to time.
4(d)		Use of concept of passive solar design of buildings using architectural design approaches that minimize energy consumption in buildings by integrating conventional energy efficient devices, such as mechanical and electric pumps, fans, lighting fixtures and other equipment, with the passive design elements, such as building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass.
4(e)		Optimize use of energy systems in buildings that should maintain a specific indoor environment conducive to the functional requirements of the building by following mandatory compliance measures (for all applicable buildings) as recommended in the Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 of the Bureau of Energy Efficiency, Government of India.
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.
5(a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1.3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.
7	Sewage Treatment Plant	Sewage treatment plant with capacity of treating 100% waste water shall be installed. Treated water must be recycled for gardening and flushing.
8	Environment Management Plan	The environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Landscaping, Rain Water Harvesting, Power backup for environment, Infrastructure, Environment Monitoring, Solid Waste Management and Solar and Energy conservation, should be kept operational through Environment Monitoring Committee with defined functions and responsibility.

शपथ–पत्र

(एक सौ रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

समक्ष : ....उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण

मैं .... पुत्र श्री ....आयु लगभग............................वर्ष पदनाम...फर्म का नाम एवं पता.. शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि शपथी/शपथनी...फर्म में ....पद पर तैनात है व..(भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) के सम्बन्ध में फार्म की ओर से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हूँ।
2. यह कि ....(भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) भवनों का प्लिन्थ तक निर्माण कर लिया गया है जिसके प्रमाण के रूप में जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ स्थल के डिजिटल फोटोग्राफ्स संलग्न कर रहा हूँ जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
3. यह कि यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर–3.1.1 के अन्तर्गत वर्णित अनुज्ञा से आच्छादित कार्य तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–52 के अन्तर्गत अनुमन्य निर्माण से इतर निर्माण कराया गया है तो शासकीय अभिकरण द्वारा सील कर दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

शपथी/शपथनी घोषणा करता है कि उपरोक्तानुसार किये गये समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही हैं तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

सत्यापन

मैं शपथी/शपथनी सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा–1 लगायत 3 तक मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसकी पुष्टि करता/करती हूँ।

शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परिशिष्ट–19

सेवा में,

....विकासकर्ता का नाम

....पता

....

विषय : ....(भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) का दिनांक .... को स्थल निरीक्षण उपरान्त नोटिस।

महोदय,

आप द्वारा दिनांक .... को प्रस्तुत किये गये एफिडेविट के साथ .... स्थल पर किये गये निर्माण सम्बन्धी फोटोग्राफ्स का स्थल पर विद्यमान निर्माण के सापेक्ष दिनांक .... को मिलान किया गया। स्थल निरीक्षण के आधार पर आप द्वारा प्रस्तुत विवरण सही पाया गया/निम्न विचलन/त्रुटि पायी गई :–

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

भवदीय

प्रभारी अभियन्ता

मोहर सहित

....

....

प्रतिलिपि : उपाध्यक्ष .... विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ/इस अनुरोध के साथ कि कृपया स्थल पर हुए निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का कष्ट करें (जो लागू न हो काट दें)।

प्रभारी अभियन्ता

मोहर सहित

....

....

संख्या : 505/8–3–18–34विविध/08 टी.सी.

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2018**

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–95/सीएटीपी–ओ/2017 दिनांक 09.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों में एक समान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि लागू किये जाने के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को संशोधित किये जाने के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कालम–4 में उल्लिखित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में लागू भिन्न प्राविधानों को कालम–3 में उल्लिखित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011 एवं 2016) के अनुसार संशोधित निम्नवत संशोधन किया जाता है :–

क्र. सं.	प्रस्तर संख्या	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 (यथा संशोधित–2011 एवं 2016) द्वारा लागू सामान्य उपविधि के प्राविधान	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वर्तमान में लागू उपविधि में प्राविधान
1	2	3	4
1.	3.3.6 (X)	चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजना/भूखण्ड के लिए योजना/भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। ऐसी योजना/भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ.ए.आर. के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 4.0 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए नेट भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18.00 मी. एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र (15 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि पर) एफ.ए.आर. देय होगा।	चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की नई ग्रुप हाउसिंग योजना/भूखण्ड जो 24 मी. चौड़े मार्ग पर स्थित हो, के लिए योजना/भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। ऐसी योजना/भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ.ए.आर. के अन्तर्गत ही किया जायेगा। परन्तु प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नीलामी/बिड के माध्यम से अथवा लीज पर आवंटित भूखण्डों में नीलामी/बिड/लीज की शर्तें ही प्रभावी रहेंगी। 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए नेट भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18.00 मी. एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।

2.	3.4.5 (I)	12.5 मी. से अधिक ऊँचाई के भवनों (15 मीटर ऊँचाई तक के व्यावसायिक/कार्यालय भवनों को छोड़कर) हेतु सेट बैक निम्नवत् होंगे :–		आवासीय भूखण्डीय विकास के अतिरिक्त 10.5 मी. से अधिक ऊँचाई के अन्य भवनों हेतु सेट बैक निम्नवत् होंगे :–				
		भवन की ऊँचाई (मीटर)	चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैंक (मीटर)	भूखण्ड का क्षेत्रफल	सेट बैंक (मीटर)			
					अग्रभाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व –2	पार्श्व –2
		12.5 से अधिक एवं 15 तक	5.00	150	3.0	1.5	—	—
		15 से 18 तक	6.00	150 से अधिक 300 तक	3.0	3.00	—	—
		18 से 21 तक	7.00	300 से अधिक 500 तक	4.5	3.00	3.00	—
		21 से 24 तक	8.00	500 से अधिक 2000 तक	6.0	3.00	3.00	3.00
		24 से 27 तक	9.00	2000 से अधिक 6000 तक	7.5	6.00	4.5	4.5
		27 से 30 तक	10.00	6000 से अधिक 12000 तक	9.0	6.00	6.00	6.00
		30 से 35 तक	11.00	12000 से अधिक 20000 तक	12.00	7.5	7.5	7.5
		35 से 40 तक	12.00	20000 से अधिक 40000 तक	15.00	9.00	9.00	9.00
		40 से 45 तक	13.00	40000 से अधिक	16.00	12.00	12.00	12.00
		45 से 50 तक	14.00					
		55 से अधिक	16.00					

3.	3.5.1	भूखण्डीय विकास (आवासीय प्लाटेड)			भूखण्डीय विकास (आवासीय प्लाटेड)		
		भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू–आच्छादन	एफ.ए. आर.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू–आच्छादन	एफ.ए. आर.
		100 वर्ग मी. तक	75	2.00	50 तक	90	भवन की अधिकतम अनुमन्य ऊँचाई निर्धारित होने के कारण एफ.ए.आर. का प्रतिबन्ध नहीं
		101—300 वर्म मी. तक	65	1.75	50 से अधिक 100 तक	90	
		301—500 वर्म मी. तक	55	1.50	100 से अधिक 150 तक	75	
		501—2000 वर्म मी. तक	45	1.25	150 से अधिक 300 तक	75	
					300 से अधिक 500 तक	65	1.50
					500 से अधिक 1000 तक	50	1.25
					1000 से अधिक 2000 तक	50	1.25

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(ख) नए/
अविकसित क्षेत्र</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100 वर्ग मी. तक</td><td>65</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>101–300 वर्ग मी. तक</td><td>80</td><td>1.75</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>301–500 वर्ग मी. तक</td><td>55</td><td>1.50</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>501–2000 वर्ग मी. तक</td><td>45</td><td>1.25</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>3.7.3
(II)</td><td colspan="3">30 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में न्यूनतम संवातन शाफ्ट की व्यवस्था के साथ–साथ यांत्रिक संवातन प्रणाली भी स्थापित की जायेगी।</td><td>30 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में मैकेनिकल वेन्टीलेशन शाफ्ट होने की दशा में शाफ्ट का क्षेत्रफल प्रस्तावित डिजाईन पर आधारित होगा। ऐसे भवनों में 24 घण्टे पावर बैकअप की व्यवस्था सम्बन्धित प्राविधान मानचित्र के साथ ही प्रस्तुत करने होंगे। मैकेनिकल शाफ्ट तथा 24 घण्टे पावर बैकअप व्यवस्था की जांच पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>3.9.2
(I)</td><td colspan="3">बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग फर्श से बीम तक न्यूनतम 2.1 मीटर तथा अधिकतम 4.50 मीटर मीटर ऊँचा होगा, परन्तु बेसमेन्ट में मैकेनाइज्ड पार्किंग प्रस्तावित किए जाने की दशा में बेसमेन्ट की ऊँचाई वास्तविक डिजाइन पर आधारित होगी।</td><td>बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग फर्श से बीम तक न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 4.0 मीटर ऊँचा होगा। बेसमेन्ट की ऊँचाई, निर्धारित ऊँचाई से अधिक होने की दशा में बेसमेन्ट के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी। बेसमेन्ट में मैकेनाईज्ड पार्किंग प्रस्तावित किए जाने की दशा में बेसमेन्ट की ऊँचाई वास्तविक डिजाइन पर ही आधारित होगी। उक्त व्यवस्था पूर्ण रूप से निर्मित एवं चालू कर दिये जाने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>8.3</td><td colspan="3">पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु
<table>
<tr><td>प्रयोजन/भूखण्ड की माप</td><td>भू–आच्छादन (प्रतिशत में)</td><td>एफ.ए.आर</td><td>कट सेट बैंक</td><td>भवन की ऊँचाई (मीटर)</td></tr>
<tr><td colspan="5">(अ) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन</td></tr>
<tr><td>16 मी. X 14 मी.</td><td>10</td><td>0.11</td><td>3.0</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td colspan="5">(ब) फिलिंग स्टेशन कम सर्विस स्टेशन</td></tr>
<tr><td>25 मी. X 25 मी.</td><td>20</td><td>0.2</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr>
</table></td><td>पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अपेक्षाएँ
<table>
<tr><td>प्रयोजन/भूखण्ड की माप</td><td>भू–आच्छादन (प्रतिशत में)</td><td>एफ.ए.आर</td><td>कट सेट बैंक</td><td>भवन की ऊँचाई (मीटर)</td></tr>
<tr><td colspan="5">(अ) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन/सी.एन.जी. स्टेशन</td></tr>
<tr><td>18मी.X15मी.
30मी.X17मी.</td><td>10
10</td><td>0.10
0.10</td><td>3.0
3.0</td><td>6.0
6.0</td></tr>
<tr><td colspan="5">(ब) फिलिंग स्टेशन कम सर्विस स्टेशन/सी.एन.जी. कम सर्विस स्टेशन</td></tr>
<tr><td>36मी.X30मी.
45मी.X36मी.</td><td>20
20</td><td>0.20
0.20</td><td>6.0
6.0</td><td>6.0
6.0</td></tr>
<tr><td colspan="5">(स) पेट्रोल फिलिंग स्टेशन एवं सी.एन.जी. स्टेशन</td></tr>
<tr><td>24मी.X21मी.
42मी.X29मी.</td><td>20
20</td><td>0.20
0.20</td><td>6.0
6.0</td><td>6.0
6.0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

7.		आवासीय भूखण्डों में बहु–आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु अध्याय–26 का का प्राविधान किया गया है।	आवासीय भूखण्डों में बहु–आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु अध्याय–27 का प्राविधान किया गया है।

3– इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवासीय भूखण्डों में बहु–आवासीयों इकाईयों में निर्माण के सम्बन्ध में कालम–4 में उल्लिखित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में लागू भिन्न प्राविधानों को कालम–3 में उल्लिखित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011 एवं 2016) के अनुसार संशोधित किया जाता है :–

क्र. सं.	विवरण / विषय	अध्याय–26 के अन्तर्गत प्राविधान (मॉडल भवन उपविधि के अन्तर्गत)	अध्याय–27 के अन्तर्गत प्राविधान (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वर्तमान में प्रचलित भवन उपविधि के अन्तर्गत)
1	2	3	4
1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	150 वर्ग मी. से 2000 वर्ग मी. तक	112 वर्ग मी. से 200 वर्ग मी. तक
2.	पहुँच मार्ग	पूर्व निर्मित / विकसित योजनाओं में 9 मी. चौड़ी विद्यमान एवं नवीन प्रस्तावित योजनाओं में 12 मी. चौड़ी सड़क	9 मी. चौड़ी विद्यमान सड़क
3.	आवासीय इकाई का न्यूनतम क्षेत्रफल एवं इकाइयों की संख्या	न्यूनतम आवासीय इकाई का तल क्षेत्रफल 65 वर्ग मी. अधिकतम 20 इकाई। 300 वर्ग मी. तक के भूखण्ड पर प्रत्येक तल पर एक आवासीय इकाई जबकि 300 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 वर्ग मी. के पश्चात् प्रत्येक 100 वर्ग मी. क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त आवासीय इकाई	न्यूनतम आवासीय इकाई का तल क्षेत्रफल 60 वर्ग मी. तथा अधिकतम 12 आवासीय इकाई
4.	भवन की अधिकतम ऊँचाई	15 मी. 300 वर्ग मी. तक के भूखण्डों में स्टिल्ट +3 तल तथा 300 वर्ग मी. से बढ़े भूखण्डों में स्टिल्ट +4 तल	15 मी. तथा स्टिल्ट +4 तल
5.	सेट बेक 160 से 150 वर्ग मी. अग्रसेटबेक पृष्ठ भाग 150 से 300 वर्म मी. अग्रसेटबेक पृष्ठ भाग 300 से 500 वर्म मी. अग्रसेटबेक पृष्ठ भाग	 – – 3.00 मी. 3.00 मी. 4.50 मी. 4.50 मी.	 2.00 मी. 2.00 मी. + 3.00 मी. 2.50 मी. 4.50 मी. 3.50 मी.
6.	भू–आच्छादन 100 से 150 वर्ग मी. 150 से 300 वर्ग मी. 300 से 500 वर्ग मी. 500 से 2000 वर्ग मी.	 – 65% 50% 45%	 75% 75% 65% 50%

7.	एफ.ए.आर. 100 से 150 वर्ग मी. 150 से 300 वर्ग मी.	— 1.75	ऊँचाई निर्धारित होने के कारण प्रतिबन्धित नहीं।
8.	पार्किंग 100 वर्ग मी. से 150 वर्ग मी. तल क्षेत्रफल तक के आवासीय इकाई हेतु। 150 वर्ग मी. से अधिक तल क्षेत्रफल तक के आवासीय इकाई हेतु।	1.25 ECS 1.5 ECS	2.00 ECS 100 वर्ग मी. से 200 वर्ग मी. तक 2 ECS तथा 200 वर्ग मी. से अधिक प्रत्येक 100 वर्ग मी. तल क्षेत्रफल पर 1 ECS अतिरिक्त
9.	शुल्कों के सम्बन्ध में अवस्थापना सुविधाओं के शुद्धिकरण हेतु 3 से अतिरिक्त इकाईयों हेतु उनके कुल तल क्षेत्रफल पर प्राधिकरण की वर्तमान/ जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट का 10% शुल्क लिया जाना।	प्राविधान नहीं है।	प्राविधान है।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।
6. सलाहाकार, नियोजन आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या : 813/8–3–17–34विविध/2008

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

3. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांक : 04 जून, 2018**

विषय : औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) का पुनर्निधारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उद्यम की स्थापना एवं विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था उसकी पहली आवश्यकता है। अतः वर्तमान में लागू एफ.ए.आर. कम लाभप्रद हो जाने के परिणामस्वरूप इस हेतु उद्यमियों द्वारा एफ.ए.आर. को बढ़ाये जाने की निरन्तर मांग की जाती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए उद्यमों को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने व प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–22/2017/869/18–2017–80 (ल.उ.)/2017, दिनांक 15.12.2017 द्वारा उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के बिन्दु सं.–5.1.2 में भूमि की उपलब्धता हेतु एफ.ए.आर. बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 द्वारा निर्गत पत्र संख्या–095/18–2–2018–80 (ल.उ.)/2017 दिनांक 30.01.2018 के माध्यम से औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के प्रस्तर–3.5.1 के वर्तमान प्राविधान को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान			प्रस्तावित संशोधन		
3.5.1	7. औद्योगिक			7. औद्योगिक		
	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू–आच्छादन	एफ.ए.आर.	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू–आच्छादन	एफ.ए.आर.
	• 100 तक	60	1.20			
	• 101–450	60	1.20	(i) 1000 तक	60	1.50
	• 451–2000	55	1.00	(ii) 1001–12000 तक	60	1.30
	• 2001–12,000	55	0.90	(iii) 12000 से अधिक	55	1.00
	• 12001–20,000	50	0.85	(ख) नए/अविकसित क्षेत्र		
	• 20,000 से अधिक	50	0.80	• फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.50

	(ख) नए/अविकसित क्षेत्र			• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आच्छादन आर. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)		
	• फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.50			
	• लघु एवं हल्के उद्योग	60	1.00	(i) 1000 तक	60	1.50
	• वृहद उद्योग	40	0.80	(ii) 1001–12000 तक	60	1.30
				(iii) 12000 से अधिक	55	1.00
				• वृहद उद्योग	40	0.80

कृपया उक्त के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन हेतु आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त संशोधन पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धित को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) कीप्रतियाँ उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
4. सलाहाकार नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या : 1855/आठ–1–17–80विविध/2010

प्रेषक,

मुकुल सिंहल

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 5 सितम्बर, 2017**

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ''अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप'' मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।

महोदय,

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप में ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ अभिकरणों द्वारा प्रदेश में 1.00 लाख भवनों के निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। अभिकरणवार निर्धारित लक्ष्य की फांट संलग्न हैं।

निर्मित किये जाने वाले भवन में 02 कमरे, रसोई घर, शौचालय, स्नानघर व एक बालकनी का प्राविधान है। भवनों की डिजाइन संलग्न है। भवनों की सीलिंग कॉस्ट आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80विविध/2010 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्धारित रु. 4.50 लाख प्रति भवन निर्धारित की जाती है। भवन का निर्माण भूतल+3 मंजिल अर्थात् 04 मंजिल तक किया जाएगा।

भवनों के निर्माण हेतु योजना के स्वरूप का गठन इस प्रकार किया जाना है कि योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 250 आवास हो तथा उक्त के अन्तर्गत न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास दुर्बल आय वर्ग के हों। 100 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. आवासों की भी योजना बनाई जा सकती है। उक्त प्रकार से गठित परियोजनाओं पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप पर योजना प्रेषित की जानी होगी, जिस क्रम में भारत सरकार का अंशदान रु. 1.50 लाख तथा राज्य सरकार का अनुदान रु. 1.00 लाख प्रति भवन प्राप्त किया जा सकेगा। भवन की लागत से संबंधित अवशेष धनराशि (रुपये दो लाख) लाभार्थी से प्राप्त की जाएगी। इस हेतु संबंधित अभिकरण लाभार्थी को ऋण दिलाये जाने हेतु सहयोग करेगा।

दुर्बल आय वर्ग के लाभार्थियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कराने हेतु सम्पत्ति को बन्धक रखने तथा ऋण वसूली हेतु उसे ऋण दाताओं द्वारा बेचने के व्यवस्था के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

नगरवार लाभार्थियों की सूची, सूडा द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। भवनों का निर्माण प्रचलित बाइलॉज एवं नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा।

उक्त व्यवस्था हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80 विविध/10, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

संख्या : 1855(1)/आठ–1–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
4. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।
7. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

मुकुल सिंहल0
प्रमुख सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभिकरणवार भवन निर्माण के लक्ष्य

श्रेणी	अभिकरण का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	आ. वि. परिषद	30000
2.	गाजियाबाद वि.प्रा.	9000
3.	कानपुर वि.प्रा.	10000
4.	लखनऊ वि.प्रा.	12000
5.	आगरा वि.प्रा.	10000
6.	इलाहाबाद वि.प्रा.	6500
7.	मेरठ वि.प्रा.	2000
8.	मुरादाबाद वि.प्रा.	5000
9.	अलीगढ़ वि.प्रा.	3000
10.	बरेली वि.प्रा.	1000
11.	गोरखपुर वि.प्रा.	1500
12.	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	1500
13.	वाराणसी वि.प्रा.	1500
14.	बांदा वि.प्रा.	500
15.	बुलन्दशहर वि.प्रा.	500
16.	फैजाबाद वि.प्रा.	500
17.	फिरोजाबाद वि.प्रा.	500
18.	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	500
19.	झांसी वि.प्रा.	500
20.	मुजफ्फरनगर वि.प्रा.	500
21.	रायबरेली वि.प्रा.	500
22.	सहारनपुर वि.प्रा.	500
23.	उन्नाव वि.प्रा.	500
24.	रामपुर वि.प्रा.	500
25.	उरई वि.प्रा.	500
26.	खुर्जा वि.प्रा.	0
27.	आजमगढ़ वि.प्रा.	200
28.	बागपत–बड़ौत खेकड़ा वि.प्रा.	100
29.	बस्ती वि.प्रा.	100
	योग :	**100000**

संख्या : 1139 / 8–3–17–36विविध / 16टी.सी.

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

3. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांक : 04 अक्टूबर, 2017**

विषय : प्रदेश में विनियमितीकरण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र सम्बन्धी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण एवं निरीक्षणकर्ता की आख्या को सर्व–सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के चार्टर Business Reform Action Plan 2017 के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र सम्बन्धी आवेदनों के निस्तारण हेतु किये जाने वाले निरीक्षणों की रिपोर्ट, निरीक्षण किये जाने के 48 घण्टे के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाये तथा उक्त रिपोर्ट को जन–सामान्य की जानकारी हेतु वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

2–. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि प्रदेश में विनियमितीकरण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अन्तर्गत जिन निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदनों के स्थल का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है, निरीक्षणकर्ता द्वारा सम्बन्धित निरीक्षण आख्या 48 घण्टे के अन्दर विभाग में उपलब्ध करा दी जाये तथा निरीक्षण आख्या जन–सामान्य की जानकारी हेतु वेबसाइट पर 'अपलोड' भी कर दी जाये।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित विभाग के अन्तर्गत विनियमितीकरण कार्य हेतु प्राप्त निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र सम्बन्धी विगत दो वर्ष में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु किये गये निरीक्षण की आख्या वेबसाइट पर जन–सामान्य की जानकारी हेतु तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या : (1) / 8–3–17–36विविध / 16 टी.सी.–तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या : 62/8–3–18–110विविध/2017

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2018**

विषय : रेल भूमि विकास प्राधिकरण की भूमियों विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल मंत्रालय के अन्तर्गत रेल अधिनियम 1989 में किये गये संशोधन के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है, जिसे रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित करने के लिए गैर किराया उपायों से राजस्व जुटाने हेतु गठित किया गया है तथा भारतीय रेल अधिनियम 1989 की उपधारा–11(डी.ए.) के अनुसार रेल प्रशासन को किसी भी रेलवे भूमि को वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित करने का अधिकार है। उक्त के अन्तर्गत रेल भूमि विकास प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश राज्य में 08 भूखण्डों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है, जिन्हें व्यावसायिक रूप से विकसित करने हेतु स्थानीय भवन उपविधि/महायोजना/विकास योजना/जोनल प्लान विनियमों के आधार पर पट्टे पर दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त भूखण्डों पर वाणिज्यिक विकास स्थानीय भवन उपविधि के प्राविधानों के साथ–साथ भूखण्ड तक पहुंच मार्ग, मार्ग व्यवस्था, जलापूर्ति तथा जल–मल निस्तारण आदि सुविधाओं को नगरीय नियोजन के साथ एकीकृत करते हुए किया जायेगा।

2–. इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा भी रेल भूमि विकास प्राधिकरण को निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :–

"In order to avoid any problem with regard to commercial development of Railway Land in future, the Zonal railways should ensure that wherever Master Plans of local authorities are under revision, necessary objections are filed to ensure that all the land belonging to Railway is shown as "Railway Land" and not for a particular use (such as residential, commercial, public utilities, transport, mixed land-use). This will allow RLDA to choose the best usage of Railway Land for maxinizing the returns based on the market studies."

उक्त के आलोक में रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित करने के लिए स्थानीय नगर निकायो ंके द्वारा स्थानीय भवन उपविधि/महायोजना के अनुसार अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित नगर में स्थित रेल भूमि के विकास हेतु प्रस्ताव किये जाने पर सम्बन्धित नगर की महायोजना, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुसंगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानानुसार अनापत्ति/निर्माण अनुज्ञा नियमानुसार निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या : 62(1)/8–3–18–110विविध/17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री जे.एन. प्रोजेक्ट, रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण, निकट सफदरगंज रेलवे स्टेशन, मोतीबाग, नई दिल्ली–110021
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
4. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या : 1090/8—3—17—36विविध/16टी.सी.

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3, **लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2017**

विषय : प्रदेश में निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने वाले प्रकरणों का वर्गीकरण कर, अनिवार्य निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के चार्टर Business Reform Action Plan 2017 के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि प्रदेश में विनियमितीकरण की कार्यवाहियों के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने वाली कार्यवाही में प्रकरणों को हाई—रिस्क के अन्तर्गत वर्गीकृत कर, प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण किये जायें। इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में गठित समिति द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों के भूखण्डों के प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण जिनके आवासीय भूखण्ड निजी क्षेत्र के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप हों, को हाई—रिस्क की श्रेणी में नहीं समझा जायेगा। साथ ही महायोजनाओं में चिन्हित निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित 100 वर्ग मी. तक के आवासीय निर्माण को भी हाई—रिस्क की श्रेणी से बाहर रखा जाये, इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरण हाई—रिस्क की श्रेणी में माने जायेंगे।

2—. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रकार से वर्गीकृत प्रकरण जिन्हें हाई—रिस्क की श्रेणी में नहीं रखा गया है, के सम्बन्ध में निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र सम्बन्धी प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त हाई—रिस्क प्रकरणों में स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट की जा सकती है। उक्त व्यवस्था को ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के साथ सर्व सामान्य की जानकारी हेतु वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या : 1090/8—3—17—36विविध/16—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या : 72 / नौ–9–2018–161ज / 12

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक : 8 फरवरी, 2018**

विषय : प्रदेश में आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1485 / नौ–9–2012–161ज / 12 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–286 / नौ–9–2014–161 ज / 12 दिनांक 11 मार्च, 2014 तथा भारतीय तार अधिनियम–1885 को विनियमित करने हेतु संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2–. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 4जी ब्राण्ड बैण्ड वायरलाइन / वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नगरीय निकायों की भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर / डक्ट डालने अथवा भूमि से ऊपर ओवरहेड केबलिंग के लिए स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 में धारा 128 / 129 एवं उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 124 में सम्पत्ति अंतरण विषयक प्राविधान एवं इन्फोटेल ब्राण्डबैण्ड सर्विसेज लि. द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के दृष्टिगत एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, ग्राउण्डबेस्ट मास्ट स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिए पोल लगाने के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.10.2012 एवं 11.03.2014 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4. सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी निजी संस्थाओं को जो आप्टिकल फाइबर बिछाना चाहती है अधिकतम सुविधायें प्रदान किये जाने तथा ऐसी निजी संस्थाओं को आप्टिकल फाइबर बिछाने व उनका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने एवं उसका अनुरक्षण करने की अनुमति) अधिनियम–2001 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी लाइसेन्स धारी को किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा–5 (2) से राज्य सरकार को ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे विहित निबन्धनों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर सकने की व्यवस्था है।

5. अतः प्रदेश की नगर निकायों की सीमान्तर्गत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ट मास्ट (जी. बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिए पोल लगाने के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग–9, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या–1485 / नौ–9–2012 / 161 ज / 12 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 एवं संशोधित

शासनादेश संख्या–286/नौ–9–2014–161 ज/12 दिनांक 11 मार्च, 2014 के क्रम में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को अंगीकृत करते हुए भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रखरखाव के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के निम्न नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–2 के नियम–5 के उपनियम–2 (ix) के अनुसार प्रत्येक लाइसेन्सी को भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु आवेदन करते समय पुनर्स्थापना कार्य स्वयं कराने का दायित्व होगा।

2. अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–2 के नियम–5 के उपनियम–3 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के समक्ष लाइसेन्सी कम्पनी ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु आवेदन के साथ प्रति कि.मी. रु. 1000/– की धनराशि प्रशासनिक व्ययों हेतु जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नियम–6 के उपनियम–4 के अनुसार अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।

3. अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–2 के नियम–6 के उपनियम–3 के अनुसार सम्बन्धित विभाग, ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु कम्पनी को पुनर्स्थापना कार्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले व्यय के बराबर बैंक गारण्टी जमा करने हेतु मांग पत्र निर्गत करेगा, साथ ही इस अध्याय के नियम–8 के नियम–3 के अनुसार यदि विभाग द्वारा ऐसा पाया जाता है कि कम्पनी जानबूझकर ओ. एफ.सी. बिछाने की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो सम्बन्धित विभाग को उपरोक्त बैंक गारण्टी को पूर्ण अथवा कुछ हिस्से को प्रतिसंहरण (Revoke) कर लेने का अधिकार होगा।

4. अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–3 के नियम–9 के उपनियम–3 के अनुसार ''भूमि के ऊपर अवसंरचना'' अर्थात् मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु कम्पनी को प्रति आवेदन के साथ रु. 10,000/– का प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा।

5. अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–3 के नियम–10 के उपनियम–2 के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार के किसी भाग की सम्पत्ति पर मोबाइल टावर लगाने हेतु आवेदन करती है तो सम्बन्धित विभाग इस अनुमति हेतु आवंटित की गयी भूमि का किराया सम्बन्धित कम्पनी से वसूल कर पायेगी एवं इस सम्बन्ध में विभाग को भूमि आवंटन हेतु दरें निर्धारित करनी होंगी।

6. अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–2 के नियम–6 के उपनियम–2 तथा अध्याय–3 के नियम–10 के उपनियम–3 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा क्रमशः भूमिगत अवसंरचना एवं भूमि के ऊपर अवसंरचना हेतु किये गये आवेदनों के सम्बन्ध में 60 दिवसों में अनुमति निर्गत करनी होगी अथवा समुचित लिखित कारण बताते हुए अस्वीकृत करना होगा। 60 दिवसों के उपरान्त deemed अनुमति मानी जायेगी।

उक्त शर्तें सेवा प्रोवाइडर के लिए मान्य होंगी, जिनके लाइसेन्स को विहित सभी शर्तों के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र., लखनऊ।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, जल संस्थान/जल–कल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र.)
8. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/99 REGD.NO.D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड—3—उप—खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938
No. 794]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1070(अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 10,12 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमिगत अवसंरचना (आप्टिकल फाइबर) और भूमि के ऊपर अवसंरचना (मोबाइल टावर) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—

(1) इन नियमों में, तब तक संदर्भ से अन्यथा अपक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) ''समुचित प्राधिकारी'' से केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबन्ध में निहित या के अधीन तार अवसंरचना जिन्हें स्थापित किया जाना है या जिनका रख—रखाव किया जाना है, के अधीन, के ऊपर, के साथ, के सामने उसमें या उस पर संपत्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित ऐसे प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है;

(ग) ''राज्य सरकार'' से अधिकारिता रखने वाली राज्य सरकार और जिसके अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है, अभिप्रेत है;

(घ) ''अनुज्ञप्तिधारी' से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला अभिप्रेत है;

(ङ) ''भूमि के ऊपर तार अवसंरचना'' से भूमि के ऊपर स्थापित तार या तार लाइन अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत तार या तार लाइन के स्थापन या रख–रखाव के प्रयोजन के लिए चौकियाँ या भूमि के ऊपर अन्य प्रयुक्तियाँ, साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है;

(च) ''नियम'' से भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 अभिप्रेत है;

(छ) ''भूमिगत तार अवसंरचना'' से भूमि के भीतर बिछी हुई तार लाइन अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत तार लाइन के स्थापन या रख–रखाव के प्रयोजन के लिए मेन–होल, मार्कर–पत्थर, साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में है।

3. लागू होना–

समुचित प्राधिकारी इस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए किसी अनुज्ञप्तिधारी जिसे अधिनियम की धारा 19ख के अधीन अधिसूचना द्वारा तार प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई है, ारा भूमिगत या भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख–रखाव के लिए आवेदन पर इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

4. स्थानीय प्राधिकारी, आदि द्वारा नोडल अधिकारी पदाभिहित किया जाना–

(1) प्रत्येक समुचित प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) समुचित प्राधिकारी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक इलैक्ट्रानिक आवेदन प्रक्रिया विकसित करेंगे।

परन्तु यह कि राज्य सरकार स्वविवेकानुसार इसके नियन्त्रणाधीन सभी समुचित प्राधिकारियों के लिए एक एकल इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित कर सकेगी।

अध्याय–2

भूमिगत तार अवसंरचना का स्थापन और रख–रखाव

5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन–

(1) अनुज्ञप्तिधारी, किसी समुचित प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबन्ध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अधीन तार अवसंरचना के स्थापन के प्रयोजन के लिए, उस समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाय सकेंगे, वाले ऐसे प्रारूप और रीति में उस प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेजों द्वारा समर्थित आवेदन कर सकेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किये जाने वाले समर्थक दस्तावेजों के साथ सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की प्रति;

(ii) बिछाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना के ब्यौरे;

(iii) कार्य के निष्पादन के लिए ढंग और समय अवधि;

(iv) उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी दिन की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य किए जाने की अपेक्षा करता है दिन का वह समय जब ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित है;

(v) व्ययों के ब्यौरे जिसे ऐसा समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा;

(vi) असुविधा जो लोक को कारित होना संभाव्य है और ऐसी सुविधा को कम करने के लिए उठाये जाने के लिए प्रस्तावित विनिर्दिष्ट उपाय;

(vii) कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले प्रस्तावित विनिर्दिष्ट उपाय;

(viii) कोई अन्य सुसंगत मामला जो अनुप्तिधारी की राय में किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्य से सहबद्ध या सुसंगत हो;

(ix) केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए कार्य में सहबद्ध या संबंधित कोई अन्य मामला;

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन करते समय, कि क्या वह नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के युक्तियुक्त और प्रज्ञायुक्त विस्तार तक प्रत्यास्थापन के लिए दायित्व के निर्वहन का जिम्मा लेता है, पर विनिर्दिष्ट अभिबंधन देगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जायेगा।

परन्तु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

6. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान किया जाना–

(1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात्–

(क) प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना के लिए योजनाबद्ध मार्ग और किसी अन्य लोक अवसंरचना जो प्रस्तावित मार्ग के साथ बिछाई जानी है, के साथ ऐसी तार अवसंरचना के या तो स्थापन या रख–रखाव में संभाव्य बाधा;

(ख) निष्पादन की रीति;

(ग) कार्य के निष्पादन की समयावधि और दिन का वह समय जब प्रस्तावित कार्य निष्पादित किया जाना है;

(घ) व्ययों जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, का प्राक्कलन;

(ङ) कोई नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के प्रत्यास्थापन का दायित्व;

(च) लोक सुरक्षा और असुविधा जो प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप लोक को कारित होना संभाव्य, को सुनिश्चित करने हेतु उपायों और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपदर्शित ऐसी असुविधा में कमी करने हेतु उपायों का निर्धारण;

(छ) केन्द्रीय सरकार, समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापन या रखरखाव से सहबद्ध या संबंधित, अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों से संगत कोई अन्य मामला;

(2) समुचित प्राधिकारी नियम 5 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से साठ दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर निम्नलिखित करेगा–

(क) ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत समय, निष्पादन की रीति, लोक असुविधा में कमी करने के उपाय या लोक सुरक्षा में वृद्धि और प्रत्यास्थापित भार की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान करेगा; या

(ख) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, आवेदन अस्वीकार करना :

परन्तु यह कि कोई आवेदन, आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अस्वीकारी के कारणों पर सुनवाई की अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी यदि समुचित प्राधिकारी या तो (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने में असफल हो जाता है या (ख) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर देता है; और इसे अनुज्ञा प्रदान किया जाना समझे जाने के पांच कार्य दिवसों से अनधिक आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा।

(3) जहाँ समुचित प्राधिकारी, नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी द्वारा कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा समुचित प्राधिकारी आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के प्रत्यास्थापन के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए वचनबंध को स्वीकार करता है, समुचित प्राधिकारी उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करते समय दायित्व के निर्वहन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी नुकसानी के प्रत्यावर्तन के लिए व्ययों के स्थान पर रकम के लिए बैंक प्रत्याभूति चाह सकेगा।

(4) समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिकारी से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापन के लिए कोई फीस जो नियम (5) के उपनियम (3) और उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन विहित से भिन्न है, प्रभारित नहीं करेंगे।

7. कार्य का जिम्मा लेने में अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता–

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर और भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य प्रारम्भ करने से पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित व्ययों का संदाय या बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि समुचित प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार ऐसा विस्तार चाहने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर व्ययों के संदाय और बैंक प्रत्याभूति के प्रस्तुत करने की उक्त अवधि का विस्तार कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य के निष्पादन के दौरान पूरे समय, लोक असुविधा कम करने के और लोक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय क्रियान्वित किए जाएं और

(ख) भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य समुचित सरकार द्वारा अनुज्ञा के प्रदान करने में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया गया है;

(3) अनुज्ञप्तिधारी, उसकी अवस्थिति पर वास्तविक समय सूचना प्राप्त करने के लिए समुचित प्राधिकारी को समर्थ बनाने हेतु सभी भूमिगत तार अवसंरचनाओं की समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से, स्थितीय आसूचना के उपबन्ध सुनिश्चित करेगा।

8. कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए समुचित प्राधिकारी की शक्ति–

(1) समुचित प्राधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने पर अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाता है, कार्य के निष्पादन का पर्यवेक्षण कर सकेगा;

(2) समुचित प्राधिकारी, ऐसे पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी अन्य युक्तियुक्त शर्त जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(3) यदि समुचित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर अतिक्रमण किया है, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत बैंक प्रत्याभूति को पूर्णतः या भागतः समपहृत कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञा प्रत्याहृत कर सकेगा।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय–3

भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन–

(1) अनुज्ञप्तिधारी,, किसी समुचित प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबन्ध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेजों से समर्थित आवेदन ऐसे प्रारूप और रीति से जो समुचित प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए, उस समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन में समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रदान की जाने वाली सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की प्रति;

(ii) चौकी या उपरोक्त वृत्ताकार प्रयुक्ति जिसका स्थापन किया जाना प्रस्तावित है, की प्रकृति और अवस्थिति, जिसके अन्तर्गत सटीक अक्षांश और देशांतर रेखाांश भी है;

(iii) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार;

(iv) भवन या संरचना के ब्यौरे, जहाँ भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन किया जाना प्रस्तावित है;

(v) रेडियो तरंगों का हर्टजियन तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की अवस्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति;

(vi) कार्य के निष्पादन का ढंग और समय अवधि;

(vii) असुविधा जो लोक को कारित होना संभाव्य है और विनिर्दिष्ट उपाय जो ऐसी सुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित है;

(viii) कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय;

(ix) चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की तकनीकी परिकल्पना और रेखाचित्र के ब्यौरे;

(x) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा तकनीकी परिकल्पना का प्रमाणपत्र;

(xi) भवन की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा प्रमाणपत्र, जहाँ चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्तियाँ भवन पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है;

(xii) किए गए आवेदन की बाबत पत्र व्यवहार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के नाम और संपर्क व्यौरे;

(xiii) जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य से सहबद्ध या के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी की राय में कोई अन्य सुसंगत मामला;

(ixv) केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से कार्य जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, से सहबद्ध या से सुसंगत कोई अन्य मामले;

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए एकबारगी फीस एक हजार रुपयों से अधिक नहीं होगी।

10. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान किया जाना–

(1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात् :–

(क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार;

(ख) प्रस्तावित अवस्थिति;

(ग) रेडियो तरंगों या हर्टजियन तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की अवस्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति;

(घ) कार्य के निष्पादन का ढंग और समय अवधि;

(ङ) व्ययों का प्राक्कलन जिसे ऐसा समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा;

(च) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन या रख–रखाव के परिणामस्वरूप लोक को कारित संभाव्य असुविधा का निर्धारण और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपदर्शित ऐसी असुविधा को कम करने के उपाय;

(छ) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा तकनीकी परिकल्पना का प्रमाणपत्र;

(ज) भवन जिस पर चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्तियाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर का प्रमाणपत्र;

(झ) केन्द्रीय सरकार, समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना बिछाने के स्थापन या रखरखाव से सहबद्ध या संबंधित, अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों से संगत कोई अन्य मामला;

(2) जहाँ भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन, स्थावर संपत्ति जिस पर ऐसी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन किया गया है, समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित है, जिसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना असंभाव्य है, समुचित प्राधिकारी ऐसी दरों पर जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निर्धारित स्थावर संपत्ति के मूल्य के लिए प्रतिकर का, या तो एक बार या वार्षिक रूप से, हकदार होगा।

(3) समुचित प्राधिकारी नियम 9 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से साठ दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर निम्नलिखित करेगा–

(क) ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत समय, निष्पादन की रीति, लोक असुविधा में कमी करने के उपाय या

लोक सुरक्षा में वृद्धि और प्रत्यास्थापित भार की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान करेगा; या

(ख) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आवेदन अस्वीकार करना;

परन्तु यह कि कोई आवेदन, आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अस्वीकारी के कारणों पर सुनवाई की अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी यदि समुचित प्राधिकारी या तो (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने में असफल हो जाता है या (ख) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर देता है; और इसे अनुज्ञा प्रदान किया जाना समझे जाने के पांच कार्य दिवसों से अनधिक आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा।

(4) समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापन के लिए कोई फीस जो नियम (9) के उप नियम (3) और उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन विहित से भिन्न है, प्रभारित नहीं करेंगे।

11. अनुज्ञप्तिधारी के कार्य जिम्मे लेने में बाध्यताएँ–

(1) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख–रखाव के प्रारम्भ होने से पहले और पूरे समय लोक सुविधा में कमी के उपाय और लोक सुरक्षा, जिसके अन्तर्गत ऐसे भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा भी है, सुनिश्चित करना कार्यान्वित करे

(ख) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख–रखाव का कार्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया जाए।

12. समुचित प्राधिकारी की कार्य के पर्यवेक्षण की शक्ति–

(1) समुचित प्राधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने पर अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाता है, भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख–रखाव का पर्यवेक्षण कर सकेगा;

(2) समुचित प्राधिकारी, ऐसे पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी अन्य युक्तियुक्त शर्त जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(3) यदि समुचित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर अतिक्रमण किया है, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञा प्रत्याहृत कर सकेगा।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय–4

समुचित अधिकारी के भूमिगत और भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का हटाया जाना चाहने का अधिकार

13. समुचित प्राधिकारी का हटाया जाना चाहने, इत्यादि का अधिकार–

(1) जहां समुचित प्राधिकारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उस समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या उसके अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अधीन, उस पर, उसके साथ, उसके सामने, उसमें या उसके ऊपर किसी भूमिगत या भूमि के ऊपर स्थापन से उत्पन्न हुई है, यह विचार करता है कि ऐसी तार अवसंरना को हटाया जाना या परिवर्तित करना आवश्यक और समीचीन है वह ऐसी तार अवसंरचना का स्वामी

होते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अवस्थिति हटाने या परिवर्तित करने हेतु नोटिस जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल और तीस दिवस की अवधि के भीतर, ऐसी तार अवसंरचना को हटाए जाने या उसके परिवर्तन के लिए विस्तृत योजना समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) समुचित प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत योजना की परीक्षा के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा।

परन्तु यह कि समुचित प्राधिकारी, ऐसी तार अवसंरचना के हटाए जाने या परिवर्तित किये जाने के लिए अपेक्षित आपातिक और समीचीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी तार अवसंरचना को हटाने या परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारीको नब्बे दिवसों से अन्यून युक्तियुक्त समय देगा :

परन्तु यह और कि उत्तरदायित्व और दायित्व जिसके अन्तर्गत ऐसी तार अवसंरचना को हटाये जाने या परिवर्तित की लागत भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाएगी।

अध्याय–5

विवादों का समाधान

14. अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य विवाद–

(1) इन नियमों के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर, उप नियम (1) के अधीन विवादों को निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, अधिकारी को ऐसी अधिकारिता के साथ जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाए, पदाभिहित करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवादों का अवधारण साठ दिवसों से अनधिक की अवधि में ऐसी रीति से जैसी केन्द्रीय सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, करेगा।

(फा.सं. 2–6/2014–नीति–1(जिल्द–2))

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2016

G.S.R. 1017(E)- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and cluse (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to regulate underground infrastructure (optical fibre) and orverground infrastructure (mobile towers), namely-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885)

(b) "appropriate authority" means the Central Government, respective State Government, local authority or such authority, body, company or institution incorporated or established by the Central Government or the State Government, in respect of property, under, over, along, across, in or upon which underground or overground telegraph infrastructure, is to be established or maintained, vested in, or under, the control or management of such appropriate authority;

(c) "State Government" means the State Government having jurisdication, and includes the administration of a Union territory;

(d) "licensee" means any person holding a licence issued under sub-section(1) of section 4 of the Act;

(e) "overground telegraph infrastructure" means a telegraph or a telegraph line established over the ground and includes posts or other above ground contrivances, appliances and apparatus for the purpose of establishment or maintenance of the telegraph or the telegraph line;

(f) "rule" means the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016.

(g) "underground telegraph infrastructure" means a telegraph line laid under the ground and includes manholes, marker stones, appliances and apparatus for the purposes of establishment or maintenance of the telegraph line.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. **Applicability-** The appropriate authority shall exercise the powers under these rules on an application for establishment and maintenance of underground or overground telegraph infrastructure by any licensee on whom the powers of the telegraph authority have been conferred by notification under section 19B of the Act, subject to any conditions and restrictions as may be imposed in such notification.

4. **Nodal officer to be designated by local authority, etc.-(1)** Every appropriate authority shall designate a nodal officer for the purposes of these rules.

(2) The appropriate authority shall develop an electronic application process within a period of one year from the date of coming into force of these rules for submission of applications:

Provided that the State Government may at its discretion establish a single electronic application process for all appropriate authorities under its control.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF UNDEGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

5. **Application by a licensee.-**

(1) A licensee shall, for the purposes of establishment of telegraph infrastructure under any immovable property

vested in or under the control or management of any appropriate authority, make an application, supported by such documents, to that authority in such form and manner as may be specified by that appropriate authority.

(2) The information along with supporting documents to be provided by the licensee in the application made under sub-rule (1) shall include-

(i) a copy of the licence granted by the Central Government;

(ii) the details of underground telegraph infrastructure proposed to be laid;

(iii) the mode of and the time duration for, execution of the work;

(iv) the time of the day when the work is expected to be done in case the licensee expects the work to be done during specific time of the day;

(v) the details of expenses that such appropriate authority will necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken by the licensee;

(vi) the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific meansures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;

(vii) the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;

(viii) any other matter relevant, in the opinion of the licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and

(ix) any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government or appropriate local authority:

Provided that the licensce shall, while making the application, give a specific commitment on whether he undertakes to discharge the responsibility for restoration, to the extent reasonable and prudent, of the damage that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit:

Provided that such fee to meet administrative expenses shall not exceed one thousand rupees per kilometer.

6. Grant of permission by appropriate authority-

(1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely-

(a) the route planned for the proposed underground telegraph infrastructure and the posible interference, either in the establishment or maintenance of such telegraph infrastructure, with any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route;

(b) the mode of execution;

(c) the time duration for execution of the work and the time of the day that the work is proposed to be executed;

(d) the estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;

(e) the responsibility for restoration of any damage that the appropriate authority may necessarily be put in consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;

(f) assessment of measures to ensure public safety and inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;

(g) any other matter, consistent with the provisions of the Act and these rules, connected with or relative to the establishment or maintenance of underground telegtaph infrastructure, through a general or special order, by the Central Government, appropiate State Government or the appropriate local authority.

(2) The appropriate authority shall within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 5-

(a) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measres to mitigate public inconvenience or enhance public safety and payment of restoration charge, as may be specified, subject to the provisions of the Act and these rules; or

(b) reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportuity of being heard on the reasons for such rejection:

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission under (a) or reject the application under (b); and the same shall be communicated in writing to the applicant not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

(3) Where the appropriate authority accepts the undertaking by the licensee to discharge the responsibility to restore the damage that such appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work, the appropriate authority, while granting permission under clause (a) of sub-rule (2), may seek a bank guarantee for an amount i lieu of expenses for restoration of such damage, as security for performance in the descharge of the responsibility.

(4) The appropriate authority shall not charge any fee other than those prescribled under sub-rule (3) of rule 5 and clause (a) of sub-rule (2) from the licensee for establishing underground telegraph infrastructure:

7. Obligations of licensee in undertaking work-

(1) The licensee shall make the payment of expenses or submit the bank guarantee as determined by the appropriate authority within a period of thirty days from the date of grant of permission and prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure:

Provided that the appropriate authority may, at its discretion, extend the said period for payment of expenses or submission of bank guarantee on an application made by the licensee seeking such extension.

(2) The licensee shall ensure that-

(a) prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure and at all times during the execution of work, the measures to mitigate public inconvenience and provide for public safety are implemented; and

(b) the work of laying underground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.

(3) The licensee shall ensure provision of positional intelligence, through appropriate technology, of all underground telegraph infrastructures to enable the appropriate authority to obtain real time information on its location.

8. Powers of appropriate authority to supervise the work-

(1) The appropriate authority may supervise the execution of work to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under clause (a) of sub-ruel (2) of rule 6 are observed by the licensee.

(2) The appropriate authority may, on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions as it may think fit.

(3) If the appropriate authority comes to the conclusion that the licensee has willfully violated any of of the conditions for grant of permission under clause (a) of sub-rule (2) of rule 6, it may forfeit, in full or in part, the bank guarantee submitted by the licensee and withdraw the permission granted to the licensee, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no action shall be taken under this sub-rule unless the licensee has been given an opportunity of being heard.

CHAPTER-III
ESTABLISHMENT OF OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

9. Application by a licensee.-

(1) A licensee shall, for the purposes of establishing overground telegraph infrastructure, upon any immovable property vested in or under the control or management of any appropriate authority, make an application, supported by such documents, to that appropriate authority in such form and manner as may be specified by that appropriate authority.

(2) The information along with supporting documents to be provided by the licensee in the application made under sub-rule (1) shall include-

(i) a copy of the licence granted by the Central Government;

(ii) the nature and location, including exact latitude and longitude, of post or other above round contrivances proposed to be established;

(iii) the extent of land required for establishment of the orverground telegraph infrastructure;

(iv) the details of the building or structure, where the establishment of the overground telegraph infrastructure, is proposed:

(v) the copy of approval issued by the duly authorised officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for the transmission of Radio waves or Hertzian waves;

(vi) the mode of and the time duration for, execution of the work ;

(vii) the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;

(viii) the measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work ;

(ix) the detailed technical design and drawings of the post or other above ground contrivances;

(x) certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safelty, of the overground telegraph infrastructure;

(xi) certification by a structural engineer, attesting to the structural safety of the building, where the post or other above ground contrivances is proposed to be established on a building;

(xii) the names and contact details of the employees of the licensee for the purposes of communication in regard to the application made;

(xiii) any other matter relevant, in the opinion of the licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and

(xiv) any other matter connected with or relevant to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government or appropriate local authority:

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit:

Provided that the one-time fee, to meet administrative expenses, accompanying every application shall not exceed ten thousand rupees.

10. Grant of permission by appropriate authority.-

(1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely:-

(a) the extent of land required for the orverground telegraph infrastructure;

(b) the location proposed;

(c) the approval issued by the duly authorised officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for transmission of Radio waves or Hertzian waves;

(d) the mode of and the time duration for execution of the work ;

(e) the estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;

(f) assessment of the inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the establishment or maintenance of the overground telegraph infrastructure and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;

(g) certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safety of the overground telegraph infrastructure;

(h) certification, by a structural engineer, of the structural safety of the building on which the post or other above ground contrivances is proposed to be established;

(i) any other matter, consistent with the provision of the Act and these rules, connected with or related to the laying of overground telegraph infrastructure, through a general or special order or guidelines by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority:

(2) Where the establishment of the overground telegraph infrastructure renders the immoveable property, vested in the control or management of any appropriate authority over which such overground telegraph infrastructure is established, unlikely to be used for any other purpose, the appropriate authority shall be entitled to compensation for the value of the immoveable property, either once or annually, assessed on such rates as that appropriate authority may, by general order, specify.

(3) The appropriate authority shall, within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 9-

(a) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measurs to mitigate public inconvenience or enhance public safety or structural safety and payment of restoration charge or compensation, subject to the provisions of the Act and these rules; or

(b) reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection:

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission under clause (a) or reject the application under clause (b) and the same shall be communicated in writing to the applicant not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

(4) The appropriate authority shall not charge any fee other than those mentioned under sub-rule (3) of rule 9 and clause (a) of sub-rule (3) from the licensee for establishing overground telegraph infrastructure.

11. Obligations of licensee in undertaking work.-

(1) The licensee shall ensure that-

(a) prior to the commencement of establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure and at all times, the measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety, including structural safety of such overground telegraph infrastructure are implemented;

(b) the work of establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.

12. Powers of appropriate authority of supervise the work.-

(1) The appropriate authority may supervise the establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under clause (a) of sub-rule (3) of rule 10 are observed by the licensee.

(2) The appropriate authority may, on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions, as it may think fit.

(3) If the appropriate authority comes to the conclusion that the licensee has willfully violated any of the conditions for grant of permission under clause (a) of sub-rule (3) of rule 10, it may withdraw, for reasons to be recorded in writing, the permission granted to the licensee:

Provided that no action shall be taken under this sub-rule unless the licensee has been given an opportuity of being heard.

CHAPTER-IV

RIGHT OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SEEK REMOVAL OF UNDERGROUND OR OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

13. Right of appropriate authority to seek removal, etc.-

(1) Where the appropriate authority, having regard to circumstances which have arisen since the establishment of any underground or overground telegraph infrastructure under, over, along, across, in or upon, any immoveable property vested in or under the control or management of that appropriate authority, considers that it is necessary and expedient to remove or alter such telegraph infrastructure, it shall issue a notice to the licensee, being the owner of such telegraph infrastructure. to remover or alter its location.

(2) On receipt of the notice under sub-rule (1), the licensee shall, forthwith and within a period of thirty days, proceed to submit, to the appropriate authority, a detailed plan for removal or alteration of such telegraph infrastructure.

(3) The appropriate authority shall, after examination of the detailed plan submitted by the licensee under sub-rule (2), pass such orders as it deems fit:

Provided that the appropriate authority shall, having regard to emergent and expedient circumstances requiring the removal or alteration of such telegraph infrastructure, give a reasonable time of not less than ninety days to the licensee for removal or alteration of such telegraph infrastructure;

Provided further that the responsibility and liability, including the cost there of, for removal or alteration of such telegraph infrastructure shall be borne by the licensee.

CHAPTER-V

DISPUTE RESOLUTION

14. Disputes between licensee and appropriate authority.-

(1) Any dispute arising between a licensee and the appropriate authority in consequence of these reuls, shall be referred to the officer designated by the Central Government.

(2) The Central Government shall, within a period of sixty days from the date of coming into force of these rules, designate, by notification, officers with such jurisdiction an may be mentioned in the notification, for the purpose to referring disputes under sub-rule (1)

(3) The officer designated by the Central Government shall determine the disputes referred to in sub-rule (1) within a period not exceeding sixty days in such manner as may be specified by the Central Government from time to time.

[F.No. 2-6/2014-Policy-I (Vol.II)]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Dellhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Dellhi-110054,

HARINDRA KUMAR Digitally Signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.17 19:26:21

संख्या : 36 / 2018 / 852 / 78–1–2018–45आई.टी. / 2016

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर प्रमुख सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2018**

विषय : भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को ''इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016'' निर्गत किये गये हैं जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

2. भारत सरकार द्वारा निर्गत ''भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016'' के अध्याय 1 के प्रस्तर 4 उप–प्रस्तर (2) में निम्नवत् व्यवस्था है–

(2) समुचित प्राधिकारी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया विकसित करेंगे।

परन्तु यह कि राज्य सरकार स्वविवेकानुसार इसके नियन्त्रणाधीन सभी समुचित प्राधिकारियों के लिए एक एकल इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित कर सकेगी।

3. भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के क्रम में नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश द्वारा भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रख–रखाव (आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु) के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्रासंगिक शर्तों / नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश संख्या–72 / नौ79–18–161ज / 12 दिनांक 08.02.2018 निर्गत किया गया है।

4. अतः भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किए जाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना / मोबाइल टावर की स्थापना एवं रख–रखाव के लिए उनकी अनुमतियों / अनापत्तियों तथा ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑन लाईन प्राप्ति एवं उनके समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश एतद्द्वारा निर्गत किये जाते हैं–

ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया

5 दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत करते हुए प्रदेश शासन के विभागों / प्राधिकरणों / संस्थाओं / समितियों इत्यादि द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना / मोबाइल टावर की स्थापना एवं रख–रखाव के लिए अनुमतियों / अनापत्तियों हेतु एक ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया होगी।

'सिंगिल विन्डो क्लीयरेन्स'

6. इस ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक ऑन

लाइन पोर्टल विकसित कराया जायेगा जो 'सिंगिल विन्डो क्लीयरेन्स' के रूप में होगा तथा इसके माध्यम से आवेदन की प्रस्तुति एवं उनका निस्तारण सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा समयबद्ध रूप से किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा तथा इसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली सूचनाओं/अभिलेखों/अनापत्तियों को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एक समान रूप से लागू

7. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाइल टावर की स्थापना एवं रख–रखाव के लिए जिन शासकीय विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि की भूमि/भवन से सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे, उनकी अनुमतियों/अनापत्तियों के लिए **ऑन लाइन आवेदन एवं उनके समयबद्ध निस्तारण की यह एकल प्रक्रिया** राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों/पंचायतों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि पर उनके **सुसंगत नियमों के अन्तर्गत** एक समान रूप से लागू होगी। वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत दिशा–निर्देशों के सन्दर्भ में जो प्रतिबन्ध सुझाये गये हैं, उन्हें उनके द्वारा आवेदक को प्रदान की जाने वाली अनुमतियों में प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

8. भारत सरकार की अधिसूचना में अधिनियम से सम्बन्धित परिभाषायें, स्थानीय प्राधिकारी आदि द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना, विवादों के समाधान किए जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी नुकसान के पुनर्स्थापन तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा तार अवसंरचना के हटाये जाने या परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया हेतु व्यवस्था दी गई है तथा आवेदनों हेतु एक–समान शुल्क एवं आवेदनों के निस्तारण हेतु समयबद्धता का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–2 के प्रस्तर 6 (2) तथा अध्याय–3 के प्रस्तर 10 (3) में आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित, ''आवेदन की तारीख से 60 (साठ) दिवसों से अनधिक की अवधि'' को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ''आवेदन की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिवसों से अनधिक की अवधि'' पढ़ा जाये। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

9. नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 08.02.2018 के अन्तर्गत आच्छादित नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों हेतु राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों/पंचायतों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 (परिशिष्ट–1) द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकृत करते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेशों/मार्गनिर्देशों/नियमावलियों में आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन सुनिश्चित कराये जायेंगे।

10. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिए) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. की अधिसूचना संख्या 1126/78/आईटी–1–2001–81 इले.–98–टीसी, दिनांक 03 नवम्बर, 2001 तथा स्थानीय प्राधिकारियों की भूमि पर ''ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की विज्ञप्ति संख्या 1508/78–आईटी–1–2001, दिनांक 03 नवम्बर 2001 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को एतद्द्वारा अवक्रमित समझा जाये।

11. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियमों में किन्हीं संशोधनों के फलस्वरूप उक्त दिशा–निर्देशों को यथासमय संशोधित किया जायेगा।

भवदीय

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या–36 / 2018 / 852(1)78–1–2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र. शासन।
5. निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
13. गोपन अनुभाग–1
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 1646 / 8–3–18–34विविध / 08

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक : 05 अक्टूबर, 2018

विषय : भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 के शासनादेश सं.–36 / 2018 / 852 / 78 / 1 / 2018–45 आई.टी. / 2016, दिनांक 15.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.11.2016 को जारी भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम–2016 (इण्डियन टेलीग्राफ राइट–आफ–वे–रूल्स, 2016) को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किये जाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना / मोबाइल टावर की स्थापना और रख–रखाव के लिए उनकी अनुमतियों / अनापत्तियों तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति एवं उनके समयबद्ध रूप से संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गये है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कराया जाएगा जो 'सिंगल विंडो क्लीयरेन्स' के रूप में होगा तथा इसके माध्यम से आवेदन की प्रस्तुति एवं उनका निस्तारण सम्बन्धित विभागों / प्राधिकरणों / संस्थानों / समितियों द्वारा समयबद्ध रूप से किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों / विकास प्राधिकरणों / संस्थाओं / समितियों, इत्यादि के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा तथा उसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी वाली सूचनाओं / अभिलेखों / अनापत्तियों को भी स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा। उक्त ऑनलाइन आवेदन एवं उनके समयबद्ध निस्तारण की यह एकल प्रक्रिया राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों इत्यादि पर उनके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत एक समान लागू होगी।

2. उक्त शासनादेश में भारत सरकार की अधिसूचना में अधिनियम से सम्बन्धित परिभाषाएँ, स्थानीय प्राधिकारी आदि द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना, विवादों के समाधान किए जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी नुकसान के पुनर्स्थापन तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा तार अवसंरचना के हटाये जाने या परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया हेतु व्यवस्था दी गयी है तथा आवेदनों हेतु एक समान शुल्क एवं आवेदनों के निस्तारण हेतु समयबद्धता का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय–2 के प्रस्तर 6(2) तथा अध्याय–3 के प्रस्तर 10 (3) में आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित "आवेदन की तारीख से 60 (साठ) दिवसों से अनधिक की अवधि" को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में "आवेदन की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिवसों से अनधिक की अवधि" पढ़ा जाये, का उल्लेख किया गया है। साथ ही उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभागों / प्राधिकरणों / संस्थाओं / समितियों इत्यादि द्वारा सुनिश्चित किए जाने के निर्देश हैं।

3. भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के क्रम में नगर विकास अनुभाग–9, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदेश की नगर निकायों की सीमान्तर्गत भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना और रख–रखाव (आप्टिकल

फाइबर लाइन बिछाने हेतु) के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्रासंगिक शर्तों/नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश सं.–72/नौ–9–2018–161 ज/12, दिनांक 08 फरवरी, 2018 निर्गत किया गया है।

4. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) के अध्याय–12 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 के अन्तर्गत उक्त संशोधन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृपया इस पर विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें :–

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
अध्याय–12 शीर्षक	सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएँ	सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाइल टावर की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु अपेक्षाएँ
12.2(VI)	निर्माण से पूर्व मानचित्र, शपथ–पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र रुपया एक लाख की अनुज्ञा फीस के साथ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे तथा प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त अनुज्ञा फीस का 25 प्रतिशत नवीनकरण शुल्क जमा किया जायेगा। अनुज्ञा फीस के रूप में प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड' में जमा की जायेगी।	निर्माण से पूर्व मानचित्र, शपथ–पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र रुपया दस हजार के प्रशासनिक शुल्क के साथ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड' में जमा की जायेगी।
12.2(VII)		निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्र 30 दिनों की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं बढ़ाने की सहमति न दी गयी, तो मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, बशर्ते मानचित्र पर अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित हो कि मानचित्र महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है।
12.4	4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी.बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की अनुमति शासनादेश सं.–1485 /नौ–9–2012–161 ज/12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर–8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त शासनादेश दिनांक 15.10.12 स्थापित व्यवस्था, प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन की स्थिति में प्रदान की जायेगी।	4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी.बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की अनुमति शासनादेश सं.–1485 /नौ–9–2012–161 ज/12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर–8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त शासनादेश दिनांक 15.10.2012 तथा शासनादेश सं.–286/नौ–9–2014 –161ज/12, दिनांक 11 मार्च, 2014 में स्थापित व्यवस्था प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन की स्थिति में प्रदान की जायेगी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की 'भारतीय तार मार्ग के

		अधिकार नियम–2016' सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अंगीकरण विषयक शासनादेश संख्या–72/नौ–9–2018–161 ज/12, दिनांक 08 फरवरी, 2018 द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त उपविधि पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें। ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ।
4. सलाहाकार नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

अनाधिकृत निर्माण का शमन

संख्या : 704 / आठ–8–17–194काम्प / 2001

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

2. **जिलाधिकारी / नियत प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, **लखनऊ : दिनांक : 03 मई, 2018**

विषय : अनाधिकृत कालोनियों पर अंकुश / रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास / निर्माण कार्य करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त की अवहेलना करते हुए अधिकांश विकास क्षेत्र में ले–आउट प्लान स्वीकृत कराये बिना कालोनियाँ निर्मित कर ली गयी हैं, जिनमें अधिकतर में विकास कार्य या तो अधूरे हैं अथवा निर्धारित स्तर के नहीं हैं।

2– अनाधिकृत कालोनियों की बढ़ती संख्या के कारण वहाँ पर निवास करने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अनाधिकृत कालोनियों पर नियंत्रण के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं–

(i) दिनांक 01.05.2016 तक निर्मित अनाधिकृत कालोनियों को रिमोर्ट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से गूगल मैप 15 दिन में अनिवार्य रूप से तैयार करा लिया जाये। गूगल मैप की सक्षम प्राधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणित प्रति सील कर सुरक्षित रखी जाये तथा एक–एक प्रमाणित प्रति अध्यक्ष / मण्डलायुक्त तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. को उपलब्ध करायी जाये।

(ii) भविष्य में अनाधिकृत निर्माण / विकास पर नियंत्रण हेतु विकास क्षेत्र को जोन्स में विभाजित किया जाये।

(iii) विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण / विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल / प्रवर्तन अधिकारी चार्ज छोड़ने / ग्रहण करते समय गूगल मैप की हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से एक–दूसरे को हस्तान्तरित करेंगे ताकि यह स्पष्ट रहे कि उक्त अधिकारी की तैनाती अवधि के दौरान कितना अवैध निर्माण हुआ है।

(iv) अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्तन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अनाधिकृत निर्माण/विकास के नियंत्रण से सम्बन्धित टिप्पणी अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या : 704(1)/आठ–8–18–194काम्प/2001 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, आवास बन्धु को वेबसाइट के उपयोगार्थ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

संख्या : 1428/आठ–8–2018–194काम्प/2001

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, **लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2018**

विषय : अनाधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त की अवहेलना करते हुए अधिकांश विकास क्षेत्र में ले–आउट प्लान स्वीकृत कराये बिना कालोनियाँ निर्मित हो गयी हैं, जिनमें से अधिकतर में विकास कार्य या तो अधूरे हैं अथवा निर्धारित मानक/स्तर के नहीं हैं। अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण में विकास प्राधिकरणों के समक्ष आ रहे व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या–5097/9–आ–3–2001(आ.ब्र.) दिनांक 26.05.2001, शासनादेश संख्या–5438/9–आ–3–2001, दिनांक 02.12.2003 शासनादेश संख्या–3805/8–3–2008–194 काम्प/2001 दिनांक 05.08.2008 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये। उक्त दिशा–निर्देशों द्वारा भविष्य में अनधिकृत विकास/निर्माण के प्रभावी नियंत्रण हेतु भी आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि अनधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु निर्गत उपरोक्त निर्गत दिशा–निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन प्रभावी कार्यवाही/अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण अनियंत्रित विकास कार्य पर रोक लगने के स्थान पर उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जो गम्भीर व चिन्ता का विषय है। प्रदेश में अनियंत्रित विकास/ मानक के अनुरूप भवनों के निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएँ भी घटित हुई है, जिससे व्यापक जान–माल की हानि हुई है।

3– शहरों के तीव्र विकास/प्रसार के कारण शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। विकास प्राधिकरणों द्वारा निवासियों की मांग के अनुरूप निवास हेतु पर्याप्त भवन/भूमि की पूर्ति में असफल रहे हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जनसामान्य में भूमि के क्रय/विक्रय, विकास क्षेत्र, विकास योजना एवं भवन निर्माण

से सम्बन्धित अधिनियम / नियम / शासनादेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किये जाने का लाभ तथाकथित मध्यवर्ती विकासकर्ता द्वारा उठाया जाता है। कृषकों की कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण / कब्जा होने का भय दिखाकर अनिधकृत / अप्रत्यक्ष रूप से भूमि का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए भ्रामक / फर्जी विज्ञापन के माध्यम से जनसामान्य को धोखा देकर विकास प्राधिकरण की महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत आवासीय / व्यवसायिक व अन्य उपयोग हेतु विकास प्राधिकरण / नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान / तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना ही भूमि पर चूना डालकर व दिखने योग्य अल्प खुदाई कर प्लाटों की कटिंग कर गरीब / मेहनतकश जनता को गुमराह कर सीधे भूमि के वास्तविक स्वामित्व रखने वाले कृषकों से बैनामा करा दिया जाता है। इस प्रकार तथाकथित विकासकर्ता मात्र मध्यवर्ती / बिचौलिया की भूमिका में रहता है। जब कृषक की समस्त भूमि का क्रय–विक्रय पूर्ण हो जाता है, तो मध्यवर्ती विकासकर्ता की भूमिका भी समाप्त हो जाती है और क्रेता को दूसरों की दया पर छोड़कर भाग खड़ा होता है। विधि की व्यवस्था से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा क्रय की गयी भूमि पर अपनी जमा पूंजी के अनुसार बाउन्ड्रीवाल व भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाता है। भवन निर्माण का कार्य आरम्भ होते ही अथवा पूर्ण होने के उपरान्त विकास प्राधिकरण के अभियन्ता / कार्मिकों एवं अन्य माध्यमों से भूमि पर अनधिकृत निर्माण तथा नियमों की जानकारी होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में एक बार मध्यवर्ती विकासकर्ता द्वारा धोखाधड़ी का गरीब व्यक्ति को अवस्थापना सुविधा न होते हुए भी निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत भूमि के क्रय पर धनराशि व्यय किया जाता है। उक्त कार्यवाही के कारण ही अनधिकृत कालोनियाँ / अनियंत्रित विकास प्रारम्भ होता है। ऐसी कालोनियों में मूलभूत सुविधाएँ निवासियों को प्राप्त नहीं होती हैं। तदोपरान्त अनधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण की दशा में विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क के रूप में पुनः धनराशि गरीब व्यक्ति से ही वसूल की जाती है। इस प्रकार गरीब व्यक्ति दो बार धनराशि व्यय करने हेतु विवश होता है। विकास शुल्क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, मानचित्र शुल्क, शमन शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क जमा नहीं किये जाने की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर भय बना रहता है। उपरोक्त प्रकार के क्रय / विक्रय एवं निर्माण से केवल मध्यवर्ती विकासकर्ता लाभान्वित होता है और क्रेता, विक्रेता तथा राज्य सरकार को हानि होती है। अतएव अनधिकृत कालोनी / अनियंत्रित विकास हेतु मुख्य दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता / कालोनाइजर होता है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनधिकृत कालोनी / अनियंत्रित विकास पर अंकुश / रोकथाम पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनधिकृत / अनियंत्रित विकास की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(1) अनिधकृत कालोनियों के विकास / निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता / कालोनाइजर को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(2) अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता / कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाये।

(3) जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अनधिकृत कालोनियों के निर्माण की रोकथाम में विफल / संलिप्त दोषी अधिकारियों / कार्मिकों को चिन्हित करने की कार्यवाही पूर्ण करें।

(4) अनधिकृत कालोनियों के निर्माण की रोकथाम हेतु अधिकारियों/कार्मिकों की जवाबदेही तय की जाये। अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सम्बन्धित जाने के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी बनाया जाये।

(5) जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत कालोनियों को रिमोर्ट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से गूगल मैप 15 दिन में अनिवार्य रूप से तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे। गूगल मैप की सक्षम प्राधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणित प्रति सील कर सुरक्षित रखी जाये तथा एक–एक प्रमाणित प्रति अध्यक्ष/ मण्डलायुक्त तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जाये।

(6) भविष्य में अनधिकृत कालोनियों के निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु विकास क्षेत्र को जोन्स में विभाजित किया जाये।

(7) विकास क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों के निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्तन अधिकारी चार्ज छोड़ने/ग्रहण करते समय गूगल मैप की हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से एक–दूसरे को हस्तान्तरित करेंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिकारी की तैनाती अवधि के दौरान कितना अवैध/अनधिकृत निर्माण हुआ है।

(8) अनधिकृत कालोनियों के निर्माण की दशा में जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जाये।

(9) अनधिकृत कालोनियों के निर्माण की रोकथाम हेतु समस्त जानकारी आवास बन्धु द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आवास बन्धु की वेबसाइट पर अपलोड की जायेंगी। विकास प्राधिकरण के स्तर से निर्गत समस्त आदेश एवं तथ्यों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जायेंगी।

(10) अनधिकृत कालोनियों के निर्माण की रोकथाम हेतु नियमों का सरलीकरण किया जाये साथ ही उसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाये।

(11) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक अभिकरणों के स्वामित्व की भूमि, संवेदनशील क्षेत्रों, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों, जलमग्न क्षेत्र, नदी, नाले, तालाब/पोखर आदि पर निर्मित अनधिकृत कालोनियों/कब्जों को हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। अनधिकृत कब्जों को हटाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल सम्बन्धित सर्किल आफीसर द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(12) विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूमि/भवन की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी।

(13) यह भी सुनिशिचित किया जाये कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही से अविवादित भूमि पर निर्मित अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को कोई कठिनाई/क्षति/हानि नहीं हो।

(14) आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों व नगर निकायों के ऐसे अभियन्ता, जो अवैध निर्माण होने देने के लिए उत्तरदायी थे और उनकी तैनाती की अवधि में अवैध निर्माण हुए, उन्हें अभिचिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के साथ–साथ उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण

प्रमुख सचिव

संख्या : (1)/आठ–8–18–194काम्प/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या : 1747/आठ–8–2018–194काम्प/2001</u>

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, **लखनऊ : दिनांक : 02 नवम्बर, 2018**

विषय : अनधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1428/आठ–8–2018–194काम्प/2001 दिनांक 09.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनाधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु दिये गये दिशा–निर्देश के सम्बन्ध निर्गत शासनादेश दिनांक 09.08.2018 के अनुपालन में शीर्ष 5 अनधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में सूचनाएँ निम्नांकित प्रारूप पर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा निदेशक, आवास बन्धु उक्त प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

प्रारूप

विकास प्राधिकरण का नाम..दिनांक..

क्र.सं.	अवैध कालोनी का नाम एवं स्थल की स्थिति	क्षेत्रफल (हे.में)	विकास/निर्माण का वर्ष	प्रोमोटर का नाम एवं पता	विकास शुल्क एवं अन्य शुल्कों के रूप में प्राधिकरण को हानि (रु.)	प्रोमोटर के विरुद्ध पूर्व में की गयी कार्यवाही	प्रोमोटर के के विरुद्ध वर्तमान में प्रस्तावित कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

भवदीय

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या : 1309/आठ–1–2018

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 23 जुलाई, 2018**

विषय : प्रदेश के प्राधिकरण एवं विकास परिषद क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित भवनों के क्षतिग्रस्त/ध्वस्त होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारतों के कोलैप्स (Collapse) होने का तथ्य शासन के संज्ञान में आया है। साथ में यह भी संज्ञान में आया है कि निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारतों का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराये तथा समुचित प्रक्रिया का पालन किये बिना अवैध रूप से किया जा रहा था, जिस कारण उक्त घटनायें घटित हुई हैं जिससे जान–माल की क्षति हुई है। शासन द्वारा इन घटनाओं को गम्भीरता से लिया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्राधिकरण/विकास परिषद क्षेत्रान्तर्गत इस प्रकार से हो रहे अवैध निर्माण को सर्वेक्षण कराकर चिन्हित कर उनके ध्वस्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करायी जाये। जिन अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये जा चुके हैं उन समस्त प्रकरणों में पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बन्ध में पर्यवेक्षणीय शिथिलता किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी तथा इस हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. कृपया शासन के इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना से होने वाले जान–माल की क्षति को रोका जा सके।

भवदीय

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाईल।

भवदीय

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या : 167/8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी.

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त नगर आयुक्त,**
नगर निगम/प्रभारी अधिकारी
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, **लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 2017**

विषय : प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2029/8–3–2005–70काम्प/2005 दिनांक 13.05.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से अतिक्रमण कर किये गये कब्जों तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये थे। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जहाँ एक ओर शहरों का नियोजित विकास प्रभावित हो रहा है वहीं दूसरी ओर सड़कों, फुटपाथों एवं पार्किंग क्षेत्रों के दुरुपयोग से यातायात एवं सामान्य जनजीवन में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए अतिक्रमण/अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जों/निर्माण के विरुद्ध समयबद्ध रूप से अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही करने व अवैध कब्जे की भूमि को मुक्त कराने के लिए निम्ववत् कार्यवाही अविलम्ब करने का निर्णय लिया गया है :–......

(1) अधिकतम मूल्य की व महत्वपूर्ण मार्गों, चौराहों एवं स्थलों पर सार्वजनिक भूमि पर किये गये ऐसे अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण, जो वृहद स्तर के हों एवं जिनके हटाने से शासन की मंशा के सम्बन्ध में स्पष्ट संदेश जा सके, उन्हें प्रथम वरीयता पर लिया जाय व अवैध कब्जे हटाकर स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग व अन्य शासकीय भूमि को तत्काल कब्जा दिलाया जाये।

(2) राष्ट्रीय राज्य मार्गों, राज्य मार्ग तथा नगरीय क्षेत्रों के अन्य मुख्य मार्गों एवं उनके किनारे व फुटपाथ इत्यादि पर किये गये अनधिकृत निर्माण को भी वरीयता दी जाये।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अनधिकृत अवैध निर्माण, जिनके सम्बन्ध में नगर निगम, नगर निकाय, प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद् एवं लोक निर्माण विभाग इत्यादि विभागों से सक्षम स्तर पर बिना

अनुमति / अनुज्ञा प्राप्त किये अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये हों उनके सम्बन्ध में भी प्राथमिकता पर कार्यवाही की जानी है, उदाहरणार्थ–

(क) महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत निर्माण किया गया हो।

(ख) जिनमें कोई भी मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त न की गयी हो अथवा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर अशमनीय निर्माण किया गया हो।

(ग) सेटबैक का व्यापक एवं अशमनीय उल्लंघन किया गया हो।

(4) सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन तथा अन्य विभागों, परिषदों अथवा निगमों / निकायों के सुसंगत अधिनियमों में निहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाये।

3. अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का समुचित रख–रखाव एवं उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ताकि पुनः उस भूमि पर अतिक्रमण न होने पाये। मुक्त करायी गयी भूमि की फेन्सिंग, बाउण्ड्री वाल इत्यादि बनाकर एवं अपेक्षित विकास करके विभागीय नीति के अनुसार त्वरित गति से उपयोग सुनिश्चित किया जाये एवं मुक्त करायी गयी भूमि का उपयोग / निस्तारण कर संसाधनों में वृद्धि की जाये।

इसी प्रकार सड़क व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के पश्चात सम्बन्धित अभिकरण / विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करा दिया जाये ताकि पुनः अतिक्रमण की सम्भावना न रहे। सम्बन्धित पुलिस थाने को अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण प्रेषित कर दिया जाये ताकि सम्बन्धित विभाग द्वारा अवमुक्त करायी गयी भूमि का समुचित उपयोग / निस्तारण हो जाने तक यथावश्यक पुलिस की सहायता प्राप्त कर उसकी अभिरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4. अतिक्रमण / अवैध निर्माण को चिन्हित करने के लिए नगर को 'जोन्स' में बांटकर उसके लिए समुचित स्तर के वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाये। उक्त अधिकारियों के नियंत्रण में क्षेत्र स्तरीय अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता अथवा अन्य समकक्षीय विभागीय अधिकारियों को अतिक्रमण / अवैध निर्माण रोकने के लिए उत्तरदायी बनाया जाये एवं स्पष्ट रूप से सड़क की लम्बाई, वार्ड अथवा सेक्टर्स चिन्हित कर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। यह लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया जाये कि अतिक्रमण / अवैध निर्माण होने की दशा में उपरोक्त अधिकारियों तथा निर्धारित क्षेत्र / जोन में तैनात अन्य सम्बन्धित समस्त अधिकारी / कर्मचारी अतिक्रमण हेतु दोषी पाये जाने पर दण्डित किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26–घ में अतिक्रमण को न रोकने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् हैं :–

> ''जो कोई इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम, नियमावली अथवा उपविधि के अन्तर्गत अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने के विशेष कर्तव्य के अधीन होते हुए ऐसे अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने मे जानबूझकर अथवा आशयपूर्वक उपेक्षा करेगा अथवा जानबूझकर लोप करेगा, साधारण करावास से, जो एक माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डीनय होगा।''

जोनल स्तर के उत्तरदायी अधिकारी चिन्हित अवैध निर्माणों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करायेंगे और उक्त अभिलेख दिन–प्रतिदिन के आधार पर "अपडेट" किये जायेंगे जिसे उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा। अभिलेखीकरण हेतु फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं कम्प्यूटरीकरण की प्रचलित विधाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जाये एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं अभिलेखों से छेड़–छाड़ न किये जाने की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

5. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध इस अभियान का समग्र समन्वय एवं मानीटरिंग मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। उनके स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्ध किये जाने, ध्वस्तीकरण एवं उसके पश्चात अवमुक्त करायी गयी भूमि के विभागीय/शासकीय हित में समुचित निस्तारण इत्यादि की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर प्रभावी कार्य योजना मण्डलायुक्त द्वारा तैयार करायी जायेगी एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

मण्डलायुक्त द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही हेतु उत्तरदायी नोडल अधिकारियों को चिन्हित कर उत्तरदायी बनाया जायेगा एवं अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने के इस अभियान की नियमित रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा एवं संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. नगर निगमों के नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आवास आयुक्त, अपर आवास आयुक्त व निकायों व अन्य विभागों के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्ध किये जाने, ध्वस्तीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे एवं मण्डलायुक्त को यथापेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

अभियान के दौरान मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण यथा–क्षेत्रफल, अनुमानित मूल्य, कब्जे की प्रकृति इत्यादि का विवरण आयुक्त के माध्यम से संकलित कराकर शासन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन आवास बन्धु को उनके ई–मेल/फैक्स के माध्यम से संलग्न प्रारूप पर अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिदिन के आधार पर उक्त सूचना प्रतिदिन 5.00 बजे तक उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आवास बन्धु स्तर पर सूचनाओं का साप्ताहिक संकलन कर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को अगले सप्ताह के प्रथम कार्य दिवस (सोमवार) पर प्रस्तुत की जायेगी, जो प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की टिप्पणी के साथ मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जायेगी।

8. सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उपरोक्तानुसार कार्य योजना बनाकर युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। यथासम्भव प्रत्येक दशा में 15 दिन में सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाये।

9. अवैध निर्माण/सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त आवश्यक सहयोग एवं पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा।

10. अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के सम्बन्ध में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये कठोर निर्देशों के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय ताकि नगरों के सुनियोजित विकास की संकल्पना साकार हो सके एवं विभागीय एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण करने वाले

अवांछनीय तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इससे न केवल बहुमूल्य शासकीय भूमि अवमुक्त करायी जा सकेगी वरन् सामान्य जन को भी बेहतर नगरीय जीवन सुलभ हो सकेगा एवं शासन तथा सम्बन्धित विभागों की सामान्य छवि एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठा में भी अपेक्षित सुधार हो सकेगा।

11. अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाकर सार्वजनिक भूमि को मुक्त करने की उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जायेगी एवं उपरोक्त क्रिया–कलाप में किसी भी प्रकार की विभेदकारी प्रवृत्ति नहीं अपनायी जायेगी।

भवदीय

राहुल भटनागर

मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5\. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9\. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10\. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11\. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
12\. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
13\. नियंत्रक प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
14\. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
15\. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन।
16\. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
17\. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

सदाकान्त

अपर मुख्य सचिव

अतिक्रमित/अनधिकृत कब्जे से प्रभावित/मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण

विभाग का नाम :

दिनांक :
मण्डल :
जनपद

क्र.सं.	अनधिकृत कब्जे से प्रभावित भूमि का विवरण					अनधिकृत कब्जे से भूमि मुक्त कराने का लक्ष्य/कार्यवाही				अभ्युक्ति
	भूमि की स्थलीय स्थिति	भूमि की प्रकृति एवं अनुमन्य भू–उपयोग	भूमि की कब्जे की प्रकृति (अस्थाई या स्थाई)	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भूमि का मूल्य (रु. लाख में)	अनधिकृत कब्जे की कुल भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आलोच्य तिथि तक मुक्त कराई गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अवमुक्त कराई गई भूमि का मूल्य (रु. लाख में)	अवमुक्त कराई गई भूमि की सुरक्षा/निस्तारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मण्डलायुक्त...
नाम मण्डल...

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या : 2239/आठ–5–2017

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2017**

विषय : विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्यों में लगाये गये सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं की प्रवर्तन अनुभाग में तैनाती अवधि/चार्ज हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्यों में प्रभावी नियन्त्रण हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त अभिकरणों में प्रवर्तन कार्य से सम्बद्ध सहायक अभियन्ताओं को अधिकतम 02 वर्ष से अधिक प्रवर्तन कार्यों से सम्बद्ध न किया जाये एवं किसी जोन/क्षेत्र विशेष का कार्य 06 माह से अधिक न दिया जाये। इसी प्रकार अवर अभियन्ता को प्रवर्तन कार्यों में अधिकतम एक वर्ष से अधिक सम्बद्ध न किया जाये एवं किसी जोन/क्षेत्र में अधिकतम 03 माह से अधिक की अवधि हेतु पदस्थ न किया जाये। इस सम्बन्ध में व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता किन्हीं जोन विशेष के दायित्वों से मुक्त होने की अवधि में निम्न प्रारूप पर चार्ज हस्तान्तरित करेंगे एवं तभी सम्बन्धित अभियन्ता का वेतन आहरित किया जा सकेगा :–

क्र.सं.	जोन/क्षेत्र का नाम	चार्ज लेने की तिथि	चार्ज देने की तिथि	क्षेत्र में हो रहे कुल निर्माणों की संख्या	नियमित रूप से किये जा रहे निर्माणों की संख्या (सूची संलग्न करें)	अनधिकृत रूप से निर्मित किये गये भवनों की संख्या (सूची निम्न प्रारूप में संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

क्रमांक–7 की संलग्न सूची का प्रारूप

क्र.सं.	अनाधिकृत निर्माणकर्ता का नाम एवं पता	अनाधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल एवं तलों की संख्या	धारा–27 एवं 28 की कार्यवाही तिथि	धारा–28(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही की स्थति	धारा–27 के धराशयन आदेश की स्थिति	धारा–27 के आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपाध्यक्ष, चार्ज हस्तान्तरण की प्रति निदेशक, आवास बन्धु को भी प्रेषित की जाये।

भवदीय

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

भवदीय

अजय कुमार सिंह
अनु सचिव

शुल्क / फीस निर्धारण

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–2440/आठ–1–17–05 विविध/2017
लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

प्रदेश में पर्यटन उद्योगों को संरक्षित करने, निजी क्षेत्र को पर्यटन सेक्टर में सहभागिता एवं पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन की सम्भावनाएँ विकसित करने के उद्देश्य से उ.प्र. पर्यटन नीति–2016 प्रख्यापित की गयी है। प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा सर्वतोन्मुखी पर्यटन विकास हेतु शासन द्वारा उ.प्र. पर्यटन नीति–2016 प्रख्यापित की गई है। उक्त नीति के प्रस्तर–12(4) में प्राविधान है कि नई पर्यटन इकाइयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। नीति के प्रस्तर–14(1) में प्राविधान है कि पर्यटन इकाई को प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नीति के प्रस्तर–15 में पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत आने वाले पर्यटन गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है।

2– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–2281/8–3–14–194विविध/14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से उ.प्र. नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के नियम 3(तीन) के प्राविधानानुसार जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहाँ भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

उक्त के अतिरिक्त अधिसूचना संख्या–1811/8–3–14–211विविध/13, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के माध्यम से उ.प्र. नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के नियम 3(छः) के प्राविधानानुसार जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहाँ विकास शुल्क छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

3– उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–53 में छूट (Exemption) सम्बन्धी प्राविधान निम्नवत् है :–

''छूट–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जैसे इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी भूमि या भवन अथवा भूमि या भवन के वर्ग को इस अधिनियम के उपबन्धों में से सभी या किसी या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमों से छूट प्रदान कर सकेगी।''

4– अतः श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा 53 में वर्णित छूट सम्बन्धी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यटन नीति 2016 के प्राविधानों के तहत पंजीकृत पर्यटन इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क तथा विकास शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(1) पर्यटन इकाईयों का संचालन आगामी पाँच वर्षों तक किये जाने की बाध्यता होगी।

(2) पर्यटन इकाईयों को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा शासनादेश के किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर दी गयी शुल्क मुक्ति की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

(3) पर्यटन इकाई के लिए स्थल का चयन ऐसे स्थान पर हो, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाले एवं बाह्य विकास की सुविधाएँ पहले से ही उपलब्ध हों।

(4) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुसंगत नियमों के अनुसार पर्यटन इकाई के लिए जो मानक निर्धारित हैं, उनका अनुपालन लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्तानुसार शुल्क से छूट की सुविधा उन्हीं पर्यटन इकाईयों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा पर्यटन नीति–2016 के प्रख्यापन तिथि के उपरान्त नीति के प्राविधानों के तहत पंजीकरण कराया गया हो।

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

<u>संख्या : 2440(1)/आठ–1–17–05विविध/2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे, इसे दिनांक 08.12.17 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को एवं नीचे अंकित अधिकारियों की प्रति सीधे उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

<u>संख्या : 2440(2)/आठ–1–17–05विविध/2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
3. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–465 / आठ–1–18–59 विविध / 2018
लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2018

अधिसूचना

प्रदेश को सर्वोच्च पर्यटन राज्य के रूप में स्थापना, जनसाधारण उद्यमशीलता को प्रोत्साहन एवं पर्यटन के माध्यम से सतत् एवं समावेशी विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2018 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति में यह प्राविधान है कि सभी नई पर्यटन इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट मिलेगी तथा लीज होल्ड टूरिज्म इकाईयों को विकास प्राधिकरणों के नियमों के अन्तर्गत फ्री–होल्ड कराने की अनुमति प्राप्त होगी। नीति में यह भी प्राविधान है कि किसी विकास क्षेत्र में यदि कोई पुरानी हेरिटेज सम्पत्ति, हेरिटेज होटल में परिवर्तित की जाती तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी परिवर्तित की गई सम्पत्ति के भू–उपयोग को ''हेरिटेज होटल'' की संज्ञा प्रदान करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। नीति के अन्तर्गत 'नई पर्यटन इकाई' एवं 'हेरिटेज होटल' को परिभाषित किया गया है तथा पात्र पर्यटन इकाईयों को अनुमन्य प्रोत्साहन एवं रियायतें प्राप्त करने हेतु पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

2– उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–53 में इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावलियों या विनियमों से छूट के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है :–

''इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी भूमि या भवन को अथवा भूमि या भवन के किसी वर्ग को इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों से छूट प्रदान कर सकेगी।''

3– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–2281 / 8–3–14–194 विविध / 14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से उ.प्र. नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है, जिसके नियम–3(तीन) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहाँ भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–1811 / 8–3–14–211 विविध / 13, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से उ.प्र. नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है जिसके नियम 3(छः) में यह प्राविधान है कि जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहाँ विकास शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

4– अतः श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–53 में वर्णित छूट सम्बन्धी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2018 के अधीन पंजीकृत नई पर्यटन इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क से शत–प्रतिशत छूट तथा हेरिटेज होटल को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(1) लाभार्थी पर्यटन इकाईयों का संचालन आगामी पाँच वर्षों तक किये जाने की बाध्यता होगी।

(2) पर्यटन इकाईयों को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर शुल्क में दी गयी छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित राज्य सरकार को वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।

(3) इस नीति के अधीन प्रोत्साहन एवं रियायतें प्राप्त करने वाली पर्यटन इकाईयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ स्वयं प्राप्त की जाएंगी और पर्यटन विभाग की गाईडलाइन्स का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं सब्सिडी निरस्त कर दिये जायेंगे।

(4) पर्यटन इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि बाह्य विकास की सुविधाएँ उपलब्ध हों।

(5) पर्यटन इकाई के लिए विकास प्राधिकरणों की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुसंगत नियमों के अनुसार जो मानक निर्धारित हैं, उनका अनुपालन लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्तानुसार शुल्क से छूट की सुविधा उन्हीं पर्यटन इकाईयों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा पर्यटन नीति–2018 के प्रख्यापन तिथि के उपरान्त उक्त नीति के प्राविधानों के अधीन पंजीकरण कराया गया हो।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या : 465(1)/आठ–1–18–59विविध/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे, इसे दिनांक 25.05.2018 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को एवं 05 प्रतियाँ नीचे अंकित अधिकारियों को सीधे उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

<u>संख्या : 465(2)/आठ–1–18–59विविध/2018 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

संख्या : 812 / आठ–8–2018–08विविध / 2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, **लखनऊ : दिनांक : 08 जून, 2018**

विषय : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली ''कृषि'' भू–उपयोग का ''औद्योगिक'' भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–546 / 18–2–2018–80 (ल0उ0) / 2017 दिनांक 24.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017 में उल्लेख किया गया है कि–

प्रदेश में उद्यमिता, स्वरोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने हेतु इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किए जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017 राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति में यह प्राविधान है कि विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि का भू–उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की इकाईयों तथा औद्योगिक पार्क को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

2– उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–53 तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के नियम–3 के उप नियम (तीन) के अधीन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017 के आलोक में विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भू–उपयोग का औद्योगिक भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों एवं औद्योगिक पार्क भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017 में परिभाषित औद्योगिक इकाईयों तथा औद्योगिक नीति में वर्णित औद्योगिक पार्क हेतु 'कृषि' भू–उपयोग से 'औद्योगिक' भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) औद्योगिक इकाई एवं औद्योगिक पार्क की स्थापना / संचालन 05 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(3) उक्त नीति के अधीन स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं औद्योगिक पार्क को निर्धारित प्रयोजन

हेतु भूमि के उपयोग की सुविधा अनुमन्य होगी। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में दी गयी छूट स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(5) औद्योगिक पार्क एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा औद्योगिक नीति व उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त प्राविधानिक व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या : (1)/आठ–1–2018–08विविध/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या : 985 / आठ–1–18–08विविध / 2016

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2018**

विषय : अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में आपके के अधीन अवस्थापना विकास निधि का गठन किया गया है, जिससे प्राधिकरण के विकास कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, जिसके लिए भूमि की उपलब्धता एवं उक्त भूमि के बाह्य विकास को सुनिश्चित किया जाना है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन को यह अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके नियंत्रणाधीन प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना निधि में कितनी धनराशि उपलब्ध है? इस धनराशि से वर्तमान में कौन–कौन सी प्राधिकरण की योजनाएँ संचालित हैं एवं इनकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की स्थिति क्या है? यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त निधि के अन्तर्गत कौन सी नयी योजनाएँ की जानी प्रस्तावित हैं?

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कराकर उसका बाह्य विकास कराने का कष्ट करें। योजना की महत्ता के दृष्टिगत सर्वोच्च प्राथमिकता विशेष रूप से अपेक्षित है।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–948(1)/आठ–1–18–44 विविध/18
लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–152/9–आ–1–1998, दिनांक 15.01.1998 के अधीन विकास प्राधिकरणों की कुछ स्रोतों से आय के निर्धारित अंश को एक अलग बैंक खाते जो आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु निहित हैं, में जमा किए जाने की व्यवस्था है। परन्तु उस खाते में जिस क्षेत्र/कालोनी से शुल्क (विशेष कर विकास शुल्क) जमा किया जा रहा है उसका उसी क्षेत्र/कालोनी विशेष में उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–152/9–आ–1–1998, दिनांक 15.01.1998 के जारी होने के पश्चात शासन द्वारा क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क का निर्धारण किया गया है तथा विकास शुल्क, नगरीय विकास प्रभार एवं भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार नियमावलियाँ प्रख्यापित की गई हैं, जिनके प्राविधानों के दृष्टिगत उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.01.1998 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2– उपरोक्त के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या–152/9–आ–1–1998, दिनांक 15.01.1998 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :–

2.1 विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को प्राधिकरण के सामान्य पूल में न डालकर निम्नानुसार दो अलग–अलग बैंक खातों में जमा किया जाएगा–

(क) नगर स्तरीय अवस्थापना विकास खाता

(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (नगरीय विकास प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली, 2014 के अधीन नगरीय विकास प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का शत–प्रतिशत अंश।

(2) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का शत–प्रतिशत अंश।

(3) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–32 के अधीन अनाधिकृत निर्माण के शमन से शमन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश तथा शेष 50 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

(4) विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सम्पत्तियों को फ्री–होल्ड किए जाने से प्राप्त होने वाली आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

(5) विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/सृजित सम्पत्तियों के विक्रय–विलेख के निबन्धन से प्राप्त होने वाली आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

(ख) क्षेत्रीय अवस्थापना विकास खाता

(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अधीन विकास शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का शत–प्रतिशत अंश।

(2) अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

(3) क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश।

2.2 नगर स्तरीय एवं क्षेत्रीय अवस्थापना विकास खाते में से प्रत्येक वर्ष 80 प्रतिशत पूंजीगत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत राजस्व व्यय किया जायेगा। उक्त खातों में से पूंजीगत व्यय निम्न समितियों के अनुमोदन से किया जायेगा :–

(1) नगर स्तरीय अवस्थापना विकास खाते में से नगर की सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के सम्वर्द्धन / विस्तार हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी तथा जल निगम के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, के अनुमोदन से व्यय किया जाएगा।

(ख) क्षेत्रीय अवस्थापना विकास खाते में से सम्बन्धित क्षेत्र / कालोनी के विकास कार्यों हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता / प्रभारी अभियंत्रण तथा जल निगम के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, के अनुमोदन से व्यय किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का ब्योरा अलग से रखा जायेगा और इस मद में प्राप्त होने वाली आय को उसी कालोनी में व्यय किया जाएगा, जिससे वह आय प्राप्त हो रही है।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सुसंगत शासनादेश तत्सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
8. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या : 132/8–3–18–27विविध/2018

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/
जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 08 फरवरी, 2018**

विषय : सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों की रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसी चैरिटेबुल संस्थाएँ जो सार्वजनिक हितों के उद्देश्य से बिना लाभ–हानि के कार्य करती है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80जी के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई हो, को शुल्कों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1305/9–आ–3–98–275 काम्प/97, दिनांक 21 मई, 1998 तथा शासनादेश संख्या–3399/9–आ–3–2002–275 काम्प/97, दिनांक 19 अक्टूबर, 2002 जारी किए गये हैं। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या–895(1)/8–3–16–64 काम्प/16, दिनांक 18 जुलाई, 2016 जारी किया गया है, परन्तु उक्त शासनादेश की प्रति आपको पृष्ठांकित नहीं की गई है।

2. अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2016 की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या–132(1)/8–3–18–27विविध/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धितों को तामील कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

भवदीय

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

वित्तीय प्रबन्धन

संख्या : 2/2018/आडिट–2–394/दस–2018...............2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वित्त (लेखा–परीक्षा) अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018**

विषय : औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कार्यरत सभी प्राधिकरणों एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत सभी विकास प्राधिकरणों की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग–4 के पत्र संख्या–139/77–4–18–16एन/04, दिनांक 17 जनवरी, 2018 एवं अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–637/आठ–1–17–13 विविध/16, दिनांक 10.04.17 (दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्रमशः औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कार्यरत सभी प्राधिकरणों एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत सभी विकास प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा का दायित्व महालेखाकार उ.प्र. को सौंपे जाने के उपरान्त उक्त विभागों के अधीन कार्यरत समस्त प्राधिकरणों/विकास प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से सम्पादित कराये जाने का औचित्य समाप्त हो चुका है। अतः उक्त के दृष्टिगत इन प्राधिकरणों/विकास प्राधिकरणों की समवर्ती लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सम्पादित नहीं की जायेगी।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्थाओं में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती तत्काल अन्यत्र किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव

__संख्या–आडिट–2–394(1)/दस–2018 तद्दिनांक।__

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–4 को उनके पत्र दिनांक 23.02.18 के क्रम में।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को उनके पत्र दिनांक 10.04.17 के क्रम में
3. प्रधान महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
4. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा), उ.प्र. लखनऊ।
5. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–655/आठ–1–2017–74 विविध/2017
लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं की नोडल एजेंसी नामित किया जाता है।

2– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जनपदों/कार्यदायी संस्थाओं/प्राधिकरणों इत्यादि को धनराशि सीधे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लेखा) के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

सदाकान्त
अपर मुख्य सचिव

संख्या–655(1)/आठ–1–2017 तद्दिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (आडिट प्रथम/लेखा प्रथम),, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उ.प्र. शासन एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लेखा अनुभाग), उ.प्र. शासन, लखनऊ।
10. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सदाकान्त
अपर मुख्य सचिव

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस.ई.सी.टी.एस. / पत्रा–444 / 2016–17 / 394 लखनऊ : दिनांक : 23 मार्च, 2017

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेन्शनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी.जी.एच.एस. निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–रा.स्वा.बी.यो. / पत्रा–444 / 2016–17 / 04 दिनांक 04 जनवरी 2017 एवं पत्र संख्या–रा.स्वा.बी.यो. / पत्रा–444 / 2016–17 / 74 दिनांक 30 जनवरी 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स के पंजीकरण हेतु उनके आहरण वितरण अधिकारियों / कोषाधिकारियों के पंजीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का अनुरोध किया गया था। जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों के इलाज हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी.जी.एच.एस. निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 जारी कर दी गयी है। तदनुसार साची (State Agency For Comprehenslve Health Insurance) द्वारा ''स्टेट हेल्थ कार्ड'' (SHC) बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

इसी क्रम में वेबसाइट– www.upsects.in पर उपलब्ध डी.डी.ओ. / टी.ओ. पंजीकरण (DDO/TO Registration) एवं राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स के पंजीकरण (Employee Gateway Apply For SHC) हेतु पृथक प्रारूप उपलब्ध करा दिये गये हैं। ऑनलाईन पंजीकरण का कार्य विगत 02 माह से प्रक्रियाधीन है, परन्तु आज तक प्रदेश में मात्र 760 डी.डी.ओ. / टी.ओ. तथा 160 राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स का पंजीकरण हो सका है। योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर समस्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का पंजीकरण करते हुए उन्हें ''स्टेट हेल्थ कार्ड'' जारी किया जाना आवश्यक है। राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स को योजनान्तर्गत पंजीकृत करने से पूर्व उनके डी.डी.ओ. / टी.ओ. का पंजीकरण आवश्यक है क्योंकि केवल पंजीकृत डी.डी.ओ. / टी.ओ. ही अपने अधीन राज्य कर्मचारी / पेंशनर के आवेदन को सत्यापित करते हुए पंजीकृत कर सकते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप से अपेक्षा की जाती है कि जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के साथ ही कोषाधिकारी का वेबसाइट –www.upsects.in पर उपलब्ध दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजनान्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चत करायें। साथ ही समस्त डी.डी.ओ. / टी.ओ. को यह निर्देश निर्गत करें कि उनके अधीनस्थ / उनसे सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के आवेदन पत्रों को अविलम्ब सत्यापित करते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये। योजना से सम्बन्धित नियमावली एवं दिशा निर्देश वेबसाइट–www.upsects.in पर अपलोड कर दिए गए हैं जिनमें पंजीकरण की प्रक्रिया का बिन्दुवार उल्लेख भी उपलब्ध है। किसी जिज्ञासा की स्थिति में फोन नम्बर–0522–6671125 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्मिक प्रबन्धन

उक्त के अतिरिक्त कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि पंजीकरण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए निम्नांकित प्रारूप पर साप्ताहिक रिपोर्ट (Excel Sheet पर) प्रत्येक सोमवार को ई–मेल द्वारा support@upsects.in पर साची (State Agency For Comprehensive Health Insurance) को प्रेषित कर दी जाये।

State Employees Cashless Treatment Scheme					
जनपद का नाम–..			साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक		
डी.डी.ओ./ टी.ओ. की कुल संख्या	पंजीकृत डी.डी.ओ./ टी.ओ. की कुल संख्या	राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या	पंजीकृत राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या	पेंशनर्स की कुल संख्या	पंजीकृत पेंशनर्स की कुल संख्या

भवदीय

अरुण कुमार सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक : एस.ई.सी.टी.एस./पत्रा–444/2016–17/39 तद्‌दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3. विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग–6, उ.प्र. शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–6, उ.प्र. शासन।

अरुण कुमार सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्या–782/आठ–5–18–27 रिट/2016
लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

श्री अखिलेश कुमार एवं 14 अन्य सहायक अभियन्ताओं द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या–813/2015 दाखिल करते हुए निम्नवत अनुतोष मांगे गये :–

(I) Issue writ of mandamus directing the Respondents to revert the promotions of all those candidates who have been granted accelerated promotion on the basis of section-3(7) of Utter Pradesh Public Services (Reservation) for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 1994 and Rule 8(A) of U.P. Government Servents Seniority Rules, 1991, as the said provisions have been declared to be ultravirus by this Hon'ble Court in the case of U.P. Power Corporation Ltd. Vs. Rajesh Kumar and Others 2012(7)SCC 1:and/or

(II) Issue writ of mandamus directing the Respondents to fix the seniority of the petitioners in the promoted cadre of Assistant Engineer(Civil) on the basis of their seniority in feeder cadre i.e. Junior Engineer(Civil) within 8 weeks; and/or

(III) Issue writ of mandamus directing the Respondents to revert the promotions of all those candidates who have been wrongly granted further out of turn promotions without following the principle of catch up rule, and consequential seniority as laid down by this Hon'ble Court in case of S. Pannier Selvam & Others vs. Government of Tamilnadu & other decided on 27.08.2015; and/or

(IV) Issue writ of mandamus directing the Respondents to make promotion of the petitioners from the date when their immediate juniors have been promoted on the basis of their seniority in the feeder cadre as Junior Engineers (Civil); and/or

(V) Issue any other order and/or directions as this Hon'ble court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the present case.

2– मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका को दिनांक 04.12.2015 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय पारित किये गये :–

Having heard the learned counsel, we are only inclined to direct that the grievances of the writ petitioners shall be guided by the order in Contempt Petition (C) No. 214 of 2013 in civil appeal no. 2679 of 2011 and contempt petition (C) No. 414 of 2015 in civil appeal no. 2610 of 2011 dated 13.10.2015 as modified by this Court on 24-11-2015.

With the above observations and directions, the writ petition stands disposed off.

There shall be no order as to costs.

Pending Interlocutory applications, if any, are disposed off.

3– मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.09.2007 में परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर वरिष्ठता सूची में ऊपर स्थान पाए हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कार्मिकों को उनके मूल पद अवर अभियन्ता के सापेक्ष सामान्य श्रेणी के कार्मिकों के साथ वरिष्ठता निर्धारित करते हुए दिनांक 29.07.2016 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत कर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए तथा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त उ.प्र. विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1985 के नियम–7 एवं 28 में उल्लिखित ज्येष्ठता

सम्बन्धी प्राविधानों के आलोक में सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 12.09.2016 को निर्गत की जा चुकी है। उक्त ज्येष्ठता सूची में याचीगण के सुझावों/आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए उनके नाम भी वरिष्ठता सूची में नियमानुसार रख दिए गए।

4. मा. उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन हेतु श्री अखिलेश कुमार एवं अन्य द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका संख्या–499/2016 योजित की गयी, जिसमें मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2016 को निम्नवत निर्णय पारित किये गये :–

"Heard Mr. Ashok Kumar Singh, learned counsel for the petitioners and Mr. Ravi Prakash Mehrotra, learned counsel for the State of Uttar Pradesh.

On the last occasion, a copy of the petition was directed to be served on the learned Standing Counsel for the State and, accordingly, it has been done.

It is submitted by Mr. Mehrotra that the petitioners have not yet made a representation to the Grievance Committee, but has sant a legal notice to the Chief Secretary. Regard being had to the same, we permit the petitioners to submit a representation as per our order dated 24, November, 2015 to the Grievance Committee within two weeks hence and the Grievance Committee shall deal with it and pass appropriate orders there on within eight weeks from the date of receipt of the representation.

The contempt petition is, accordingly, disposed of."

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के समादर में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.12.2016 के माध्यम से एक ग्रेवान्स कमेटी गठित कर याचियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। ग्रेवान्स कमेटी के सदस्यों का स्थानान्तरण हो जाने के कारण दिनांक 28.09.2017 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा नई ग्रेवान्स कमेटी गठित की गयी, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री योगेश चन्द्र, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, श्री सुशील चन्द्र द्विवेदी, मुख्य अभियन्ता (सिविल), मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तथा श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग, सदस्य के रूप में नामित किये गये। उक्त कमेटी द्वारा याचियों का पक्ष पुनः सुना गया। दिनांक 26.04.2018 को ग्रेवान्स कमेटी की आहूत बैठक में अन्तिम रूप से याचियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, किन्तु कोई भी याची उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रेवान्स कमेटी गठित कर याचियों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेशों की विधिक बाध्यता के दृष्टिगत याचियों द्वारा पूर्व में दिए गए प्रत्यावेदन का संज्ञान कर ग्रेवान्स कमेटी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नवत संस्तुति दी गयी है :–

''प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण में याचीगण को मुख्य रूप से आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं की पदोन्नति के पश्चात अगले स्तर पर पदोन्नति हेतु सापेक्षिक वरिष्ठता पर दिनांक 18.01.1995 से क्रमांकित किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। आरक्षित श्रेणी के अभियन्तागण का पदावनत आदेश चयन वर्ष 2015–16 में तात्कालिक प्रभाव से करने के आदेश निर्गत किये गये हैं, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। इस प्रकार उक्त अभियन्तागण की पदावनति के फलस्वरूप प्राप्त रिक्तियाँ भी चयन वर्ष 2015–16 की ही होगी न कि चयन वर्ष 1994–95 की। इन प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष नियमानुसार समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सहायक अभियन्ता (सिविल) की समेकित वरिष्ठता सूची दिनांक 12.09.2016 निर्गत की गयी है जिसमें याचीगण को नियमानुसार क्रमांकित किया गया है। इसी वरिष्ठता सूची के आधार पर नियमानुसार पदोन्नतियाँ की जा रही हैं। इस प्रकार वरिष्ठता क्रम में

न आने के कारण याचीगण की पदोन्नति उच्च पदों पर रिक्ति उपलब्ध होने पर भी नहीं की गयी है। याचीगण अपने वरिष्ठता क्रम में ही पदोन्नति के पात्र होंगे। इस प्रकार ग्रेवान्स कमेटी याचीगण द्वारा मांगे गये अनुतोष को नियमानुसार न पाते हुए अस्वीकार करने की संस्तुति करती है।''

7. सहायक अभियन्ता (सिविल) सर्वश्री ए.के. सिंह, राकेश चन्द्र गुप्ता, मो. कमर, राजेश वर्मा, अख्तर हुसैन खाँ, अनिल कुमार माथुर, एन.पी. सिंह, अखिलेश कुमार, ओ.पी. सिंह, जितेन्द्र सिशौदिया, रामपाल सिंह राठौर, सच्चिदानन्द मिश्र, जयपाल सिंह सिकरवार, राधेश्याम वाजपेयी तथा धर्मवीर सिंह द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका सं.–813/2015 योजित करते हुए आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं की पदावनति के फलस्वरूप रिक्त पदों पर दिनांक 18.01.1995 से नोशनल पदोन्नति प्रदान करने तथा सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में विभिन्न क्रमों पर स्वयं को क्रमांकित करने का अनुरोध अपने विभिन्न दिनांकित प्रत्यावेदनों में किया गया है।

8– ग्रेवान्स कमेटी की उपर्युक्त संस्तुति से स्पष्ट है कि आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों की पदावनति के फलस्वरूप प्राप्त रिक्ति तात्कालिक प्रभाव की होने के कारण उसी चयन वर्ष अर्थात 2015–16 की है न कि चयन वर्ष 1994–95 की। इन प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष नियमानुसार सहायक अभियन्ता (सिविल) की समेकित वरिष्ठता सूची 12.09.2016 निर्गत की गयी है जिसमें याचीगण को नियमानुसार वरिष्ठता क्रम में क्रमांकित किया गया है। याचीगण अपने वरिष्ठता क्रम में ही पदोन्नति के पात्र होंगे एवं पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उनकी पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

9. अतः ग्रेवान्स कमेटी की संस्तुति एवं प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार न होने के कारण याचीगण का प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. सहायक अभियन्ता सर्वश्री ए.के. सिंह (सेवानिवृत्त), राकेश चन्द्र गुप्ता, मो. कमर, राजेश वर्मा, अख्तर हुसैन खाँ, अनिल कुमार माथुर, एन.पी. सिंह, अखिलेश कुमार, ओ.पी. सिंह, जितेन्द्र शिसौदिया, रामपाल सिंह राठौर, सच्चिदानन्द मिश्र (से.नि.), जयपाल सिंह सिकरवार, राधेश्याम वाजपेयी (से.नि.), धर्मवीर सिंह को उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के माध्यम से।
4. श्री कमलेश मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव

संख्या–3 / 2018 / जी–1–102 / दस–2018–226–2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2018**

विषय : वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–62 / 2016 / वे.आ.–2–2643 / दस–04(एम) / 2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., आई.सी.ए.आर. वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	मैट्रिक्स लेवल	श्रेणी–अ के नगरों में	श्रेणी–ब के नगरों में	श्रेणी–स (अवगीकृत) नगरों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2200	1100	730
2	2	2320	1160	770
3	3	2400	1200	800
4	4	2940	1470	980
5	5	3340	1660	1110
6	6	4040	2020	1340
7	7	5520	2760	1840
8	8	5620	2810	1870
9	9 / 10	6300	3150	2100
10	11	7560	3780	2520
11	12	8960	4480	2980
12	13	13820	6910	4600

13	13—क	14560	7280	4860
14	14	16400	8200	5460
15	15	18400	9200	6000
16	16	19700	9850	6500
17	17	21000	10500	7000

श्रेणी—अ, ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगरों/क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
ब	श्रेणी—'अ' के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चन्दौसी, देवबन्द, रुड़की, कैराना, बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, सिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला—उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टॉडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहाँगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, कोंच, मऊरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकोट के शहरी क्षेत्र। लहरपुर, बिस्वां, महमूदाबाद, आंवला, सण्डीला, स्योहारा (विजनौर), अतरौली, गुलावठी (बुलन्द शहर), सरधना, वृन्दावन, कोशीकलॉ, टुण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी तथा ग्रेटर नोएडा।
स (अवर्गीकृत)	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

3— पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

4— अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

5— संशोधित मकान किराया भत्ता, ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जो सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं।

6— ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., आई.सी.ए.आर. वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हों के मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

7— यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

8— अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय

संजीव मित्तल
अपर प्रमुख सचिव

संख्या–3/2018/जी–1–102(1)/दस–2018, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
2. महालेखाकार–1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2, (तीन–तीन प्रतियों में)
5. सचिव, श्री राज्यपाल।
6. विधान सभा/परिषद सचिवालय।
7. निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–40 / 2018 / 1860 / आठ–5–18–71रिट / 2001

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन–5 **लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2018**

विषय : उ.प्र. विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.04.1996 में सर्वश्री मो. बाकर, अशोक कुमार, मो. सुलेमान, आदर्श चन्द्र भटनागर, अवर अभियन्तागण को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यालय ज्ञाप संख्या–1723 / 9आ–5–96–228डीए / 86, दिनांक 19.04.96 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ.प्र. विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन किया गया है। उक्त सूची के क्रमांक–213 पर अवस्थित श्री आर.पी. सिंह जिनकी जन्मतिथि 24.01.1960 एवं नियुक्ति की तिथि 20.02.1984 है, के पूर्व श्री मो. बाकर जिनकी जन्मतिथि 07.05.1962 एवं नियुक्ति की तिथि 31.01.1984 है, श्री आदर्श चन्द्र भटनागर जिनकी जन्मतिथि 03.07.1960 एवं नियुक्ति की तिथि 01.02.1984 है, श्री मो. सुलेमान जिनकी जन्मतिथि 31.07.1961 एवं नियुक्ति की तिथि 01.02.1984 है तथा श्री अशोक कुमार जिनकी जन्मतिथि 20.01.1963 एवं नियुक्ति की तिथि 02.02.1984 है, को क्रमांकित किया जाना है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र प्राधिकरण के समस्त अवर अभियन्ता (सिविल) को उपलब्ध कराते हुए उनसे इस सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्राप्त कर शासन को दिनांक 05.10.2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यदि उक्त तिथि तक आपके माध्यम से अथवा सीधे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह मानते हुए कि उक्त संशोधन से किसी अवर अभियन्ता (सिविल) को कोई आपत्ति नहीं है, अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

भवदीय

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध/ई–मेल
संख्या–928/आठ–10–18–14विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 **लखनऊ : दिनांक : 03 अक्टूबर, 2018**

विषय : विकास प्राधिकरणों में वेतन बैण्ड–1 (रु.–5200–20200) ग्रेड पे रु.–1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड–2 (रु.–9300–34800) ग्रेड पे रु.–4600 से कम के सीधी भर्ती के अकेन्द्रीयित सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–91/2812/47–का–3–1–14–13/7–2006, दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड–1 (रु.–5200–20200) ग्रेड पे रु.–1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड–2 (रु.–9300–34800) ग्रेड पे रु.–4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग–3 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–168/47–का–3–2017–13/42/2017, दिनांक 06.02.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उक्त वेतन परिधि के अन्तर्गत आने वाली समस्त रिक्तियों के अधियाचन को विलम्बतम दिनांक 09.02.2018 तक सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त निर्देश के क्रम में शासन के पत्र संख्या–137/आठ–10–18–14 विविध/18, दिनांक 19.02.2018, पत्र संख्या–152/आठ–10–18–14 विविध/18, दिनांक 22.02.2018 एवं पत्र संख्या–326/आठ–10–18–14 विविध/18, दिनांक 14.06.2018 द्वारा विकास प्राधिकरणों में अकेन्द्रीयित सेवा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अधियाचन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रारूप पर उपलब्ध कराये गये अधियाचनों के अवलोकनोपरान्त विवरण/सूचनायें, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण पायी गयी हैं। ऐसे संदर्भों को विकास प्राधिकरणों को मूल रूप में वापस किया जाता है।

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1882/11–4–डी.ए./87, दिनांक 20.06.1987 द्वारा विकास प्राधिकरणों के अकेन्द्रीयित सेवा के पदों की नियुक्ति का अधिकार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के **'उपाध्यक्ष'** में निहित है।

4– विभागों में रिक्तियों के सापेक्ष चयन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों में वेतन बैण्ड–1 (रु.–5200–20200) ग्रेड पे रु.–1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड–2 (रु.–9300–34800) ग्रेड पे रु.–4600 से कम के सीधी

भर्ती के अकेन्द्रीयित सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से पदवार अधियाचन निर्धारित प्रारूप पर सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ को 15 दिवस के भीतर भेजते हुए, प्रेषित अधियाचन की सूचना शासन एवं आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या–928/आठ–10–18–14विविध/18, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, जनपथ, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विकास प्राधिकरणों के सीधी भर्ती के अकेन्द्रीयित सेवा के रिक्त पदों का अधियाचन सचिव, उ.प्र., अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक में सम्मिलित करते हुए, प्रभावी अनुश्रवण कर उक्त सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

संजीव सिंह
विशेष सचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या—1079 / आठ—1—2017—40विविध / 2017

प्रेषक,

शिवजनम चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **निदेशक,**
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 **लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई, 2017**

विषय : प्राधिकरण / विभागीय आर्किटेक्ट के अनुभव एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट आर्किटेक्ट इन्गेज कर प्रोजेक्ट तैयार कराया जा रहा है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राइवेट आर्किटेक्ट इन्गेज करने के बजाय प्राधिकरण / विभाग के आर्कीटेक्ट के अनुभव एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार कराया जाये। उक्त प्रोजेक्ट में बाय—बिल मदें अर्थात् पी.डब्ल्यू.डी. की स्वीकृति दरों का ही समावेश किया जाय ताकि प्रोजेक्ट अनावश्यक रूप में महंगे न हो जायें।

3— अवस्थापना विकास निधि, जो प्राधिकरण में सृजित है। उक्त निधि में 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, समन शुल्क एवं विकास शुल्क आदि की धनराशि जमा होती है। अतः अवस्थापना विकास निधि से धनराशि व्यय हेतु स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि समस्त क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके।

भवदीय

शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव

विविध

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–401/8–3–17–65 विविध/16 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 03 मई, 2017

अधिसूचना

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के तहत रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतएव अधिनियम की धारा–20 के प्राविधानों के अन्तर्गत रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के औपचारिक गठन होने तक श्री राज्यपाल, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को दिनांक 01 मई 2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा–अभिहित (designate) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या–440 / 55–पर्या–2–2017 / 45(रिट) / 16

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव / मुख्य सचिव / सचिव,**
   ऊर्जा / लोक निर्माण / आवास एवं शहरी नियोजन /
   गृह / सहकारिता / नगर विकास / समाज कल्याण विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **निदेशक,**
   पर्यावरण निदेशालय,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 28 जून, 2017**

विषय : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 एवं मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ.ए. सं.–102 / 2014 सैण्ड प्लास्ट लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण विभाग के पत्र सं.–3754 / 55–पर्या–2016–45 (रिट) / 2016 दिनांक 26 दिसम्बर, 2016, अनुस्मरण पत्र सं.–11 / 55–पर्या–2016–45 (रिट) / 2016 दिनांक 05 जनवरी, 2017 एवं पत्र सं.–137 / 55–पर्या–2016–45 (रिट) / 2016 दिनांक 08 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सरकारी निर्माण एजेन्सियों द्वारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स को अनिवार्य रूप से प्रयोग किये जाने हेतु निविदा में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

2– दिनांक 12 जून, 2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में फ्लाई ऐश ब्रेक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बरेली के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों के उपयोग के लिए लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 30.06.2016 को इस सम्बन्ध में एक शासनादेश निर्गत किया गया था जिसका विभागों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप अधिकतर इकाइयाँ बन्द होने की स्थिति में हैं। लोक निर्माण विभाग के बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश जारी कर दिये गये हैं तथा यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि सभी सरकारी निर्माण कार्यों में कम से कम 15 प्रतिशत फ्लाई ऐश तथा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग सुनिश्चित किया

जाये। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि सहकारिता विभाग के अधीन एजेन्सी नेकफेड एवं पैकफेड को भी फ्लाई ऐश से उपयोग हेतु निर्देशित किया जाये। इस पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बरेली द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई व कहा गया कि Ongoing Project में भी फ्लाई ऐश ईंटों को प्रयोग करने के निर्देश पूर्व में मा0 एन.जी.टी. द्वारा निर्गत किये गये हैं और 15 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग गलत है जबकि मा0 एन.जी.टी. द्वारा 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उत्पादों के उपयोग का आदेश दिया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों से शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सरकारी निर्माण एजेन्सियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः कृपया प्रत्येक जनपद में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये जो यह सुनिश्चित करे कि निविदा में फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग का उल्लेख किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर विभिन्न आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। उद्योग बन्धु की बैठक के एजेण्डा में भी इस बिन्दु को स्थायी रूप से सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही से पर्यावरण विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन सं–440(1)/55–पर्या–2–2017/45(रिट)/16, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त अधिसूचना में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने हेतु अधीनस्थ निर्माण एजेन्सियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग–बन्धु, लखनऊ।

संख्या–3070 / 78–2–2018–42आई.टी. / 2017(22)

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर प्रमुख सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2018**

विषय : उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली के सम्बन्ध में।

महोदय,

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं / जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 1067 / 78–2–2017 / 42 आई.टी. / 2017 दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है।

2. वर्तमान में निविदादाताओं द्वारा सामान्यतः निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि (EMD) निविदा आमंत्रित करने वाले विभाग / कार्यालय को भौतिक रूप से उपलब्ध करायी जाती है। कतिपय विभागों / कार्यालयों द्वारा निविदादाताओं के मूल अभिलेखों का भी भौतिक निरीक्षण / सत्यापन कराया जाता है जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है, एवं इससे निविदा प्रक्रिया प्रभावित होती है।

3. ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनाराशि (EMD) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग / NEFT/RTGS से किये जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है एवं तत्सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या–2778 / 78–2–2017–97 आई.टी. / 2017 टी.सी. दिनांक 05 दिसम्बर 2017 निर्गत किया गया है।

4. असामाजिक तत्वों द्वारा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित न किया जा सके, अतएव इस प्रयोजन से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की प्राप्ति हेतु ऑन लाइन व्यवस्था होने तक निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट्स / पे आर्डर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर, प्राप्त ट्रॉजेक्शन नम्बर को, निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की

तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट्स/पे आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जाये।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

डा. अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव

संख्या–38 / आठ–1–18–42बैठक / 2017

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2018**

विषय : उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या–3070 / 78–2–2018–42 आई.टी. / 2017 (22), दिनांक 03 जनवरी, 2018 (छायाप्रति संलग्नक सहित) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2018 में की गयी व्यवस्था के अनुसार विभाग में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे कि असमाजिक तत्वों द्वारा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित न किया जा सकें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

संख्या–480(1)/आठ–1–18–27विविध/2014टी.सी.

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 05 अप्रैल, 2018**

विषय : निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर आदेश दिये जाते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण के सम्पर्क में आने से जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा निर्माण गतिविधियों के दौरान निर्माण सामग्री के मार्ग पर अव्यवस्थित रूप से पड़े होने से दुर्घटनाओं की प्रबल सम्भावना रहती है। वर्णित स्थिति के दृष्टिगत निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण होने के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर उक्त सम्बन्ध में प्रभावी रोकथाम हेतु कार्यवाही आवश्यक है। मा. अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है :–

(1) निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल के नियंत्रण हेतु मा. हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा उक्त आदेशों के उल्लंघन पर व्यक्तियों/संस्थाओं पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(2) निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाये तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाये।

(3) निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरों/बॉडी की भली–भांति धुलाई की जाये तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाये।

(4) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाये तथा सड़कों के किनारे अनियंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाये।

(5) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाये।

(6) पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाये अपितु निर्धारित स्थानों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाये।

(7) अवैधानिक रूप से प्रयोग एवं संग्रहीत की जा रही प्लास्टिक/पॉलिथीन को नियमानुसार निस्तारित किये जाने हेतु स्थल/प्रक्रिया का चिन्हीकरण किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों तथा उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त सम्बन्धितों को तामील कराने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या–437 / 8–3–18–149विविध / 17

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
गाजियाबाद

2. **उपाध्यक्ष,**
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 2018**

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिए पुनर्ग्रहीत की गई नगर निगम गाजियाबाद में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण मूल्य का भुगतान नगर निगम गाजियाबाद के पक्ष में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–904 / 12 / भू.अ.अ. / 2017 दिनांक 13.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिए पुनर्ग्रहीत की गई नगर निगम गाजियाबाद में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण मूल्य का भुगतान नगर निगम गाजियाबाद के पक्ष में किये जाने हेतु शासनादेश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग का बहुमूल्य परामर्श प्राप्त किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वे सम्पत्तियाँ जो धारा–117 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 के प्राविधान के अनुरूप ग्राम सभा में निहित की गयी और कालान्तर में नगर निगम की सीमा में आ जाने के कारण नगर निगम के प्रबन्धन में आ गई है उनका स्वामित्व नगर निगम में निहित नहीं होता है, वस्तुतः शासन में निहित होता है। नगर निगम को केवल प्रबन्धन का अधिकार है। इसलिए नगर निगम को शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–117 के अधीन ग्राम सभाओं / स्थानीय पदाधिकारियों में निहित की गयी वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति उपधारा–(6) में राज्य सरकार में निहित है। ग्राम सभा की वह भूमियाँ जो नगर पालिका परिषद की सीमान्तर्गत आ जाती हैं, उन भूमियों का प्रबन्धन ''ग्राम भूमि प्रबन्ध समिति'' के स्थान पर स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। शेष प्रास्थितियाँ पूर्व की भाँति ही बनी रहती हैं। स्थानीय निकाय केवल भूमि का प्रबन्धक होता है। सरकारी भूमि का संरक्षक / कस्टोडियन राजस्व अधिकारी / जिले का कलेक्टर ही होता है। ग्राम सभा की भूमि स्थानीय निकाय की सीमा में आने से, स्थानीय निकाय / नगर पालिका आदि को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जब स्वत्व ही स्थानीय निकाय / नगर पालिका के पास नहीं है। अतः ग्राम सभा / स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्धन में रखी गयी राजस्व सरकार की पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य राज्य सरकार के राजकोष में लेखा शीर्षक ''0029–भू–राजस्व–800–अन्य प्राप्तियाँ–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियाँ'' के नाम जमा कराया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या–437(1)/8–3–18–149विविध/17 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया राजस्व विभाग के उक्त परामर्श से समस्त नगर आयुक्तों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को तामील कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या–4 / 2018–वे.आ.–1–361 / दस–2018–8(एम) / 2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा / शिक्षा निदेशक, (बेसिक / माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 2018**

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01.01.2018 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश संख्या–9 / 2017–वे.आ.–1–790 / दस–2017–8(एम) / 2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन–संख्या–1 / 1 / 2018–ई–II (बी), दिनांक 15 मार्च, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या–2 पर उल्लिखित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1 / 1 / 2018–ई–II (बी), दिनांक 15 मार्च, 2018 द्वारा दिनांक 01.01.2018 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01.01.2018	07 प्रतिशत

2. उपर्युक्त क्रमांक संख्या–1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01.01.2018 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01.01.2018	07 प्रतिशत

3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे.आ.– 1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात् प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्त, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा–समाप्ति, सेवा–निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2018 से दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ...... भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2018 (माह अप्रैल, 2018 का भुगतान दिनांक 01 मई, 2018 को देय) से नगद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला एहो, उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नगद दी जायेगी।

9. राष्ट्रीय पेंशन योजना (N.P.S.) से आच्छादित कर्मचारियों को देश मंहगाई भत्ते एरियर की राश्रि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उनके पी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा।

10. मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खात में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्बन्धित

बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12/दस–97–500(1)/97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

11. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकरी/कर्मचारी अधिवषर्ता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी 2018 से शाासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय

अलकनंदा दयाल

सचिव।

संख्या–4/2018–वेआ0–1–361(1)दस–2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्वय कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 एवं 2 तथा (आडिट)–1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं.–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।

(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।

(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(13) शिक्षा अनुभाग–3, 5, 6, 8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 व 2, नगर विकास अनुभाग–1 तथा पंचायती राज अनुभाग–1, सार्वजनिक उदयम अनुभाग–1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

(15) वित्त (ई–6), वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 व 2, पुनर्गठन समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनुभाग–2, कृषि अनुभाग–8, पंचायती राज अनुभाग–3, आवास अनुभाग–2, नगर विकास अनुभाग–3

(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से

के0एल0 वर्मा

उप सचिव

---

1. यह शानादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http:/shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

संख्या–661 / 8–3–17–26विविध / 17टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

5. **अधिशासी निदेशक,**
आवास बन्धु, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2018**

विषय : भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' में आनलाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) की व्यवस्था तैयार कर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद् में ऑन–लाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) लागू करने हेतु देश में उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकीयों तथा लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन करके इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए शासनादेश संख्या–1059 / आठ–3–17–2017–26–विविध / 17 टी.सी., दिनांक 14.09.2017 द्वारा आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में तथा तत्क्रम में शासनादेश संख्या–158 / 8–3–18–26 विविध / 2017, दिनांक 03.02.2018 द्वारा अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ की अध्यक्षता में समिति का गठन करके इस हेतु रोडमैप तैयार कर शासन को आवश्यक परामर्श देने के निर्देश दिये गये थे।

2– उक्त के क्रम में (OBPAS) की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर होने वाले अत्यधिक व्ययभार के दृष्टिगत इस व्यवस्था को Build, Own and Operate (BOO) पद्धति पर लागू किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी है तथा इस कार्यवाही को कराने के लिए किसी अनुभवी व विशेषज्ञ कम्पनी के चयन हेतु RFQ-cum-RFP document तैयार किया गया है जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :–

क– प्रस्तावित पद्धति से किसी भी प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद को धनराशि व्यय नहीं करनी होगी।

ख– भारत सरकार द्वारा 'Ease of Doing Business' के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त मद यथा प्लीन्थ लेवल नोटिफिकेशन, ऑन–लाइन इन्सपेक्शन रिपोर्ट्स, ऑन–लाइन कम्पलीशन सर्टिफिकेट्स, कम्प्यूटर द्वारा साइट इन्सपेक्टर्स का स्वतः चयन इत्यादि व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

ग– सम्पूर्ण व्यवस्था के समस्त चरणों हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स को स्वतः ई–इन्टीमेशन (मोबाइल एसएमएस / ई–मेल) की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। इसी प्रकार समस्त प्रकार के इन्सपेक्शन रिपोर्ट्स को ऑन–लाइन जारी किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

घ– इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्रियान्वित की जाने वाली सम्पूर्ण प्रणाली को निजी विशेषज्ञ के माध्यम से कराया जाना है, जिसके सुचारू रूप से संचालन हेतु सर्विस लेवल एग्रीमेन्टस का भी प्रावधान किया गया है।

3– उक्त की पृष्ठ भूमि में तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :–

(3.1) प्रस्तावित व्यवस्था को विकसित करके सर्वप्रथम प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के समस्त लोकेशन्स में तथा प्रदेश के समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में लागू किया जाये।

(3.2) प्रदेश में इस व्यवस्था को विस्तारित कराने एवं प्रदेश में लागू करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग घोषित किया जाता है। इस कार्य पर होने वाले समस्त व्यय यथा यात्रायें, मीटिंग्स का आयोजन, अनुशांगिक उपकरण व साफ्टवेयर्स का क्रय इत्यादि की प्रतिपूर्ति आवास बन्धु द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. को की जायेगी।

(3.3) इस कार्य की निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही RFQ-cum-RFP document में निर्धारित तिथियों पर आवास बन्धु द्वारा सम्पादित की जायेगी जिसमें नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तकनीकी अधिकारी आवास बन्धु को सहयोग प्रदान करेंगे।

(3.4) इस परियोजना की तकनीक को विकसित कराने के लिए चयनित कम्पनी को सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित समस्त विभाग / अभिकरण 'यथा' लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के एक–एक अधिकारी जो नियोजन के साथ–साथ कम्प्यूटर तकनीकों से भी भिज्ञ हों, को Single Point Contact (SPC) के रूप में नामित कर चयनित कम्पनी को सूचित किया जाये।

(3.5) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि जब तक चयनित कम्पनी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था तैयार की जाती है, की अवधि में देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करने में हुई कठिनाइयों व समस्याओं का व्यापक अध्ययन कर लें ताकि उत्तर प्रदेश हेतु (OBPAS) की प्रस्तावित व्यवस्था, जो अत्यन्त जटिल है, प्रदेश में सफलतापूर्व लागू किया जा सके।

(3.6) (OBPAS) की इस व्यवस्था को यथासम्भव "Zero Human Intervention" के रूप में विकसित कराया जाये। यदि इस हेतु प्राधिकरण की प्रचलित व्यवस्थायें यथा प्रापर्टी माड्यूल, फाईनेन्स माड्यूल इत्यादि में किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन अथवा अपग्रेडेशन की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3.7) (OBPAS) की व्यवस्था का द्वितीय चरण में प्रदेश में समस्त विनियमित क्षेत्रों में भी लागू किया जाना है। इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव तत्काल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाये।

4– इस सम्बन्धमें मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही को समयबद्ध रूप से सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण

प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मिशन निदेशक (अमृत), उत्तर प्रदेश, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को तामील कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–770 / 8–3–18–65 विविध / 2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ.प्र. लखनऊ।

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या–767 / 8–3–18–65 विविध / 16 टी.सी. दिनांक 31.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को **आज ही** आवास बन्धु, उ.प्र. की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अपलोड कराते हुए यह भी सुनिश्चित करे कि भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 तथा उ.प्र. भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 आवास बन्धु की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संलग्नक : यथोक्त।

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–767 / 8–3–18–65 विविध / 16 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

विज्ञप्ति

विषय : उ.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति।

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण नाम से एक निकाय का गठन किया गया है। उ.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में 01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य होंगे। उ.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, शक्तियाँ एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू–संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम–2016 के अध्याय–5 एवं उ.प्र. भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के अध्याय–6 में वर्णित है।

2– भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 में निम्नवत् प्राविधान है :–

22- Qualifications of Chairperson and Members of Authority.-

The Chairperson and other Members of the Authority shall be appointed by the appropriate Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of the Chief Justice of the High Court or his nominee, the Secretary of the Department dealing with Housing and the Law Secretary, in such manner as may be prescribed, from amongst persons having adequate knowledge of and professional experience of at-least twenty years in case of the Chairperson and fifteen years in the case of the Members in urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, technical experts from relevant fields, planning, law, accountancy, industry, management, social service, public affairs or administration:

Provided that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a Chairperson unless such person has held the post of Additional Secretarty to the Central Government or any equivalent post in the Central Government or State Government.

Provided further that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a member unless such person has held the post of Secretary to the State Government or any equivalent post in the State Government or Central Government.

3– उ.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, **05 वर्ष** की अवधि के लिए या **65 वर्ष** की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन तथा अन्य भत्ते उ.प्र. भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार देय होंगे।

4– उल्लेखनीय है कि उ.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति संख्या–1459(1) / 8–3–16–65 विविध / 16, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 तथा विज्ञप्ति संख्या– 405 / 8–3–17–65 विविध / 16 टी. सी. दिनांक 04.05.2017 द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये थे। इसी क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों पर चयन हेतु पुनः आवेदन पत्र मांगे जाने का निर्णय लिया गया है। उ.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित आवेदन–पत्र के प्रारूप को आवास बन्धु, उ.प्र. की वेबसाइट **www.awasbandhu.in** से डाउनलोड कर पूर्ण आवेदन–पत्र वांछित अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की **e-mail-awas.sahari@yahoo.in** पर दिनांक 21.06.2018 समय सांय 05.00 बजे तक भेज सकते हैं। दिनांक 21.06.2018 को सांय 05.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे। अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5– ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2016 तथा 04.05.2017 के क्रम में अध्यक्ष अथवा सदस्य हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें दुबारा नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु

आवेदन–पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो स्वहस्ताक्षर सहित

आवेदित पद का नाम–

(i) आवेदक का नाम–

(ii) पिता का नाम–

(iii) जन्मतिथि (DD/MM/YY)–

(iv) दिनांक 30.06.2018 को आयु (DD/MM/YY)–

(v) लिंग– (पुरुष/महिला)

(vi) ई–मेल आई डी–

(vii) आधार नं.–

(viii) शैक्षिक योग्यता–

(ix) मो. नं.–

(x) पत्राचार का पता–

(xi) स्थायी पता–

(xii) वर्तमान व्यवसाय/नौकरी का विवरण–

(xiii) प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) का विवरण–

(xiv) भू–सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम–2016 की धारा–23(2) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होने के सम्बन्ध में सूचना–

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरुद्ध भा.द.वि., 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान–

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–768(2)/8–3–18–65 विविध/2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ.प्र. लखनऊ।

उ.प्र. भू–संपदा अपील अधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या–768/8–3–18–65 विविध/16 टी.सी. दिनांक 31.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को **आज ही** आवास बन्धु, उ.प्र. की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अपलोड कराते हुए यह भी सुनिश्चित करे कि भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 तथा उ.प्र. भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 आवास बन्धु की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संलग्नक : यथोक्त।

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–768/8–3–18–65 विविध/2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

विज्ञप्ति

विषय : उ.प्र. भू–संपदा अपील अधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति।

उ.प्र. रियल स्टेट अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार नियुक्ति की जानी है।

2– उ.प्र. रियल स्टेट अपील अधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–150/8–3–18–65 विविध/2016 टी.सी. दिनांक 02.02.2018 तथा विज्ञप्ति संख्या–278/8–3–18–65 विविध/2016 दिनांक 07.03.2018 के माध्यम से तथा उ.प्र. भू–सम्पदा अपील अधिकरण में तीन सदस्य (जिसमें से कम से कम 1 न्यायिक सदस्य तथा 1 प्रशासनिक/तकनीकी सदस्य होगा) हेतु विज्ञप्ति संख्या–65/8–3–18–65 विविध/2016 टी.सी. दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इसी क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों पर चयन हेतु पुनः आवेदन पत्र मांगे जाने का निर्णय लिया गया है।

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 की धारा–43(1) में निम्न प्राविधान है :–

"43(1) The appropriate Government shall, within a period of one year from the date of coming into force of this Act, by notification, establish an Appellate Tribunal to be known as the-(name of the State/Union territory) Real Estate Appellate Tribunal."

3– उक्त अधिनियम–2016 में अपील अधिकरण के कम्पोजीशन की निम्न व्यवस्था है :–

"45. The Appellate Tribunal shall consist of a Chairperson and not less than two whole time Members of which one shall be a Judicial member and other shall be a Technical or Administrative Member, to be appointed by the appropriate Government."

4– अपील अधिकरण के अध्यक्ष की अर्हता एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–46 में निम्न प्राविधान है :–

"46. (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairperson or a Member of the Appellate Tribunal unless he,-

(a) In the case of Chairperson, is or has been a judge of a High court;

5– अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते उ.प्र. भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के नियम–27 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार देय होंगे।

6– भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 की धारा–46 में अपील अधिकरण के सदस्यों की अर्हता एवं नियुक्ति की व्यवस्था निम्नवत् है :–

(b) in the case of a Judicial Member he has held a judicial office in the territory of India for at least fifteen years or has been a member of the Indian Legal Service and has held the post of Additional Secretary of that service or any equivalent post, or has been an advocate for at least twenty years with experience in dealing with real estate matters; and

(c) in the case of a Technical or Administrative Member, he is a person who is wellversed in the field of urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, planning, law, commerce, accountancy, industry, management. public affairs or administration and possesses experience of at least twenty years in the field or who has held the post in the Central Government, or a State Government equivalent to the post of Additional Secretary to the Government of India or an equivalent post in the Central Government or an equivalent post in the State Government.

7– अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को वेतन और भत्ते उ.प्र. भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के नियम–27 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार देय होंगे।

8– अपील अधिकरण में **अध्यक्ष एवं सदस्यों** की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, शक्तियाँ एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के अध्याय–7 एवं उ.प्र. भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के अध्याय–7 में वर्णित है। उक्त अधिनियम–2016 तथा नियमावली–2016 को आवास बन्धु, उ.प्र. की वेबसाइट **www.awasbandhu.in** पर अवलोकित किया जा सकता है।

9– उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक मा. सेवारत अथवा पूर्ण न्यायाधीश तथा सदस्य पद की अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्ति आवेदन–पत्र के निर्धारित प्रारूप को आवास बन्धु, उ.प्र. की वेबसाइट **www.awasbandhu.in** से डाउनलोड कर पूर्ण आवेदन–पत्र वांछित अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की **e-mail-awas.sahari@yahoo.in** पर **दिनांक 21.06.2018** समय **सांय 05.00 बजे** तक भेज सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायें तथा सदस्य पद हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाय कि इच्छुक व्यक्ति **न्यायिक/तकनीकी/प्रशासनिक** पदों में से किस पद हेतु आवेदन किया गया है। दिनांक 21.06.2018 को सांय 05.00 बजे के बाद प्राप्त होने तथा अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट– जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में उ.प्र. रियल स्टेट अपील अधिकरण के **अध्यक्ष तथा सदस्य** पदों पर आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव

<u>उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष पद हेतु</u>

<u>आवेदन–पत्र का प्रारूप</u>

पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो स्वहस्ताक्षर सहित

(i) आवेदक का नाम–

(ii) पिता का नाम–

(iii) जन्मतिथि (DD/MM/YY)–

(iv) दिनांक 30.06.2018 को आयु (DD/MM/YY)–

(v) लिंग– (पुरुष / महिला)

(vi) ई–मेल आई डी–

(vii) आधार नं.–

(viii) शैक्षिक योग्यता–

(ix) मो. नं.–

(x) पत्राचार का पता–

(xi) स्थायी पता–

(xii) मा. उच्च न्यायालय में धारित न्यायाधीश पद की अवधि का विवरण–

(xiii) प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) का विवरण–

(xiv) भू–सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम–2016 की धारा–47(2) के अन्तर्गत घोषणा–

घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों / तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण / तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरुद्ध भा.द.वि., 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण किया जाता / गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान–

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।

उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण में सदस्य पद हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम–

(i) आवेदक का नाम–

(ii) पिता का नाम–

(iii) जन्मतिथि (DD/MM/YY)–

(iv) दिनांक 30.06.2018 को आयु (DD/MM/YY)–

(v) लिंग– (पुरुष / महिला)

(vi) ई–मेल आई डी–

(vii) आधार नं.–

(viii) शैक्षिक योग्यता–

(ix) मो. नं.–

(x) पत्राचार का पता–

(xi) स्थायी पता–

(xii) सेवा विवरण–

*(क) धारित सेवा एवं अवधि.................................

(ख) अनुभव (विस्तृत विवरण अंकित करें)..........................

(ग) विशेषज्ञता क्षेत्र..

(xiii) अंतिम ग्राह्य वेतनमान..

(xiv) प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) का विवरण–

(xv) भू–सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम–2016 की धारा–47(2) के अन्तर्गत घोषणा–

पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो स्वहस्ताक्षर सहित

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों / तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण / तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरुद्ध भा.द.वि., 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण किया जाता / गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान–

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर

* **भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी उक्त सेवा में ''अपर सचिव'' या उसके समतुल्य धारित पद का उल्लेख करें।**
* **तकनीकी / प्रशासनिक सदस्य पद के आवेदक भारत सरकार में ''अपर सचिव'' या राज्य सरकार में उसके समतुल्य धारित पर का विवरण अंकित करें तथा धारित पद भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में अपर सचिव पद से किस प्रकार समतुल्य है, भी स्पष्ट करें।**

संख्या–1396 / आठ–1–18–43बैठक / 2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
   समस्त विशेष क्षेत्र,
   विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2018**

विषय : बाढ़ प्रबन्धन हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मा. मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2018 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेश में भारी वर्षा के फलस्वरूप सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत उसके प्रबन्धन हेतु प्राधिकरणों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्नवत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं :–

(1) नदी की तलहटी पर बने अवैध मकानों का चिन्हीकरण।

(2) जर्जर भवनों का चिन्हीकरण।

(3) नालों पर बने मकानों का चिन्हीकरण।

(4) जिला प्रशासन / नगर निगम से सहयोग प्राप्त कर वर्षा के दृष्टिगत जन–हानि न हो, इस हेतु आवश्यकतानुसार खाली कराने (Evacuation) की कार्यवाही।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत सर्वोच्च प्राथमिकता विशेष रूप से अपेक्षित है।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>**संख्या एवं तद्दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र।
2. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ.प्र.।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

प्रेषक,

संजीव सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 **लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2018**

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति सिटी फॉरेस्ट के विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाये रखना अपरिहार्य है। प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या घनत्व एवं वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्रदेश के सभी प्राधिकरणों में पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण सुधार एवं सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से विकास प्राधिकरण में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(1) शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बेहद वृक्षारोपण कराया जाये तथा सड़कों के किनारे हरित पट्टियों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए ग्रीनरी विकसित करने के साथ–साथ विकसित की गयी हरियाली को संरक्षित रखा जाये।

(2) प्राधिकरण क्षेत्र में उपलब्ध लेण्ड फिल क्षेत्र को विकसित करते हुए सघन वृक्षारोपण कराया जाये।

(3) प्राधिकरण क्षेत्र में जहाँ–जहाँ पर सिविर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट क्रियाशील है पर सिविर ट्रीटमेण्ट से प्राप्त पानी का उपयोग औद्यानीकरण एवं वृक्षारोपण के कार्यों में किया जाये। वर्तमान शोधित जल का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(4) गत वर्ष विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा किये गये वृक्षारोपण का तकनीकी सत्यापन भी सक्षम स्तर से कराया जाये।

(5) प्रदेश के बड़े प्राधिकरणों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विकसित सिटी फॉरेस्ट की भांति सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाये। प्रथम चरण में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मथुरा में सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित सिटी फॉरेस्ट में निम्नानुसार कार्य अभिकल्पित है :–

1. सघन वृक्षारोपण एवं लॉन का विकास।
2. वायर मेस फेन्सिंग द्वारा संरक्षित क्षेत्र।
3. पार्किंग की व्यवस्था।

4. एडवेन्चर जोन का विकास।
5. किड्स जोन / चिन्ड्रन प्ले एरिया का विकास।
6. फूड कोर्ट / फूड कियोस्क की स्थापना।
7. एप्रोच रोड एवं पाथवे का निर्माण।
8. जनसुविधाओं का विकास तथा पेयजल की व्यवस्था।
9. अल्पविश्राम हेतु गार्डन हट एवं गार्डन बेंच।
10. प्राकृतिक झील का विकास।
11. जलस्रोत एवं भूमिगत सिंचाई व्यवस्था।
12. बर्ड डायवर्सिटी जोन, डिसकवरी गार्डन, फ्लोरीकल्चर का विकास।
13. पर्यावरण लाइब्रेरी, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हाइब्रिड कैना गार्डन एवं हर्बल गार्डन की स्थापना का विकास।
14. बटरफ्लाई गार्डन।
15. साइकिल ट्रैक।
16. ओपन थियेटर।
17. वाटर पौण्ड / लोटस पॉड
18. वॉच टावर
19. बर्मी कम्पोस्ट प्लान्ट की स्थापना तथा पौधशाला की स्थापना।
20. 'डक जोन एवं रेबिट जोन का विकास।
21. हॉर्स राइडिंग एवं जिप्सी सफारी।

उपरोक्त सभी अभिकल्पित कार्यों में कोई पक्का निर्माण नहीं किया जायेगा। सभी आवश्यक निर्माण पोर्टा केबिन से किया जायेगा तथा सड़कें, पाथ–वे, साइकिल ट्रैक कच्चे रखे जायेंगे। वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त न हो तथा धूल न उड़ सके उसके लिए सड़क एवं पाथ–वे निर्माण में जी.एस.वी. का उपयोग किया जायेगा। उपरोक्त गतिविधियों को आवश्यकतानुसार संचालनकर्ताओं के माध्यम से भागीदारी के आधार पर संचालित किया जाये, जिससे कि प्राधिकरण को आय भी सृजित हो सके। सिटी फॉरेस्ट के विकास में सी.एस.आर. (कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबलिटी) के माध्यम से भी कराये जा सकते हैं। सिटी फॉरेस्ट के विकास के लिए लगभग 100 करोड़ एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें उपरोक्तानुसार सभी अभिकल्पित गतिविधियाँ विकसित किया जायेगा। क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त रखे जाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सन्तुलन बनाये रखने के लिए सिटी फॉरेस्ट शहर के आरक्षित हरित क्षेत्र में विकसित किया जाना आवश्यक है। सिटी फॉरेस्ट से जनसामान्य को लाभ होने के साथ–साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तर्ज पर भूमि चयन करते हुए सिटी फॉरेस्ट का विकास एवं रख–रखाव सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के बजट के माध्यम से कराया जायेगा।

3. उपरोक्त कार्यों के लिए श्री एस.पी. सिशोदिया, उपनिदेशक उद्यान को नोडल अधिकारी (तकनीकी) नामित किया जाता है।

कृपया उपरोक्तानुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिटी फॉरेस्ट को मॉडल मानते हुए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिटी फॉरेस्ट की कार्ययोजना) के अनुरूप प्राधिकरण में भूमि उपलब्धता के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करा करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संजीव सिंह
विशेष सचिव

संख्या–1272(1)/आठ–4–2018–07 विविध/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. श्री एस.पी. शिशौदिया, उपनिदेशक उद्यान, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–1070 / 8–3–2018
लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत 61 नगरों की जी.आई.एस. महायोजनाओं को तैयार करने के सम्बन्ध में अधिकारियों / कर्मचारियों को इसरो, देहरादून व वी.आई.एस.ए.जी., गांधी नगर में जी.आई.एस. प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में संस्थानों का भ्रमण कर प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु सुझाव उपलब्ध कराये जाने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की समिति एतद्द्वारा गठित की जाती है :–

1.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।	–	अध्यक्ष
2.	श्री अजय कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	–	सदस्य
3.	श्री एन.के. जौहरी, सहयुक्त नियोजक, लखनऊ / फैजाबाद, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।	–	सदस्य
4.	निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. द्वारा नामित अधिकारी	–	सदस्य

2– उक्त समिति द्वारा दिनांक 13–14 जुलाई 2018 को बी.आई. एस.ए.जी. गांधी नगर का भ्रमण करके विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिससे शासन स्तर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिक के प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार किये जा सकें।

3– उक्त समिति द्वारा की गयी यात्रा एवं अन्य अनुशांगिक व्ययों के भुगतान आवास बन्धु द्वारा किया जायेगा।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, विशेष सचिव, (श्री राजेश कुमार पाण्डेय) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. श्री अजय कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. श्री एन.के. जौहरी, सहयुक्त नियोजक, लखनऊ / फैजाबाद, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या–3169 / आ.ब.–1 / निदेशक / 18 दिनांक : 16 अगस्त, 2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अधिशासी निदेशक / प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय : अभिकरण की वेबसाइट पर अधिनियमों / उपनियमों / उपविधियों / शासनादेशों इत्यादि को 'अपलोड' किये जाने एवं अध्यावधिक रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

संज्ञान में आया है कि अभिकरणों की वेबसाइट पर जन–सामान्य से सम्बन्धित अधिकतर अभिलेख / सूचनायें 'अपलोड' नहीं की जाती हैं, अतः निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं से सम्बन्धित अभिलेखों / सूचनाओं को जन–सामान्य के उपयोगार्थ अभिकरणों की वेबसाइट पर एक सप्ताह के अन्दर 'अपलोड' कराया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

1. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973।
2. अभिकरण के गठन की अधिसूचना।
3. अपार्टमेन्ट एक्ट–2010।
4. भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016।
5. उ.प्र. रियल स्टेट (विनियमन और विकास) रूल्स–2016।
6. जोनल प्लान, महायोजना (पुस्तिका एवं मानचित्र)।
7. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित–2016)।
8. आवास एवं पर्यावास नीति–2014।
9. शमन उपविधि–2009।
10. भू–उपयोग परिवर्तन नियमावली।
11. विकास शुल्क नियमावली।
12. नजूल नीति तथा नामान्तरण नीति / प्राविधान।
13. भवन / भूखण्ड के आवंटन / निरस्तीकरण / रिफण्ड के प्राविधान।
14. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची तथा एल.एम.सी. भूमि का खसरा नम्बर / ग्राम सभा का नाम।

15. अर्जन से सम्बन्धित जानकारी तथा अर्जन हेतु प्रस्तावित ग्रामों का विस्तृत विवरण।
16. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू–उपयोग का विवरण, इच्छुक आवेदक को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया।
17. अनाधिकृत कालोनियों की सूची।
18. सामुदायिक सुविधाओं के नाम एवं आवंटन की प्रक्रिया का विवरण, यथासम्भव पूर्णतया ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उक्त के अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, आवास बन्धु, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा रेरा, उ.प्र. की वेबसाइट का लिंक अभिकरण की वेबसाइट पर दिया जाये, जिससे जन–सामान्य को अधिनियमों / उपनियमों / उपविधियों / शासनादेशों की जानकारी सुगमता पूर्वक प्राप्त हो सके।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
अधिशासी निदेशक / प्रमुख सचिव

<u>**संख्या एवं तद्दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।

नितिन रमेश गोकर्ण
अधिशासी निदेशक / प्रमुख सचिव

संख्या–3350/आ.ब.–1/निदेशक/18 दिनांक : 28 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

आवास बन्धु, उ.प्र. के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नियम–7 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार श्री संजीव सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अपने कार्यों के साथ–साथ, आवास बन्धु में अधिशासी निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर एतदद्वारा नामित किये जाने के सम्बन्ध में किया जाता है।

2. अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ.प्र. शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/राजस्व/वित्त/ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन।
3. अध्यक्ष, आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
7. रजिस्ट्रार, चिट फण्ड, उ.प्र.।
8. श्री संजीव सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
9. विशेष सचिव, संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनु सचिव/समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
12. गार्ड फाइल।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ.प्र. शासन।

संख्या–1456(1)/8–3–17–विविध/17 टी.सी.

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 30 अगस्त, 2018**

विषय : लो–रिस्क एवं हाई–रिस्क भवनों के मानचित्रों का समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

भवन अनुज्ञा पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं भवन मानचित्रों की स्वीकृति ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही है। भवन मानचित्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न व्यवस्था सॉफ्टवेयर में लागू की जाती है :–

1. लो–रिस्क श्रेणी के मानचित्र 48 घण्टे (दो कार्यदिवस) में स्वीकृत न किये जाने पर मानचित्र स्वतः स्वीकृत हो जायेंगे।
2. हाई–रिस्क श्रेणी के मानचित्रों में प्राधिकरण द्वारा भेजी आपत्ति का निस्तारण आवेदक द्वारा 30 दिवस के भीतर न किये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
3. हाई–रिस्क श्रेणी के मानचित्र की दशा में प्राधिकरण द्वारा आवेदक को डिमांड भेजने के सात दिन के भीतर ऑनलाइन धनराशि का भुगतान न होने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
4. उपरोक्त क्रमांक–2, 3 के अन्तर्गत निरस्त मानचित्र को पुनः प्रोसेस करने हेतु आवेदक सम्बन्धित प्राधिकारी को ई–मेल द्वारा अनुरोध भेज सकता है, और सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा यदि धनराशि वापस नहीं की गयी है तो बिना शुल्क के मानचित्र रिप्रोसेस करेगा।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, उ.प्र.।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या–1540/आठ–1–18–10 बजट/2015

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 06 सितम्बर, 2018**

विषय : जनपद फिरोजाबाद में सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000 लीटर) के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या–61/नागर–2/033–0020/18, दिनांक 07.04.2018 एवं शासनादेश संख्या–65/2016/638/आठ–1–16–10 बजट/2015, दिनांक 24.02.2016 तथा शासनादेश संख्या–4015/आठ–1–16–03 वी.आई.पी./16 टीसी, दिनांक 22.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि फिरोजाबाद नगर के अधिकांश भागों में जल स्तर 60 से 90 मीटर की गहराई तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में फिरोजाबाद नगर में हैण्डपम्पों के सफल संचालन की सम्भावना नगण्य हो गई है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–65/2016/638/आठ–1–16–10 बजट/2015, दिनांक 24.02.2016 द्वारा मा. विधायक फिरोजाबाद श्री मनीष असीजा की संस्तुति पर 100 हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु रु. 95.97694 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–4015/आठ–1–16–03 वी.आई.पी./16 टीसी, दिनांक 22.12.2016 द्वारा शहरी क्षेत्र में मा. नगरीय विधायकों की संस्तुति पर 100–100 हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 3397.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि उ.प्र. जल निगम को प्राप्त भी हो चुकी है किन्तु ऐसी परिस्थिति में फिरोजाबाद में हैण्डपम्पों का लगाया जाना अनुपयुक्त होगा। इस कारण से फिरोजाबाद नगर के मा. विधायक श्री मनीष असीजा द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया था कि स्वीकृत हैण्डपम्पों के स्थान पर उसके समतुल्य राशि में सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000 लीटर) का अधिष्ठापन करा दिया जाये। इस सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रधान कार्यालय, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ से अनुमति मांगी गई थी, किन्तु शासन द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने पत्रांक–1785/नौ–5–2016–160 बजट/16, दिनांक 03.08.2016 द्वारा सूचित किया गया कि मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप ही कार्यवाही की जाये। इस कारण से उपरोक्त धनराशि का उपभोग अभी तक नहीं हो पाया है।

दिनांक 04.04.2018 को मा. नगर विकास मंत्री जी द्वारा आगरा में समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये कि फिरोजाबाद नगर के भू–जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए हैण्डपम्पों के स्थान पर सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000 लीटर) ही लगाया जाना उपयुक्त होगा। अतः इस प्रकरण को नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन लखनऊ को पुनः अनुमति प्रदान करने हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में 100–100 हैण्डपम्पों हेतु स्वीकृति धनराशि के समतुल्य धनराशि के अनुसार सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000 लीटर) 20 नग का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 95.86 लाख

जो कि मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) उ.प्र. जल निगम, आगरा द्वारा प्रेषित किया गया है। इस पर सहमति प्रदान की जाये ताकि दोनों वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपभोग कर जनता को ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट से बचाया जाना सम्भव हो सके।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है :—

1. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आवंटित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000 लीटर) की स्थापना की जाये। आवास विभाग द्वारा आवंटित धनराशि के अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।
2. नगर विकास विभाग द्वारा सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक की एक यूनिट का मानकीकरण एक सप्ताह में करा लिया जाये।
3. सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन के लिए उ.प्र. जल निगम कार्यदायी संस्था होगी।
4. सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन हेतु निःशुल्क भूमि की उपलब्धता, अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्ययों को वहन करने का दायित्व नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित नगरीय निकाय का होगा।
5. सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन विशुद्ध रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए ही होगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निजी स्थल पर इसका अधिष्ठापन न हो।
6. सबमर्सिबल पम्प के अनुरक्षण हेतु सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा 3 या 5 साल का ओ एण्ड एम (संचालन एवं अनुश्रवण व्यय) किया जायेगा। विद्युत पर होने वाला व्यय भार नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा—परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक की एक यूनिट का मानकीकरण एक सप्ताह में सुनिश्चित करा लिया जाये।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन (अनुभाग—4), उ.प्र. शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2, उ.प्र. शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–1387/8–3–18–158 विविध/18
लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय भू–तल तथा प्रथम तल राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन) कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ में स्थापित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल, उ.प्र. सहर्ष प्रदान करते हैं।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या : 1387(1)/8–3–18–158विविध/18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 19.09.2018 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 25 प्रतियाँ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या : 1387(2)/8–3–18–158विविध/18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियिमत क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश/आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–1388/8–3–18–158 विविध/18
लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (N.C.R.) के अन्तर्गत स्टेक होल्डर्स की सुविधा एवं न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के दृष्टिकोण से उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का राष्ट्रीय राजधानी (N.C.R.) क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय/पीठ–ब्लाक–ए, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का पुराना कार्यालय भवन, H-169 सेक्टर गामा-II, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल, उ.प्र. सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या : 1388(1)/8–3–18–158विविध/18 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 19.09.2018 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 25 प्रतियाँ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या : 1388(2)/8–3–18–158विविध/18 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियिमत क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश/आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

ई–मेल / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–2001 / आठ–2–2018–05मा.का.यो. / 2018

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2018**

विषय : मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत अधूरे आवासों को पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों को आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश संख्या–4328 / 9–5–08–153सा. / 08 दिनांक 02 जून, 2008 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी थी। योजना की विस्तृत गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या–5376 / 9–5–08–153सा. / 08 दिनांक 24 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या–7931 / 9–5–09–247 सा. / 08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009, शासनादेश संख्या–972 / आठ–2–11–247सा. / 08 टी.सी. दिनांक 9.4.2011, शासनादेश संख्या–1139 / आठ–2–11–3एच.बी.(25) / 11 दिनांक 16.4.2011 तथा शासनादेश संख्या–428 / आठ–2–2017–247 सा. / टी.सी.–1 दिनांक 10.4.2017 द्वारा निर्गत की गयी थी। किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार जनपदों में काफी संख्या में अधूरे / अर्धनिर्मित आवास हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1088 / आठ–2–2012–247 सा. / 08टी.सी.–1 दिनांक 28 मई, 2012 के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तृतीय चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि वर्तमान में कतिपय जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी काफी संख्या में योजनान्तर्गत आवास अधूरे / अर्धनिर्मित अवस्था में हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही है।

3– अतएव प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण में मिले लेबिल से ऊपर के अधूरे पड़े भवनों के निर्माण का कार्य प्राधिकरण बोर्ड से अधिकार प्राप्त कर, अवस्थापना निधि / शेल्टर फीस के मद में उपलब्ध धनराशि से पूर्ण किया जाये तथा योजनान्तर्गत पूर्ण भवनों का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पात्र लाभार्थियों को एक माह के अन्दर आवास आवंटित कराकर शासन / निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ को फैक्स / ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

<u>संख्या : 2001(1)/आठ–2–2018, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर/विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. निदेशक, आवास बन्धु, जनपद मार्केट, लखनऊ को उक्त पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे सभी सम्बन्धित को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें तथा जनपदों से प्राप्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

फैक्स / तत्काल

संख्या–1033 / आठ–1–17–17विविध / 2017

प्रेषक,

शिवजनम चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **निदेशक,**
नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ।
3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. **अध्यक्ष / सचिव,**
समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, उ.प्र.
5. **निदेशक,**
आवास बन्धु, उ.प्र., लखनऊ।
6. **प्रबंध निदेशक,**
उ.प्र. सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि., 6–सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।
7. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ.प्र. लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2017**

विषय : ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने विषयक आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1067 / 78–2–2017–42आई.टी. / 2017, दिनांक 12 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं / जाब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु सभी शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं / जाब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running Contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate Contract) हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने विषयक आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1067 / 78–2–2017–42 आई.टी. / 2017, दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं / जाब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं (Running Contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate Contract) हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3– उपरोक्तानुसार सभी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य सभी कार्यालयाध्यक्ष ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय

शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या : 1033(1)/आठ–1–17, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों को सभी सम्बन्धित को अवगत कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना संकलित कर दिनांक 10 जून, 2017 तक शासन को अवगत करायें।

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या–1067 / 78–2–2017–42आईटी / 2017

प्रेषक

राहुल भटनागर,

मुख्य सचिव

उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेष शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, निकार्यों, परिषदों एवं स्वायतशासी निकार्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 12 मई 2017**

विषय– शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना।

महोदय / महोदया,

नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित मिशन मोड परियोजनाओं में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रौदयोगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग उद्योग 'निदेशालय विश्व बैंक पोषित / वाह्य सहायतित सभी परियोजनाओं में पायलट परियोजना के रूप में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई थी। कतिपय अन्य विभागों में भी ई–टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं / जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं / जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running Contract) एवं दर अनुबंध (Rate Contract) हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. प्रदेश में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी होगी तथा ई–टेण्डरिंग करने वाले विभागों / उपक्रमों इत्यादि को एन.आई.सी., लखनऊ तथा यूपीएलसी द्वारा आवश्यकतानुसार हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी। ई–टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरण इत्यादि एन.आई.सी. को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार अन्य हार्डवेयर उपकरण यूपी इलेक्ट्रनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों एवं प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु वर्तमान नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) एवं तत्सम्बन्धी, अन्य नियम उक्त श्रेणियों के ई–टेण्डरिंग में यथावत लागू रहेंगे एवं इनमें प्रचलित पेपर ट्रांजेक्शन के स्थान पर मात्र इलेक्ट्रानिक माध्यम का प्रयोग करते हुए निविदा प्रक्रिया, ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा निम्नवत सम्पादित की जायेगी :–

- जिन निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running Contract) एवं दर अनुबंध (Rate Contract) हेतु निविदा प्रक्रिया मैनुअल विधि से सम्पादित की जाती है, उन निविदाओं को ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से कराया जाना प्रत्येक विभाग के लिए अनिवार्य होगा।

  ई–प्रोक्योरमेण्ट/ईटेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा–ई–रजिस्ट्रेशन इ–कोडिंग, टेण्डर क्रियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर परचेज, सबमिशन, बिड ओपनिंग आदि समस्त कार्य इलेकट्रानिक माध्यम से किये जायेंगे।

  सर्वाधिक प्रतिस्पर्धातमक दरें प्राप्त करने के लिए अलग–अलग ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करने के स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in पर ई–प्रोक्योरमेण्ट किया जायेगा।

  ई–प्रोक्योरमेण्ट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण दायित्व एन.आई.सी. का होगा।

5. टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (बिडर्स), आपूर्तिकर्ताओं (वेण्डर्स), कान्ट्रैक्टर्स को ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। यूपीएलसी द्वारा बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स को उनके कम्प्यूटर/लैपटाप पर ई–टेण्डर सम्बन्धित सॉफ्टवेयर अपलोड कराकर ई–टेण्डर हेतु तैयार किया जाना, टेण्डर डाउनलोड, टेण्डर सबमिशन, मॉक ई–टेण्डर सबमिशन द्वारा ई–टेण्डर प्रणाली पर कार्य करना इत्यादि के प्रयोग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई–टेण्डर का विकास, बीओक्यू (बिल ऑफ क्वान्टिटी) तैयार किया जाना, टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, टेण्डर ईवैल्यूवेशन इत्यादि का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

6. ई–प्रोक्योरमेण्ट/ईटेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डर करने वाले विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन शुल्क, निविदा शुल्क एवं वेण्डर/कान्टैक्टर द्वारा देय पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

   प्रत्येक विभाग द्वारा केवल एक बार रु0 5000.00 + अनुमन्य सर्विस टैक्स, कस्टमाइजेशन शुल्क के रूप में नोडल संस्था–यूपीइलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।

   निविदा शुल्क के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक टेण्डर हेतु टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत –न्यूनतम रु 250.00 तथा अधिकतम रु 5000.00 (सर्विस टैक्स सहित) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।

   इस प्रणाली के अन्तर्गत बिडर्स/कान्टैक्टर्स/वेण्डर्स द्वारा प्रथम बार रु 6000.00 (सर्विस टैक्स सहित) शुल्क यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देकर, प्रथमतः उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसके आधार पर वे दो वर्ष तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के श्रेणीवार अनुमन्यता के आधार पर सभी टेण्डर में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु शुल्क मात्र रु 3000.00 (देय कर अतिरिक्त) प्रति दो वर्ष हेतु मान्य होगा।

ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स तथा विभागीय अधिकारियों एवं टेण्डर समिति के सदस्यों को रु 1708,00 (समस्त करों सहित) प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क जमाकर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने होंगे। डिजिटल सिग्नेचर दो वर्ष के लिए वैध होंगे। ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर विभागीय अधिकारियों/निविदादाताओं द्वारा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत एन.आई.सी.–नई दिल्ली, टीसीएस–मुम्बई, सेफ–स्क्रिप्ट–चेन्नई, आई.डी.आर.बी.टी., (एन) कोड सॉल्यूशन, ई–मुद्रा, सी–डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा. लि., एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी, जी.एन.एफ.सी. आदि सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

7. उक्त कार्यों हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को मात्र उक्त कार्यों के सापेक्ष पंजीकरण शुल्क, कस्टमाईजेशन शुल्क एवं निविदा शुल्क उक्त सुविधाओं के एवज में उपलब्ध होगी।

8. प्रत्येक विभाग द्वारा ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग किये जाने हेतु विभाग में आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, न्यूनतम 512 केबीपीएस ब्रॉस बैण्ड कनेक्शन तथा वांछनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाईजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण करा ली जायें। निविदा शुल्क (Tendar fees) के भुगतान तथा धरोहर राशि (Earnest Money) के भुगतान एवं वापसी की प्रक्रिया भी भौतिक रूप (Physical Form) में न करके ऑनलाईन व्यवस्था ही सुनिश्चित की जाये।

9. सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करके ई–प्रोक्योरमेण्ट/ईटेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये।

10. यदि विभाग द्वारा ई–प्रोक्योरमेण्ट/ईटेण्डरिंग प्रणाली लागू करने में कठनाई अनुभव की जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रणाली को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करने होंगे।

11. जिन विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/स्वायतशासी निकायों तथा संस्थाओं द्वारा अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली आकस्मिकता/तात्कालिक प्राथमिकता के दृष्टिगत जनहित में पूर्व में टेण्डर संबंधित निर्देश/शासनादेश निर्गत किये गये हैं, उन सभी पर उस सीमा तक इस ई–टेण्डर संबंधित शासनादेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों तथा समस्त ग्राम पंचायतों में ई–टेण्डर संबंधी आवश्यक अवस्थापना/आधारभूत सुविधायें मानव संसाधन तकनीकी ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था होने के उपरान्त ही, ई–टेण्डर संबंधी शासनादेश को प्रभावी करने हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर से तदनुसार निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

<u>संख्या–1067(1)/78–2–2017 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इले0 विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी,आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्तर प्रदेश।
10. निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्तर प्रदेश शासन।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआई.सी. उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ।
12. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स यूपीडेस्को, लखनऊ।
13. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
14. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
15. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभागों/कार्यालयों के स्तर पर अपेक्षित कार्यकलाप

सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि को, ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु तैयारी के लिए तीन माह का समय है तथा इस प्रयोजन हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें इस अवधि में पूर्ण करा ली जायें।

तीन माह के पश्चात सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि द्वारा सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवं दर अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली अपनाया जाना अनिवार्य होगा।

ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, ब्रॉस बैण्ड कनेक्शन (Min 512 KBPS) तथा वॉछनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। यद्यपि ई–टैण्डरिंग प्रणाली, Windows 8 युक्त कम्प्यूटर सिस्टम पर भी कार्य कर सकती है, किन्तु Windows 7 JAVA UPDATE 71, 32 अथवा 64 BIT स्थापित किया जाना होगा। यह सॉफ्टवेयर यूपीएलसी की वेबसाइट www.uplc.in के Downloads Section में भी उपलब्ध है तथा उसे डाउनलोड किया जा सकता है।

शासन के सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना होगा एवं इसके लिए एक कार्यालय ज्ञाप सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। सम्बन्धित विभाग/उपक्रम आदि के संगठनात्मक चार्ट की प्रति संलग्न करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति एन. आई.सी. लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को पृष्ठॉकित किया जाना होगा।

सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा अपना Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर, बनवाया जाना होगा। यह तथ्य महत्वपूर्ण है टेण्डर्स के Encryption हेतु Clas-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक है।

संगठनात्मक चार्ट, कार्यालय ज्ञाप की प्रति तथा डिजिटल सिग्नेचर लेकर, उस पर यूपीएलसी से एक फारवर्डिंग लेटर सहित एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ में अपने विभागीय डिजिटल सिग्नेचर के रजिस्ट्रेशन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं उपस्थित होना होगा।

यदि सम्बन्धित विभाग/उपक्रम संगठन इत्यादि के जनपद स्तर पर भी नोडल अधिकारी बनाये जाने की आवश्यकता हो तो उक्त नोडल अधिकारी एन.आई.सी. योजना भवन के अधिकारियों से वार्ता कर इसके लिए भी सुनिश्चित कर लेंगे।

सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/संगठन इत्यादि में जिस स्तर पर क्रय प्रक्रिया किया जाना अपेक्षित हो, उन स्तरों पर क्रय समिति के कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 4 सदस्यों हेतु भी उपरोक्तानुसार Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने की आवश्यकता होगी।

नोडल अधिकारी/क्रय समिति के सदस्यों/वेन्डर्स के Class-II (Signing and Encryption) डिजिटल सिग्नेचर्स कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्नलिखित किसी भी सर्टिफाईंग अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से बनवाये जा सकते हैं–

एन.आई.सी–नई दिल्ली,

टीसीएस–मुम्बई,

सेफ–स्क्रिप्ट–चेन्नई,

आई.डी.आर.बी.टी.

(एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई–मुद्रा,

सी–डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि.,

एन.एस.डी.एल. टैक्नोलोजी,

जी.एन.एफ.सी. अथवा

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

शासकीयय अधिकारियों के Class-II डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने तथा फार्म भरने की विधि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uplc.in के Downloads पृष्ठ पर उपलब्ध है।

सम्बन्धित विभागों इत्यादि के राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी अथवा जनपद स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा क्रय समिति के सदस्यों को एन.आई.सी. के पोर्टल etender.ipnic.in पर रजिस्टर करना होगा। सम्बन्धित नोडल अधिकारी इसके लिए यूपीएलसी से सम्पर्क कर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

तत्पश्चात, प्रकाशित किये जाने वाले टेण्डर्स को चिन्हित कर उसके लिए ई–टेण्डर प्रणाली लागू करने हेतु सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा टेण्डर की शब्दावली और विषय–वस्तु में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन हेतु एन.आई.सी. के पोर्टल etender.up.nic.in के Homepage का अवलोकन कर लिया जाये। Homepage पर Active Tender को Click करने पर ई–टेण्डर पोर्टल पर सक्रिय समस्त टेण्डर्स की सूची (एक पृष्ठ पर 10 टेण्डर्स) प्रदर्शित हो जायेगी। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 6000 से अधिक टेण्डर्स प्रकाशित हैं। प्रकाशित ई–टेण्डर्स का अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है। उक्तानुसार, प्रकाशित टेण्डर्स का अवलोकन कर विभाग/कार्यालय इत्यादि से सम्बन्धित टेण्डर में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही सुगमता से की जा सकेगी।

टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (Bidders), आपूर्तिकर्ताओं (Vendors), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टैण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण हेतु शीघ्र ही मण्डल तथा जनपद स्तर पर समितियां गठित कर प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ई–टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी सभी जानकारी etender.up.nic.in पोर्टल पर "Information about DSCs", "Frequency Asked Questions", "Bidders Manual Kit", "Help for Contractors" तथा "Downloads" में दी गई हैं, जिनका अवलोकन कर लिया जाये। साथ ही विभागीय, अधिकारियों को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई–टेण्डर का विकास, BOQ preparation टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि के प्रयोग का भी विस्तृत विवरण पोर्टल पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया से सम्बन्धित उपरोक्त कार्यों की जानकारी हेतु एक प्रस्तुतिकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uplc.in के e-procurement पृष्ठ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त youtube पर GePNIC से सम्बन्धित फिल्म/प्रस्तुतिकरण भी डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

सभी विभागों के नोडल अधिकारियों/क्रय समिति के सदस्यों/निविदादाताओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय, मण्डल एवं जनपद स्तर पर शीघ्र ही कराई जा रही है। इसके सम्बन्ध में पृथक से सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।

वृहद कार्य–क्षेत्र वाले विभागों में प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले अधिकारियों की बड़ी संख्या के दृष्टिगत इन विभागों में 'मास्टर ट्रेनर्स' भी बनाये जायें, तथा उनके द्वारा अपने विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये।

समस्त विभागों के स्तर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये तथा विभागों से सम्बन्धित वेण्डर्स/आपूर्तिकर्ताओं को शासन के निर्णय से अवगत करा दिया जाये तथा भविष्य में ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने के लिए उन्हें डिजिटल सिग्नेचरर्स, पंजीयन इत्यादि औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु निर्देशित कर दिया जाये।

संख्या–511 / 8–3–17–34 विविध / 08

प्रेषक

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **विशेष सचिव,**
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

2. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांकः 05 जून, 2017**

विषय : भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' में आन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) की व्यवस्था तैयार कर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 61 नगर चयनित किये गये हें, जिनमें निर्माण एवं विकास की अनेकों परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक (अमृत) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–एस.एम.एम.यू. / 42 / 519(6)रिफार्म / 2016–17 दिनांक 17.02.2017 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश से समबन्धित कार्यों की कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है, इसी क्रम में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–421(2) / नौ–5–2017–390सा / 2016, दिनांक 17.04.2017 द्वारा भारत सरकार के मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 में वर्णित ''एकल खिड़की की व्यवस्था'' जो OBPAS से सम्बन्धित हैं, की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त की पृष्ठभूमि में AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' के अन्तर्गत आन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को भारत सरकार की अपेक्षानुसार चयनित 61 नगरों में से सर्वप्रथम मेट्रो श्रेणी के नगर क्रमशः लखनऊ कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आगरा में लागू किया जाना है। चयनित 61 नगरों में मेट्रो श्रेणी के नगरों सहित कुल 28 नगरों के निर्माण एवं विकास कार्यों को नियोजित करने के लिए विकास प्राधिकरण स्थापित हैं तथा इन सभी में उ.प्र. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 लागू है एवं मानचित्रों के निस्तारण की प्रक्रिया भी एक समान ही है।

उक्त की पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि OBPAS हेतु निम्न व्यवस्थाएं तत्काल लागू की जाए–

1. OBPAAS लागू करने की प्रक्रिया में अत्यधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना है तथा प्रक्रियाओं का कस्टमाईजेशन भी अपेक्षित है, इसलिए इस सिस्टम को सर्वप्रथम लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में लागू किया जाए। दोनों प्राधिकरण में OBPAS पूर्ण रूप से लागू होने के पश्चात इसे सभी प्राधिकरणों में लागू किया जाए।
2. प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों हेतु OBPAS की व्यवस्था को तैयार करने के लिए नगर एवं ग्राम

नियोजक, उत्तर प्रदेश (CTCP) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों में लागू इस प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार OBPAS की सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

3. OBPAS की व्यवस्था के लिए आवश्यक Software को विकसित करने एवं लागू करवाने के लिए निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है–

(i)	श्रीमहेन्द्र बहादुर सिंह, अथवा उनके प्रतिस्थानी विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(ii)	श्री अजय कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।	सदस्य/सचिव
(iii)	श्री निकुंज जौहरी, सहयुक्त नियोजक, लखनऊ/फैजाबाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0	सदस्य
(iv)	प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित आई.टी. विशेषज्ञ अधिकारी	सदस्य
(v)	श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक सिस्टम, आवास बन्धु, लखनऊ।	सदस्य
(vi)	श्री इश्तियाक अहमद, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।	सदस्य
(vii)	श्री श्री जे.एन. रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
(viii)	श्री एन.आर. वर्मा, सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, लखनऊ।	सदस्य
(ix)	श्रीमती वन्दना सहगल, प्रधानाचार्य, राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ	सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा OBPAS को विकसित करने हेतु आवश्यक Software की निविदा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियाँ जैसे–बिड डाक्यूमेन्ट, कन्सल्टेन्ट रिव्यू कमेटी (CRC) का गठन, निविदा स्वीकृति, अनुबन्ध आदि कार्य सम्पादित करेगी। कमेटी के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को समिति के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह कमेटी इस व्यवस्था को समस्त प्राधिकरणों में लागू कराना सुनिश्चित करेगी।

4. OBPAS पर होने वाले व्यय की पूर्ति यथासम्भव AMRUT योजनान्तर्गत की जाएगी जिसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। यदि निविदा उपरान्त इस सम्पूर्ण प्रणाली को विकसित करने हेतु कुल लागत का आंकलन भारत सरकार से AMRUT योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक आती है तो अतिरिक्त धनराशि का वहन लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर एवं ग्प्रम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को किया जायेगा जिसका प्रस्ताव यथास्थिति उपरोक्त समिति द्वारा शासन को अनुमोदन हेतु घोषित किया जायेगा।

5. OBPAS की व्यवस्था भारत सरकार एवं राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अतः समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण इसे विकसित करने में उक्त कमेटी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के साथ ही साथ इसे प्राधिकरण में लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) मिशन निदेशक (अमृत), उत्तर प्रदेश, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समिति के समस्त पदाधिकारीगण।

(4) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(5) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या–1456/8–3–17–26 विविध/17 टी0सी0

प्रेषक

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, शासन।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांकः 05 जून, 2017**

विषय : जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को ऑन–लाईन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को ऑनलाईन किये जने के संबंध में डुप्लीकेट आर्डर प्रदन करने एवं रिफण्ड धनराशि प्रदान करने की सेवाओं की ऑनलाईन प्रक्रिया को अपनाये जने के संबंध में मुझे निम्वत दिशा–निर्देश जारी करने के निदेश हुये हैं–

2. डुप्लीकेट ऑर्डर प्रदान करने की प्रक्रिया–

प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार के आदेश समय–समय पर जारी किये जाते हैं जिनकी प्रतिलिपि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नागरिक के आवेदन करने पर निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध करयी जायेंगी।

(i) आवेदक अपनी प्रोफाइल आई.डी., यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड बनायेगा।

(ii) कोई भी नागरिक निम्न प्रकार के आदेशों की प्रति हेतु ऑनलाइन आवेदन करेगा जिसके साथ आवेदन शुल्क धनराशि रूपया 20/–का भुगतान भी ऑनलाइन करेगा। तत्पश्चात सभी प्राधिकरणों में नामित नोडल, ऑफिसर के पास कम्प्यूटर द्वारा आवेदन स्वतः ही भेज दिया जायेगा। यदि भेजे जाने वाले ऑर्डर में पृष्ठों की दर से संख्या–5 से अधिक होगी तो अतिरिक्त शुल्क की मांग रूपया 2/–पृष्ठ की दर से कम्प्यूटर द्वारा प्रेषित किया जायेगा। आवेदक द्वारा फीस जमा करने के तुरन्त बाद विभाग मांगे गये ऑर्डर की कॉपी अविलम्ब अधिकतम सात कार्य दिवस) प्रेषित करेगा।

(iii) उक्त के क्रम में निम्न आर्डर की कॉपी दी जायेगी।

(क) किसी भवन के ध्वस्त करने/सील करने का आदेश।

(ख) किसी आवंटन आदेश की डुप्लीकेट कॉपी।

नोट : आदेश (जो दस साल के भीतर की अवधि में जारी किये हों) की प्रति ही दी जायेगी।

(iv) नोडल ऑफिसर द्वारा अवेदन के अनुसार सम्बन्धित विभागों के आवेदन पत्र आगे भेजे जायेंगे।

(v) सम्बन्धित विभाग, मांगे गये आदेश की प्रति स्कैन करके QR code सहित आवेदक को भेजेंगे।

(vi) आवेदक को निम्न दस्तावेज आवेदन के साथ उपलब्ध कराने होंगे।

(अ) आधार कार्ड की कॉपी

(ब) आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर E-Undertaking देनी होगी।

(vii) आवेदन के एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरणों द्वारा आवेदन का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जायगा।

(viii) यदि आवेदक द्वारा फीस ऑनलाइन जमा नहीं की जाती है तो आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

(ix) आवेदन के स्थिति एवं डुप्लीकेट आर्डर ऑनलाइन आवेदक द्वारा देखा जा सकता है।

3. रिफण्ड प्रदान करने की प्रक्रिया–

प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा किसी भी योजना में आवेदक/आबंटी के लिए रिफण्ड ऑनलाइन की व्यवस्था हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

(i) कोई भी आवेदक रिफण्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन करेगा। तत्पश्चात सभी विकास प्राधिकरणों में नामित नोडल अधिकारी को स्वतः ही आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो जायेगा

(ii) रिफण्ड आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

   i. Copy of Receipt
   ii. Copy of Allotment letter (if any)
   iii. Aadhar Copy
   iv. Cancelled Cheque (A/C in which refund amount to be deposited)
   v. E-Undertaking on prescribed form

(iii) नोडल ऑफिसर आवेदन पत्र को सम्पत्ति विभाग में सम्बन्धित को प्रेषित करेगा।

(iv) सम्बन्धित स्टाफ द्वारा जॉच करने के उपरान्त रिफण्ड बाउचर ऑनलाइन तैयार किया जायेगा। तत्पचात जॉच हेतु लेखा विभाग में भेज दिया जायेगा।

(v) लेखा विभाग द्वारा जांच के उपरान्त स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा

(vi) सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत के उपरान्त लेखा विभाग को प्रेषित किया जायेगा

(vii) लेखा विभाग के उच्चतम अधिकारी के द्वारा OTP के माध्यम से एन0ई0एफ0टी0/आर.टी0जी0एस0 एडवाइस निकाली जा सकेगी जिससे कि रिफण्ड की धनराशि आवेदक के खाते में सीधे प्रेषित की जा सकें। इसकी सूचना सम्पत्ति अनुभाग को भी भेजी जायेगी।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
(2) निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
(3) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या—1650 / आठ—1—18—92 विविध / 2018

प्रेषक

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोनक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

5. **प्रबन्ध निदेशक,**
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन,
7 / 6, सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली—110049

6. **प्रबन्ध निदेशक,**
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 **लखनऊ : दिनांकः 19 दिसम्बर, 2018**

विषय : आवास एवं शहरी नियोजन इन्टर्नशिप योजना—2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की तीव्र गति के अनुरूप नगर नियोजन एवं अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एवं विकास में आधुनिक तकनीक तथा विधाओं का समावेश करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थानों में स्नातक / परस्नातक एवं शोध हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न अभिकरणों यथा—विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा आवास बन्धु में 'इन्टर्न' के रूप में योजित करने कीनिम्नवत नीति निर्धारित की जाती है—

1. **योजना का उद्देश्य**—चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विकास प्राणिकरणों, आवास एवं विकास परिषद, नगर ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा आवास बन्धु में इन्टर्न के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करना। ऐसे विषयों एवं क्षेत्रों, जिनमें इन्टर्नशिप आमंत्रित किया जाना है, की सूची संलग्नक—'क' पर अवस्थित है।

2. **योजना का लक्ष्य**—इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं—

   (क) युवा शैक्षणिक प्रतिभाओं को पारस्परिक लाभ हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विभिन्न कार्य—कलापों से संबंद्ध होने का अवसर प्राप्त होगा।

   (ख) इन्टर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की नीतियों के निर्धारण में नवीन सुसंगत तकनीकी जानकारी के योगदान का अवसर प्राप्त होगा।

3. **इन्टर्नशिप**

(v) इन्टर्नशिप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की आवश्यकता के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष उपलब्ध होगा।

(vi) **योग्यताः**—इस योजना में इन्टर्नशिप हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/परस्नातक/शोध में पंजीकृत सभी विद्यार्थी चयन हेतु पात्र हैं।

(vii) **इन्टर्नशिप की अवधि**—इन्टर्नशिप की अवधि न्यूनतम 6 सप्ताह से अधिकतम 3 माह तक है।

(viii) निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले इन्टर्न को संलग्नक 'ग' के प्रारूप पर आवास बन्धु द्वारा अनुभव प्रमाण—पत्र निर्गत किया जायेगा।

4. **आवेदन की प्रक्रिया**—

(v) इन्टर्नशिप हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवास बन्धु उत्तर प्रदेश नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

(vi) इन्टर्नशिप हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन—पत्र आवास बन्धु के वेबसाइट www.awasbandhu.in पर निर्धारित लिंक "Apprenticeship" पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी मात्र एक बार आवेदन कर सकता है। विभिन्न अभिकरणों में रिक्तियों के उपलब्धता के आधार पर आवेदन पत्र पूरे वर्ष हेतु मान्य होगा।

(viii) इन्टर्नशिप हेुतु चयनित होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा अपने शैक्षणिक संस्थान के विभाग प्रमुख/संस्था प्रमुख से नामांकन/संस्तुति पत्र प्राप्त कर ज्वाईनिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

5. **इन्टर्नशिप हेतु चयन की प्रक्रिया**—

(vi) इन्टर्नशिप हेतु प्राप्त आवेदनों को निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा—

(1)	निदेशक आवास बन्धु	अध्यक्ष
(2)	अपर निदेशक, आवास बन्धु	सदस्य
(3)	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन	सदस्य
(4)	सहायक निदेशक, (तकनीकी) आवास बन्धु	सदस्य

उक्त समिति आवेदक की योग्यता, अभिरूचि के विषय एवं अभिकरणों में इन्टर्नशिप हेतु उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इन्टर्न का चयन करेगा। विभिन्न अभिकरणों में इन्टर्नशिप हेतु उपलब्ध रिक्तियों की सूची यंलग्नक 'ख' पर उपलब्ध है।

(vii) अभिकरणों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में समिति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्क्रीनिंग करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित कर सकती हैं।

(viii) समिति द्वारा चयनित इन्टर्न की सूचना सीधे अभ्यर्थी को प्रेषित करने के साथ—साथ संबंधित अभिकरण, जिसके लिए इन्टर्न का चयन किया गया है, को भी प्रेषित की जायेगी।

(ix) सम्बन्धित अभिकरण द्वारा इन्टर्न को उसके कार्य अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यक सुविधायें यथा—ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु इन्टर्न को अभिकरण द्वार लैपटॉप, आदि जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जाएंगी।

(x) इन्टर्न के उपस्थिति का सत्यापन संबंधित अभिकरण के नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इन्टर्नशिप के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात इन्टर्न द्वारा अपने कृत कार्य का संक्षिप्त विवरण नोडल अधिकारी को एवं आवास बन्धु को ई–मूल awasbandhu@gmail.com पर पृथक–पृथक उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस इन्टर्नशिप योजना में अभ्यर्थी को कोई वेतन/भत्ता/मानदेय देय नहीं होगा।

3. उक्त नीति में समय–समय पर आचवश्यकतानुसार शासन की पूर्व अनुमति से निदेशक, आवास बन्धु द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या 1650/(1)/आठ–1–18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(2) निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

Subject/Domain and Related Educational Fields of Internship)

Sl. No.	Subject	Educational Field
1.	**Urban Planning** ● Master Plans ● Zonal Development Plans ● Sector/Layouot Plans ● Zoning Regulations ● Building Bye-laws ● Redevelopment and Conservation	Urban Planning
2.	**Housing** ● Urban housing policies ● Housing standard & designs ● Affordable Housing ● Building materials and Technology	Architecture/ Civil Engineering/ Urban Planning
3.	**Infrastructure Planning and Development** ● Water Supply ● Sewerage ● Storm Water Drainge ● Street lighting ● Solid waste management ● Parks & open space/green areas ● River front development	Civil Engineering/ Urban Planning
4.	**Urban Transport System** ● Public Transport (BRTS, Metro/Mono Rail) ● Comprehensive Mobility Plan ● Traffic Mansgement ● Traffic Improvement	Traffic & Transport Planning/ Urban Planning
5.	**Urban Legislation** ● Urban Planning Acts ● Real Estate Regulation & Development Act ● Apartment Ownership Act ● Rules, Zoning Regulation & Building Codes ● Compounding Bye-laws	Urban Planning

6.	**Environmentally Sustainable Development** ● Energy-efficient housing ● Planning' development & maintenance of green cover ● Rainwater harvesting and ground water recharging ● Solar Passive. Acrhitecture ● Reduction and management of wastes	Architecture/Civil Engineering/ Urban Planning
7.	**Disaster Mitigation and Management** ● Fire safety in high rise buildings ● Structural safety ● Earthquake resistant building construction ● Integrated storm water management	Architecture/Civil Engineering Urban Planning
8.	**Ease of Doing Business** ● E-governance ● GIS applications in Urban Planning ● Automated Building Plan Approval ● Grievances Redressal System	Architecture/Civil Engineering Urban Planning

संलग्नक 'ख'

विभिन्न अभिकरणों में इन्टर्नशिप हेतु रिक्तियों की सूची

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	आवास बन्धु, उ.प्र.	05
2.	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0.प्र.	05
3.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	05
4.	लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद विकरास प्राधिकरण	09 (प्रत्येक में 03)
5.	इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर विकरास प्राधिकरण	12 (प्रत्येक में 02)
6.	लखनऊ मेट्रो रेल कारपेरेशन	20
7.	नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपेरेशन	10
	योग	**66**

संख्या—1675 / 8—3—18—167 विविध / 18

प्रेषक

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 **लखनऊ : दिनांकः 22 अक्टूबर, 2018**

विषय : विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में तीव्र नगरीकरण एवं उपलब्ध जल स्रोतों के अत्यधिक / अनियंत्रित दोहन के परिणामस्वरूप निरन्तर गिरते भू—जल स्तर में सुधार लान के दृष्टिगत निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैंः—

क्र.सं.	विषय	शासनादेश	प्रस्तर संख्या
1.	ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाएं जाने के संबंध में	1703ए / 9—आ—1—29 विविध / 9 8(आ.ब.), दिनांक 12 अप्रैल 2001	2.3 (ii) एवं (iii)
2.	स्थानीय निकायों के कार्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग परियोजना लागू करने के संबंध में	3887 / 440 / 9—आ—1—रेन वा, हार्वे एवं ग्राउण्ड वा.रिचा. / 2002 (आ.बा.), दिनांक 2 सितम्बर, 2002	—
3.	सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन के संबंध में	1760 / 9—आ—1—04—17 विविध / 03, दिनांक 29 जुलाई, 2004	—
4.	भू—जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के संबंध में	यू.ओ.35 / आठ—1—2005, दिनांक 25 अप्रैल, 2006	3.6
5.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के संबंध में	3982 / आठ—1—06—17 विविध / 03टीसी—1, दिनांक 01 जुलाई, 2008	5(3)

3. प्रदेश में निरन्तर गिरते भू–जल स्तर सुधार हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित शासनादेशों में निहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(4) निदेशक आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
(5) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

संजय कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या–1878 / आठ–1–18–80विविध / 2010

प्रेषक

डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय,

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त,** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
4. **उपाध्यक्ष,** समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. **अध्यक्ष,** समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. **नगर आयुक्त,** समस्त नगर निगम, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांकः 17 अक्टूबर, 2018**

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों में बाह्य विकास कार्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–986 / आठ–1–18–80विविध / 2010, दि0 26 जून, 2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप) मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2018–2019, 2019–2020 एवं 2020–2021 में आवास विकास परिषद हेतु 1.20 लाख तथा विकास प्राधिकरण हेतु 2.80 लाख अर्थात कुल 4.00 लाख दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का अभिकरणवार लक्ष्य निर्धारिता किया गया है।

उक्त लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1131 / आठ–1–17–106विविध / 2018 दि0 11 जुलाई, 2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों का निर्माण किया जा रहा है। भवनों के बाह्य विकास / आन्तरिक कार्य विभिन्न विभागों / कार्यदायी संस्थाओं से कराये जाने हेतु निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं–

ट्रंक विकास कार्यः–

1. <u>एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर</u>

अ. नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप बिटुमिनस रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।

ब. एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

स. योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक ड्रेन का निर्माण नगर निगम/स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

द. योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निमार्ण उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम/स्थानीय नगर विकास द्वारा किया जायेगा इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

2. <u>बाह्य जलापूर्ति</u>

अ. योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर–हेड–टैंक (आवश्यकतानुसार), नलकूप राइजिंग मेन, पम्पिंग–प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ0प्र0 जल निगम द्वारा वाटर सप्लाई मैनुअल के अनुसार किया जायेगा जिसके लिए वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

ब. पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति के हेडवर्क्स रख–रखाव हेतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

3. <u>वाह्य विद्युतीकरण</u>

अ. योजना के प्रत्येक पाकेट में बाह्य विद्युतीकरण उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।

ब. बाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब–स्टेशन, ट्रान्सफार्मर लगाना, भूमिगत एल0टी0 लाइन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से) सम्मिलित होगा।

स. भवनों में विद्युत संयोजन के अन्तर्गत एल.टी.लाइन से भूमिगत केविल के माध्यम से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल तक जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।

द. मेन स्विच लगाने व मेन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

4. <u>सार्वजनिक वितरण प्रणाली व प्रतिदिन की वस्तुओं को खरीदने के लिए दुकानें</u>

अ. जिन पॉकेटों में एक ही पॉकेट में 1000 से अधिक भवनों को नियोजित किया गया है तथा इस पॉकेट से 500 मी0 की दूरी तक कोई दुकान नहीं है, उनमें तीन दुकानों का प्राविधान रखा जायेगा। दुकानों के क्लस्टर के लिए स्थल चयन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकेगा।

ब. जिन जनपदों में एक से अधिक पॉकेटों में भवन नियोजित है, उनमें जिस पॉकेट में 300 से अधिक नियोजित हैं तथा इस पॉकेट से 500 मी0 की दूरी तक कोई दुकान नहीं है, उस पॉकेट में एक स्थान पर तीन दुकानों का प्राविधान रखा जायेगा।

स. जिन जनपदों में एक से अधिक पॉकेट है तथा प्रत्येक पॉकेट में 300 से कम भवन हैं, ऐसी स्थिति में आसपास के पॉकेटों को समायोजित मानते हुए भूमि की उपलब्धता के सापेक्ष प्रत्येक 300 भवनों पर किसी एक पॉकेट में तीन दुकानों का प्राविधान रखा जाये।

द. उक्त तीन दुकानों में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का कुर्सी क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर तथा ऊँचाई 3.60 मी0 रखी जायेगी। उचित दर के अलावा अन्य दो दुकानों का कुर्सी क्षेत्रफल 9 अथवा 12 वर्ग मीटर रखा जायेगा।

य. उक्त तीन दुकानों के लिए एक क्लस्टर की कुल निर्माण लागत रू0 10.00 लाख के अन्तर्गत रखी जायेगी, जिनके निर्माण हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था निर्माण लागत में समायोजित कर प्रति आवास निर्माण लागत में की जायेगी।

र. दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से शासनादेश संख्या 1132/आठ–1–18–106 विविध/2018 दिनांक 12 जुलाई 2018 के द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) के प्रस्तर 5.7 में निर्धारित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निर्धारित किराये के साथ प्रीमियम भी चार्ज किया जायेगा और इसी प्रीमियम के आधार पर पट्टेदार का चयन किया जायेगा। किराये तथा प्रीमियम की धनराशि योजना परिसर के रख रखाव के लिए उत्तरदायी अभिकरण में जमा करायी जायेगी तथा किराया प्रति 11 माह 05 प्रतिशत की दर से बढ़ाये जाने का अनुबन्ध में प्राविधान होगा।

5. <u>सामुदायिक सुविधायें:– (प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाडी एवं स्वास्थ्य केन्द्र)</u>

अ. योजना के प्रत्येक परिसर हेतु निर्धारित विभागीय मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी।

ब. प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण छात्रों की संख्या के दृष्टिगत समुचित व्यवस्था करते हुए किया जायेगा और भूमि की उपलब्धता को देखते हुए विद्यालय के भवन दो मंजिले अथवा तीन मंजिले भी बनाये जा सकेंगे। विद्यालय भवन का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा अपने बजट से किया जायेगा, अभिकरणों द्वारा विद्यालय हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

स. आवासीय परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुचित स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में यथासम्भव मानक के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराकर, समुचित स्वास्थ्य सेवायें यथा–जन्म–मृत्यु पंजीकरण, अन्धता निवारण, टीकाकरण विशेषकर पोलियों एवं मातृ–शिशु कल्याण आदि उपलब्ध करायी जायेंगी। स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने बजट से किया जायेगा, अभिकरणों द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

द. उपरोक्त सभी सुविधायें यथासम्भव योजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड में नियोजित की जायेगी।

य. उक्त सुविधाओं हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के विभागीय बजट से सुनिश्चित की जायेगी।

6. <u>योजना परिसर का रख–रखाव</u>

अ. योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्टस में आवासों के रख–रखाव तथा ब्लाकों में कामन फैसिलिटीज का दायितव निवासियों का रहेगा। कॉमन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अभिकरणों द्वारा भवनों के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि का कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना (2018–2021) नीति प्रस्तर–8.10 के अनुसार होगी।

ब. नगर सीमा के अन्तर्गत अथवा नगर सीमा से बाहर स्थित योजना के परिसरों का रख–रखाव (अनुरक्षण) यथा, सड़क, सीवर, नालियों, जलापूर्ति प्रणाली तथा पार्कों के रख–रखाव व साफ–सफाई का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय का होगा।

स. योजना के अन्तर्गत ट्रंक विकास कार्य, आन्तरिक विकास कार्य व भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तत्काल सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रख–रखाव हेतु परिसरों की सेवायें सम्बन्धित स्थानीय निकायों को हस्तगत करायी जायेगी।

7. अवस्थापना सुविधाओं की लागत को सीमित रखने के लिए भविष्य में आवासीय परिसरों का ले–आउट इस प्रकार बनाया जाये, ताकि ब्लाकों के मध्य दूरी अधिक न हो और पार्कों इत्यादि की समुचित व्यवस्था नियेजित की जायेगी।

- **आन्तरिक विकास कार्य**

  योजना के विकास कार्यों के सन्दर्भ में एकरूपता रखने के दृष्टि से आन्तरिक विकास कार्यों हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1. <u>सडक</u>

अ. योजना परिसर में 9.00 मी0 अथवा अधिक चौड़ी सड़कों पर 3.75 मी0 चौड़ी कैरिज–वे में बेस कॉक्रीट के साथ सी0सी0 रोड निर्मित कराया जाये तथा सड़क के दोनों ओर एजिंग व नालियों के मध्य स्थान को कच्चा रख जाये तथा सड़क की एक पटरी पर फूलदार वृक्ष अमलताश एवं कुसुम का वृक्षारोपण कराया जाये।

ब. योजना परिसर में 6.00 मी0 व 7.50 मी0 अर्थात 9.00 मी0 से कम चौड़ी सड़कों पर 3.50 मी0 चौड़ी कैरिज–वे में बेस कॉक्रीट के साथ सी0सी0 रोड निर्मित कराया जाये तथा सड़क के दोनों ओर एजिंग व नालियों के मध्य स्थान को कच्चा रख जाये।

स. योजना परिसर में 4.50 मी0 से कम चौड़ी सड़कों बेस कॉक्रीट के साथ 80 मिमी मोटाई की रबर मोल्डेड टाइल लगायी जाये।

द. योजना परिसर में सी0सी0 सड़क निर्माण IRC : SP : 62 -2014 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए आर.एम.सी. का प्रयोग किया जाये।

य. सड़क के ब्लाक को जोड़ने वाले पैसेज में बेस केक्रीट के साथ 80 मिमी0 मोटाई की रबर मोल्डेड टाइल्स लगायी जाये।

2. <u>जलापूर्ति लाइन</u>

परिसर में पम्प हाउस के आउट–लेट से आन्तरिक जलापूर्ति पाइप लाइन तक फीडर लाइन का निर्माण तथा आन्तरिक जलापूर्ति लाइनों में निर्धारित मानकों के आधार पर डिजाइन के अनुसार पाइप का उपयोग किया जाये।

3. <u>सीवर लाइन</u>

अ. नगर में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर में आन्तरिक सीवर बिछाने का कार्य निर्धारित मानकों के आधार पर डिजाइन के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।

ब. नगर में सीवर प्रणाली न होने की स्थिति में परिसर में सैप्टिक टैंक व सोकपिट अथवा डाइजेस्टर का कार्य निर्धारित डिजाइन के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।

4. <u>विद्युतीकरण</u>

अ. योजना के परिसर में स्ट्रीट लाइट लैम्प पोस्ट लगाने का कार्य सम्बन्धित अभिकरण द्वारा कराया जायेगा। स्ट्रीट लाइट लैम्प पोस्ट हेतु भूमिगत केबिल का प्राविधान किया जायेगा।

ब. मेन स्विच लगाने व मेन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य सम्बनिधत अभिकरण द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

5. <u>पार्क एवं आरबोरीकल्चर</u>

अ. योजना परिसर में पार्कों का निर्माण भूतल से 90 से0मी0 ऊँची ग्रिलवाली के साथ किया जायेगा, तथा पिलन्थ की ऊँचाई किसी भी दशा में 45 सेमी. से ऊँची नहीं होगी।

ब. पार्क के अन्दर मात्र घास लगाई जायेगी कोई पाथवे नहीं बनाया जायेगा।

6. <u>ड्रेनेज</u>

अ. योजना परिसर में नालियों का निर्माण डिजाइन के अनुसार किया जायेगा। सफाई के लिए व्यवस्था करते हुए नालियों को निर्मित किया जायेगा।

7. <u>बलाक्स के चारों ओर का विकास</u>

योजना परिसर में भवनों के ब्लाक्स के मध्य एवं चारों ओर उपलब्ध रिक्त भूमि के विकास करने के लिए सेवाओं के रख–रखाव, सफाई व मरम्मत की सुविधा के दृष्टि से सैण्ड बेस व सैण्ड फिलिंग के साथ 60 मिमी0 इन्टर–लाकिंग टाइल्स लगायी जायेगी।

8. <u>कलर स्कीम एवं साइनेज बोर्ड</u>

योनानान्तर्गत निर्मित भवनों की कलर स्कीम एवं परिसरों के मुख्य गेट पर योजना का साइनेज बोर्ड लगाने की कार्यवाही आवास बन्धु द्वारा निर्गत किये गये स्टैण्डर्ड डिजाइन एवं ड्राइंग के आधार पर सुनिश्चित करायी जायेगी, जिसके लिए आवास बन्धु द्वारा स्टैण्डर्ड डिजाइन तैयार करके जारी किया जायेगा।

9. <u>बाउण्ड्रीवाल का निर्माण</u>

परिसर की भूमि व निवासियों की सुरक्षा हेतु यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझा जाये तो परिसर में ग्रिलवाल का निर्माण भी यथासम्भव मितव्ययिता के साथ कराया जायेगा। ग्रिलवाल का निर्माण आवास बन्धु द्वारा निर्गत किये गये स्टैण्डर्ड डिजाइन एवं ड्राइंग के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा, जिसके लिए आवास बन्धु द्वारा स्टैण्डर्ड डिजाइन तैयार करके जारी किया जायेगा।

10. <u>पार्किंग</u>

योजना परिसर में बेस कंक्रीट के साथ 60 मिमी0 पेवर ब्लॉक्स लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

डा0 अनूप चन्द पाण्डेय

मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, न्याय, सूचना लोक निर्माण, ऊर्जा बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।

3 समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

4 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

5 निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ उ0प्र0।

6 निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ उ0प्र0।

7 समस्त नगर आयुक्त एवं नगर निगम, लखनऊ उ0प्र0।

8 समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0।

9 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

10 समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

11 समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)

12 महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

13 गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

नितिन रमेश गोकर्ण

प्रमुख सचिव

फैक्स / तत्काल

संख्या–833 / आठ–1–17

प्रेषक

जे.पी. सिंह,
संयुक्त सचिव
उ. प्र. शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

2. **जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

3. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

3. **प्रबन्ध निदेशक,**
   एल0एम0आर0यसी0,
   लखनऊ।

5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांकः 17 मई, 2017**

विषय : प्रदेश सरकार के सभी विज्ञापनों पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का लोगों प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 सरकार पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के सभी विज्ञापनों पर पं0 दीदयाल उपाध्याय जी का लोगो प्रदर्शित किया जाना है।

2. इस संबंध में मंझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त सरकारी विज्ञापनों के शीर्ष पर आवश्यक रूप से पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का लोगो अंकित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय। उक्त लोगो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.information.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड किया जा सकता है।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निदेशक, आवास बन्धु, को इस आशय से प्रेषित समस्त संबंधितों का अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

2 गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या–135 / सू0एवंज0सं0वि0(विज्ञा0)–147 / 2007

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त
प्रमुख सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।

लखनऊ : दिनांकः 27 अप्रैल 2017

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी का आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के सभी विज्ञापनों पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का लोगो प्रदर्शित किया जाना है।

अतः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित लोगों की एक छाया प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने विभाग, अधीनस्थ संस्थान / उपक्रमों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह जारी किये जाने वाले सरकारी विज्ञापनों के शीर्ष पर आवश्यक रूप से पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का लोगो अंकित करते हुये विज्ञापन प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें। उक्त लोगो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.information.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–840/8–3–17–65 विविध/16 टी0सी0 VI
लखनऊ : दिनॉक : 22 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

भू–संपदा (विनिमय एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा–20(1) के अधीन शासन की अधिसूचना सं0–1458/8–3–16–65विविध/2016 दिनांक 28.10.2016 द्वारा गठित भू–संपदा विनिमायक प्राधिकरण का गठन करते हुए अधिसूचना सं0–401/8–3–17 –65विविध/16 टी0सी0 दिनांक 03.05.2017 एवं तत्संबंधी संशोधित अधिसूचना सं0–537/8–3–17–65विविध/16टी0सी0 दिनांक 09.06.2017 द्वारा द रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के औपचारिक गठन होने तक के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, जो विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हों, को दिनांक 01.05.2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में कार्य किये जाने हेतु यथा–अभिहित (designate) किया जा चुका है। इस प्रकार रेगुलेटरी अथॉरिटी दिनांक 01.05.2017 से क्रियाशील हो चुकी है।

2– भू–संपदा (विनिमय एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत उ0प्र0 भू–संपदा (विनिमय एवं विकास) नियमावली 2016 के नियम–21(1) में विनिमायक प्राधिकरण हेतु शासन द्वारा 02 उपयुक्त व्यक्तियों जिसमें से 01 सचिव, जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो तथा 01 मुख्य लेखाधि

3– अतः उ0प्र0 भू–संपदा (विनिमय एवं विकास) नियमावली 2016 के नियम–21(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत संबंधित पद पर नियमित तनाती होने तक के लिए वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ (पदेन) को उक्त अथॉरिटी के कार्यों के सुचारू रूप से समपादन हेतु एतद्द्वारा मुख्य लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

4– उक्त हेतु वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को पृथक से अन्य कोई वेतन देय नहीं होंगे।

भवदीय,

मुकुल सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भू–संपदा विनिमायक प्राधिकरण।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. आयुक्त आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
10. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0
11. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–53NCR / आठ–2–2017–14NCR / 10T.C

प्रेषक

सदा कान्त,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन कार्पोरेशन लि0,
भारत सरकार, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांकः 19 मई, 2017**

विषय : दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–NCRTC/RRTS/2016/14/CS-SG- दिनांक 09–12–2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर से सम्बन्धित DPR प्रेषित करते हुए उस पर राज्य सरकार की अनुमति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) सम्बन्धी DPR एवं प्रस्तावित परियोजना पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की जाती है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में निर्धारित कुल रू0 4304.00 करोड़ के सापेक्ष टोकन मनी के रूप में वर्ष 2017–18 के बजट में रू0 100.00 करोड़ का प्राविधान कराया जा रहा है।

भवदीय,

सदा कान्त
अपर मुख्य सचिव

संख्या 53NCR(1) / आठ–2–17 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली।
2 सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3 आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
4 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोनक, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से

जे0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव

क्रम–सं0–183

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0 / एल–
डब्लू0 / एन0पी0–91 / 2014 16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2018

श्रावण 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10

संख्या 832 / आठ–10–18–06गठन–16

लखनऊ, 16 अगस्त, 2018

अधिसूचना

प0आ0–214

चूँकि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986) की धारा 3 के अधीन संलग्न अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को सरकारी अधिसूचना संख्या 682 / 11–5–88–415–डी0ए0–87, दिनांक 18 मार्च, 1988 द्वारा विशेष विकास क्षेत्र घोषित किया गया है और उक्त विशेष विकास क्षेत्र के लिए विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

और, चूँकि, मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन सरकारी अधिसूचना संख्या 3634 / 9आ–5–96–415–डी0ए0–87, दिनांक 27 अगस्त, 1996 द्वारा विन्ध्याचल विशेष विकास क्षेत्र में कतिपय क्षेत्रों को सम्मिलित करके किया गया है जिसका प्रादेशिक क्षेत्र अनुसूचि–2 में उल्लिखित है,

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है कि उक्त मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का निरन्तर अस्तित्व बना रहना अनावश्यक और अवांछनीय हो गया है,

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित करते हैं,

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपालअग्रतर इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या 3634 / 9आ–5–96–415–डी0ए0–87, दिनांक 27 अगस्त, 1996 को विखंडित करते हैं।

आज्ञा से

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव

अनुसूची–1

विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्र

क्रमांक	ग्राम का नाम
1	विन्ध्याचल उप नगर
2	गोपालपुर (राजस्व कोड नं0–211)
3	बेंढार
4	रसूलपुर उर्फ शिवपुर
5	केवरान
6	कन्तित
7	अष्टभुजा तथा काली खोह को अलग–अलग केन्द्र मानते हुए ऐसे प्रत्येक केन्द्र के 200 मीटर की त्रिज्या के भीतर का क्षेत्र

अनुसूची–2

मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्र

क–मीरजापुर विन्ध्याचल का नगर क्षेत्र

ख–अधोलिखित 68 ग्राम

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	गोपालपुर	13	अनन्तपुर
2	सलेमपुर उर्फ बैदउर	14	चन्दुईपुर
3	रसूलपुर उर्फ शिवपुर	15	लोहन्दी कला
4	अकोढ़ी	16	लोहन्दी, खुर्द
5	केबटान मु0 विन्ध्याचल	17	बिरमउवा
6	कन्तित	18	सिरसी बघेंल
7	रानोबारी	19	टिकरा
8	राजपुर	20	पडरा कंगाल
9	बरईपुर	21	पडरा हनुमान
10	गोपालपुर	22	बरौधा
11	भेड़ोसर	23	पहाड़ी
12	इटावा	24	जसौवर

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
25	शाहपुर बीसा	47	गांगो
26	इन्दरपुर	48	परमान पट्टी
27	चिन्दलिख दूबे	49	दुर्गापुर
28	सरौली	50	माझीयार
29	चिन्दलिख गहरवार	51	धानी पट्टी
30	राजपुर	52	बटीटी
31	जयापुर	53	नुऔन
32	करतन	54	उच्छा पट्टी
33	मरूहना	55	किरतार तारा
34	आघौली	56	विजयपुरा
35	घीरूपुर	57	मसारी
36	लहौली मिश्र	58	पिपरा डांड
37	लहौली गौतम	59	दुबानी
38	देवपुर पचबल	60	बहरवा
39	चिरई राम	61	कुशहां
40	ककराही	62	कुड़ई
41	बढ़ौली	63	गंगाउत
42	बरबसपुर	64	लपसी
43	हरिहरपुर	65	अखनपुरा
44	खजूरी	66	मेवली
45	अनन्तराम पट्टी	67	मझगवां
46	पठान पट्टी	68	बील्ह

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 832/Aath-10-18-06, dated August 16, 2018

No. 832/Aath-10-18-06 Gathan-16

Dated Lucknow] August 16, 2018

WHEREAS the area mentioned in the enclosed SCHEDULE-1 has been declared as Special Development Area under section 3 of the Uttar Pradesh Special Area development Authorities Act., 1986 (U.P. Act. no. 9 of

1986) in Goverment notification no. 682/XI-5-88-415-DA-87, dated March 18, 1988, and the Vindhyachal Special Area Development Authority has been constituted for the said special Development Area,

AND, WHEREAS, the Mirzapur Vindhyachal Special Area Development Authority has been consituted by including certain areas in the Vindhyachal Special Development Area vide Development notification no. 3634/9Aa-5-96-415-DA-87, dated August 27, 1996, the territorial area of which is mentioned in SCHEDULE-2;

AND, WHEREAS, the State Government is of the opinion that the continued existence of the said Mirzapur Vindhyachal Special Area Development Authority is unnesessary and undesirable;

NOW, THERFORE, in exercise of the power under section 42 of the said Act the Governor is pleased to dissolve the Mirzapur Vindhyachal Special Area Development Authority from the date of publication of this notification in the Gazette;

The Governor in exercise of the powers under section 3 of the aforesaid Act read with section 21 of the Uttar Pradesh general Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), is further pleased to rescind Government notification no. 3634/9Aa-5-96-415-DA-87, date August 27, 1996 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,

NITIN RAMESH GOKARAN,

Pramukh Sachiv.

SCHEDULE-1

Territorial Area of Vindhyachal Special Area Development Authority

Serial no.	Name of Village
1	Vindhyachal upnagar
2	Gopalpur (Revenue Code no. 211)
3	Bendhor
4	Rasoolpur alias Shivpur
5	Kevran
6	Kantit
7	Taking Asthbhuja and Kalikoh as two separate centres, and area within the radius of 200 meters from each such centre

---

SCHEDULE-2

Territorial Area of Vindhyachal Special Area Development Authority

(A) Municipal Area of Mirzapur Vindhyachal

(B) Mentioned below 68 Villages

Serial no.	Name of Village	Serial no.	Name of Village
1	Gopalpur	6	Kantit
2	Salempur urf Baidpur	7	Ranobari
3	Rasoolpur urf Shivpur	8	Rajpur
4	Akodhi	9	Baraipur
5	Kabtan mu. Vindhyachal	10	Gopalpur
11	Bhadhosar	40	Kakrahi
12	Itwa	41	Badhauli
13	Anantpur	42	Barbaspur
14	Chanduipur	43	Hriharpur
15	Lohandi Kala	44	Khajoori
16	LohandiKhurd	45	Anantram Patti
17	Birmauwa	46	Pathan Patti
18	Sirsi Baghel	47	Gango
19	Tikra	48	Parman Patti
20	Padra Kangal	49	Durgapur
21	Padra Hanuman	50	Majhiyar
22	Baraudha	51	Dhani Patti
23	Pahari	52	Batiti
24	Jasauwar	53	Nuaun
25	Shahpur Beesa	54	Unhchha Patti
26	Indrapur	55	Kirtar tara
27	Chindikh Dubey	56	Vijaypura
28	Sarauli	57	Masari
29	Chindlikh Gahwar	58	Pipra Dand

30	Rajpur	59	Dubani
31	Jayapur	60	Bahrawa
32	Kartan	61	Kushhan
33	Maruhana	62	Kudai
34	Aaghauli	63	Gangaut
35	Gheerupur	64	Lapsi
36	Lahauli Misra	65	Akhanpura
37	Lahauli Gautam	66	Mewali
38	Devpur Oachbal	67	Majhgawan
39	Chirai Ram	68	Beelha

क्रम–सं0–184

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल–डब्लू0/एन0पी0–91/2014 16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2018

श्रावण 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10

संख्या 833/8–10–18–06 गठन–16

लखनऊ, 16 अगस्त, 2018

प0 आ0–215

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्करों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि नीचे सारणी में उल्लिखित क्षेत्र, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र होगा जिसे मीरजापुर विन्ध्याचल विकास क्षेत्र के रूप में जाना जायेगा।

सारणी

मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्रः–

(क) मीरजापुर विन्ध्याचल का नगर क्षेत्र

(ख) निम्नलिखित ग्राम क्षेत्र

क्रमांक	ग्राम का नाम
1.	गोपालपुर
2.	सलेमपुर उर्फ बैदउर
3.	रसूलपुर उर्फ शिवपुर

क्रमांक	ग्राम का नाम
4.	अकोढ़ी
5.	केबटान मु0 विन्ध्याचल
6.	कन्तित

क्रमांक	ग्राम का नाम
7	रानोबारी
8	राजपुर
9	बरईपुर
10	गोपालपुर
11	भेड़ोसर
12	इटावा
13	अनन्तपुर
14	चन्दुईपुर
15	लोहन्दी कला
16	लोहन्दी, खुर्द
17	बिरमउवा
18	सिरसी बघेंल
19	टिकरा
20	पडरा कंगाल
21	पडरा हनुमान
22	बरौधा
23	पहाड़ी
24	जसौवर
25	शाहपुर बीसा
26	इन्दरपुर
27	चिन्दलिख दूबे
28	सरौली
29	चिन्दलिख गहरवार
30	राजपुर
31	जयापुर
32	करतन
33	मरूहना
34	आघौली
35	घीरूपुर
36	लहौली मिश्र
37	लहौली गौतम
38	देवपुर पचबल

क्रमांक	ग्राम का नाम
39	चिरई राम
40	ककराही
41	बढ़ौली
42	बरबसपुर
43	हरिहरपुर
44	खजूरी
45	अनन्तराम पट्‌टी
46	पठान पट्‌टी
47	गांगो
48	परमान पट्‌टी
49	दुर्गापुर
50	माझीयार
51	धानी पट्‌टी
52	बटीटी
53	नुऔन
54	उच्छा पट्‌टी
55	किरतार तारा
56	विजयपुरा
57	मसारी
58	पिपरा डांड
59	दुबानी
60	बहरवा
61	कुशहां
62	कुड़ई
63	गंगाउत
64	लपसी
65	अखनपुरा
66	मेवली
67	मझगवां
68	बील्ह

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 833/Aath-10-18-06, dated August 16, 2018:

No. 835/Aath-10-2018-06 Gathan-16

Dated Lucknow, August 16, 2018

In exercise of the power under section-3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Act's (Reenactment with Modifications0 Act, 1947 (U.P. Act no. of 1974), the Governor is pleased to declare that the area mentioned in table below shall be development area to be known as Mirzapur Vindhyachal Development Area for the purposes of the said Act.

TABLE

Territorial Area of Vindhyachal Development Authority

(a) Municipal Area of Mirzapur Vindhyachal.

(b) Area of the following Villages.

Serial no.	Name of Village
1	Gopalpur
2	Salempur urf Baidpur
3	Rasoolpur urf Shivpur
4	Akodhi
5	Kabtan mu. Vindhyachal
6	Kantit
7	Ranobari
8	Rajpur
9	Baraipur
10	Gopalpur
11	Bhadhosar
12	Itwa
13	Anantpur
14	Chanduipur
15	Lohandi Kala
16	LohandiKhurd
17	Birmauwa
18	Sirsi Baghel
19	Tikra
20	Padra Kangal\
21	Padra Hanuman
22	Baraudha
23	Pahari

Serial no.	Name of Village
24	Jasauwar
25	Shahpur Beesa
26	Indrapur
27	Chindikh Dubey
28	Sarauli
29	Chindlikh Gahwar
30	Rajpur
31	Jayapur
32	Kartan
33	Maruhana
34	Aaghauli
35	Gheerupur
36	Lahauli Misra
37	Lahauli Gautam
38	Devpur Oachbal
39	Chirai Ram
40	Kakrahi
41	Badhauli
42	Barbaspur
43	Hriharpur
44	Khajoori
45	Anantram Patti
46	Pathan Patti

Serial no.	Name of Village
47	Gango
48	Parman Patti
49	Durgapur
50	Majhiyar
51	Dhani Patti
52	Batiti
53	Nuaun
54	Unhchha Patti
55	Kirtar tara
56	Vijaypura
57	Masari

Serial no.	Name of Village
58	Pipra Dand
59	Dubani
60	Bahrawa
61	Kushhan
62	Kudai
63	Gangaut
64	Lapsi
65	Akhanpura
66	Mewali
67	Majhgawan
68	Beelha

By order,

NITIN RAMESH GOKARAN,

Pramukh Sachiv.

क्रम–सं0–207

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0 / एल–
डब्लू0 / एन0पी0–91 / 2014 16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 22, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10

संख्या 934 / आठ–10–18–06 गठन–16

लखनऊ, 13 सितम्बर, 2018

प0 आ0–235

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम), 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्करों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या 833 / आठ–10–18–06 गठन–16ए दिनांक अगस्त, 2018 द्वारा इस रूप में घोषित ''मीरजापुर विन्ध्याचल विकास क्षेत्र'' के लिए निम्नानुसार एक प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसे मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण

1.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त / आयुक्त, मीरजापुर–विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर	अध्यक्ष
2.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त / जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर	उपाध्यक्ष
3.	सचिव आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
4.	सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
5.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ अथवा नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
7	मुख्य नगर अधिकारी, मीरजापुर	पदेन सदस्य

8	जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर	पदेन सदस्य
9	नगर पालिका परिषद, मीरजापुर के सभासदों द्वारा स्वयं से निर्वाचित 04 सदस्य	सदस्य
10	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 03 सदस्य	सदस्य

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitutionthe Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 934/Aath-10-18-06 Gathan-16, dated September 13, 2018:

No. 934/Aath-10-2018-06 Gathan-16

Dated Lucknow, September 13, 2018

In exercise of the power under section-4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (Presiden's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Act's (Re-enactment with Modifications) Act, 1947 (U.P. Act no. of 1974), the Governor is pleased to constitute as under an authority, with effect from the date of publication of this notification of this notification in the Gazette, to be known as the Mirzapur Vindhyachal Development Authority of the Mirzapur Vindhyachal Development Area declare as such in Government notification no. 833/Aath-17-18-06 Gathan-16, dated August 16, 2018.

Mirzapur Vindhyachal Development Authority

1	Appointed by State Government/The Commissioner, Mirzapur Vindhyachal Division, Mirzapur	Chairman
2	Appointed by State Government/District Magistrate, Mirzapur	Vice Chairman
3	The Secretary to the State Government Incharge of Housing Department or his nominee	Ex-officio Member
4	This Secretary to the State Government Incharge of Finance Department or his nominee	Ex-officio Member
5	Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh	Ex-officio Member
6	Managing Director, U.P. Jal Nigam Lucknow or nominee	Ex-officio Member
7	Mukhya Nagar Adhikari, Mirzapure	Ex-officio Member
8	Distric Magistrate, Mirzapur	Ex-officio Member
9	04 member elected by Sabhasads of the Nagar Palika Parishad, Mirzapur from amongst themselves	Member
10	03 member nominated by the State Government	Member

By order,

NITIN RAMESH GOKARAN,
Pramukh Sachiv